खण्ड-13 सत्र - 13 / अंक- 102

मंगलवार 02 अप्रैल, 2013 / चैत्र 12, 1935 (शक)

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्यमेव जयते

चतुर्थ विधान सभा
तेरहवाँ सत्र

अधिकृत विवरण
(खण्ड-13 में अंक 89 से 101 तक सम्मिलित है)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

विषय-सूची

सत्र-13 मंगलवार, 02 अप्रैल, 2013/चैत्र 12, 1935 (शक) अंक-101

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (प्र. सं. 222, 223, 228, 229 से 233)	3-47
3.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्र. सं. 221, 224 से 227, 234 से 240)	47-60
4.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्र. सं. 518 एवं 540)	61-97
5.	विशेष उल्लेख (नियम-280)	98-117
6.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	117
7.	अल्पकालिक चर्चा (दिल्ली नगर निगम की कार्य प्रणाली के संबंध में)	118-173

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-13 दिल्ली विधान सभा के तेरहवें सत्र का तेरहवां दिन अंक-101

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुएः-

1. श्री ए. दयानंद चंदीला अ.
2. श्री अनिल भारद्वाज
3. श्री अनिल झा
4. श्री अनिल कुमार
5. श्री अरविंदर सिंह
6. श्री आसिफ मो. खान
7. श्री बलराम तंवर
8. श्रीमती बरखा सिंह
9. चौ. भरत सिंह
10. श्री देवेंद्र यादव
11. श्री धर्मदेव सोलंकी
12. श्री हरिशंकर गुप्ता
13. डॉ. हर्ष वर्धन
14. प्रो. जगदीश मुखी
15. श्री जयभगवान अग्रवाल
16. श्री जय किशन
17. श्री जसवंत सिंह
18. श्री करण सिंह तंवर
19. श्री कुलवंत राणा
20. श्री मालाराम गंगवाल

21. श्री मंगत राम
22. श्री मनोज कुमार
23. चौ. मतीन अहमद
24. श्री मोहन सिंह बिष्ट
25. श्री मुकेश शर्मा
26. श्री नंद किशोर
27. डॉ. नरेन्द्र नाथ
28. श्री नरेश गौड़
29. श्री नसीब सिंह
30. श्री ओ. पी. बब्बर
31. श्री प्रहलाद सिंह साहनी
32. श्री प्रद्युम्न राजपूत
33. चौ. प्रेम सिंह
34. श्री राजेश जैन
35. श्री राजेश लिलोठिया
36. श्री राम सिंह नेताजी
37. श्री रमेश बिधूड़ी
38. श्री रविन्द्र नाथ बंसल
39. डॉ. एस. सी. एल. गुप्ता
40. श्री साहब सिंह चौहान
41. श्री सतप्रकाश राणा
42. श्री शोएब इकबाल
43. श्री श्रीकृष्ण
44. श्री श्याम लाल गर्ग
45. श्री सुभाष चौपड़ा
46. श्री सुभाष सचदेवा
47. श्री सुमेश
48. श्री सुनील कुमार
49. श्री सुरेन्द्र कुमार
50. श्री सुरेन्द्र पाल रातावाल
51. चौ. सुरेन्द्र कुमार
52. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
53. श्री वीर सिंह धिंगान
54. श्री विपिन शर्मा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-13 मंगलवार, 02 अप्रैल, 2013/चैत्र 12, 1935 (शक) अंक-101

सदन अपराह्न 2.05 बजे पुनः समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 221 श्री धर्मदेव सोलंकी। उपस्थित नहीं हैं, तो अगला प्रश्न सं. 222 श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार : अध्यक्ष महोदय, **प्रश्न सं. 222** प्रस्तुत है:

(क) क्या यह सत्य है कि मुंडका विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कुछ सामुदायिक भवनों में तकनीकी शिक्षा व लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध थी;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इन सामुदायिक भवनों की हालत जर्जर है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन भवनों की कब तक मरम्मत करा दी जाएगी;

(घ) क्या सरकार द्वारा उक्त भवनों में तकनीकी शिक्षा व लाइब्रेरी की सुविधा पुनः प्रदान की जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो कब तथा कहां-कहां पर?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री (डॉ. ए. के. वालिया) : अध्यक्ष महोदय, **प्रश्न सं. 222** का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) जी नहीं। तकनीकी एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(ख) उपरोक्त क के अनुसार लागू नहीं।

(ग) उपरोक्त क के अनुसार लागू नहीं।

(घ) उपरोक्त क के अनुसार लागू नहीं।

(ङ) उपरोक्त क के अनुसार लागू नहीं।

अध्यक्ष महोदय : श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो हमारे मल्टी परपज कम्युनिटी सैंटर जो ग्रामीण क्षेत्र में बनाए थे और कुछ जगहें ऐसी थी, जहां चौपालें भी थी, उनके अंदर एक वायर मैन, मोटर मैकेनिक, स्कूटर मैकेनिक, लाइब्रेरी और डिस्पेंसरी आदि की सारी सुविधाएं दी जा रही थी और 1998 के बाद इन ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुविधाएं एकदम से बंद कर दी गई। अध्यक्ष महोदय, मेरे गांव निलोठी में ये सारे के सारे कोर्सेज चल रहे थे एमपीसीसी के अंतर्गत। मेरा निवेदन यह है कि एक तो मंत्री जी यह बताएं कि ये सुविधाएं क्यों बंद कर दी? और आवश्यकता है, जिन गांवों के बच्चे नहीं आ पाते शहर तक या उनके नजदीक आईटीआई या छोटे-छोटे कोर्सेज नहीं हैं, मेरा मंत्री जी से निवेदन है और सरकार से कि ऐसे कार्यक्रमों को न बंद करे बल्कि बढ़ाए उनको ताकि देहात के बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग मिले और वे काम कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि क्या यह सत्य है कि मुंडका विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कुछ सामुदायिक भवनों में तकनीकी शिक्षा व लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध थी, मैंने यह जवाब दिया कि जी नहीं तकनीकी एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। जो कम्युनिटी हॉल्स थे, उनमें ऐसी कोई...जो प्रश्न पूछा है, उसका मैंने एग्जेक्ट जवाब दिया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुझे कहीं न कहीं जानकारी एकत्रित करने में कमी लग रही है। क्योंकि मैंने स्वयं मेरे गांव में, जो सारी मैंने बताई हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। ये तकनीकी शिक्षा मेरे गांव के अंदर मल्टीपरपज कम्युनिटी सेंटर सामुदायिक भवन के अंदर चल रही थी और 1998, जहां तक मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो हमारा मिनी मास्टर प्लान था, उसके माध्यम से ये सारे काम हो रहे थे। बच्चों को तकनीकी शिक्षा दी जा रही थी। लेकिन जब आपकी ये सरकार बनी 1998 के बाद में मिनी मास्टर प्लान को विदड्रा किया। जिसके अंदर ये सारी की सारी सुविधाएं बंद हो गई। मेरा निवेदन यह है कि आप जो दिल्ली रूरल बोर्ड डेवलपमेंट के तहत विकास के कार्य कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आप उसी के अंदर कोई न कोई ऐसा आज आप गांव के अंदर देखते हो बच्चे कितने बेकार घूमते हैं। वे दसवीं, 12वीं तक पढ़ लेते हैं। अगर उनको तकनीकी शिक्षा मिल जाए तो उनको काम मिलेगा। वे बेरोजगार नहीं घूमेंगे। मेरा आपसे निवेदन यह है कि उनको तकनीकी शिक्षा दी जाए। अध्यक्ष जी, वो कम्युनिटी सेंटर बर्बाद हो रहे हैं, टूट रहे हैं, जर्जर हालत में हैं, क्योंकि

उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वहां पर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगे हुए हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह काम करने की आवश्यकता है और यह काम आपकी सरकार ने जब मिनी मास्टर प्लान विदड्रा किया तब बंद किया था। उसको दोबारा से यह तकनीकी शिक्षा वहां पर चालू की जाए ताकि वो प्रॉपर्टी भी बर्बाद न हो और वो नौजवान बच्चे शिक्षित होकर काम कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : स्वास्थ्य मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने जो सजैस्ट किया है वो हम MPCC में examine करा लेंगे। जहां कहीं पर हम चालू करा सकते हैं और जहां रिकमंड करेंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री सत प्रकाश राणा।

श्री सत प्रकाश राणा : अध्यक्ष जी, मैं भी मनोज जी के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए आपको जानकारी देना चाह रहा था कि जब 1993 से 1998 तक हमारी सरकार थी। बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर में हम ने तकनीकी शिक्षा और लाइब्रेरी के कार्यक्रम शुरू करवाए थे और फिर वो बंद कर दिए गए। वो बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर अभी खाली पड़े हैं और उन गांवों में जरूरत भी है। यदि सरकार चाहे तो वहां पर शुरू करवा सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या उनको चालू करवाने के लिए कोई पॉलिसी बनाई जा सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : स्वास्थ्य मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहूंगा कि हम बहुत टाइम से प्रयास कर रहे थे कि कैसे उनका सही utilization

हो क्योंकि यह MPCC काफी समय से खाली पड़े थे। हम ने वो कई NGOs को भी दिए थे। आपने जैसे सजैस्ट किया। इम इसको एग्जामिन कराएंगे और आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप हमें लिखकर भेज दें कि कहां-कहां पर आपकी constituency के पास पड़ता है। हम उसको टेक अप कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री कुलवन्त राणा जी।

श्री कुलवन्त राणा : अध्यक्ष जी, क्या यह सत्य नहीं है कि जैसे मुण्डका में MPCC बनाए गए, कंझावला में बनाया गया। इसी प्रकार से दिल्ली के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं। उसके बहुत सारे हिस्से में ऐसे MPCC बनाए गए थे। क्या यह भी सत्य है कि उनका रख-रखाव ठीक नहीं है। अध्यक्ष जी, क्या यह भी सत्य है कि देहात में, ग्रामीण क्षेत्र में दसवीं, बारहवीं के बाद उच्च शिक्षा के स्रोतों के साधन बहुत कम हैं और क्या यह भी सत्य नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर शिक्षा का बहुत भारी अभाव है और उस अभाव को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार के केंद्रों की स्थापना की और MPCC बनाए गए तो क्या उनका उपयोग सही ढंग से नहीं हो पा रहा। आप उसका सदुपयोग ठीक ढंग से कैसे कर पाएंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हों। आप इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल मुंडका के लिए है।

श्री कुलवंत राणा : अध्यक्ष जी, मैंने मुण्डका से आधारित ही बात की है।

अध्यक्ष महोदय : यह खाली मुण्डका के लिए है। श्री मुकेश शर्मा जी।

श्री मुकेश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा

कि क्या यह सत्य है कि बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्रों में दुकानें भी बनाई गई थीं, उसमें मुण्डका भी शामिल है। यदि यह सत्य है तो क्या उन दुकानों को गांव के ही बेरोजगार नौजवानों को ही एलाट करने की कोई योजना सरकार बना रही है?

अध्यक्ष महोदय : श्री बलराम तंवर जी। आप मुण्डका में बनवाओ, फिर बात करेंगे। बलराम तंवर जी।

श्री मुकेश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह राजनीतिक विषय नहीं है। अध्यक्ष जी, मेरा फिर अनुरोध है कि मुण्डका के अंदर भी दुकानें बनी हुई हैं, बापरौला में भी दुकानें बनी हुई हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या Multi-purpose community Centres में मुण्डका सहित जो दुकानें बनी हुई हैं वो बंद पड़ी हैं। उन दुकानों को गांव के बेरोजगार नौजवानों को एलाट करने की कोई योजना सरकार बना रही है। मैं सिर्फ यह पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब आप ठीक-ठीक बोले। आपने मुण्डका ला दिया अब आपका जवाब आ जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यों से यह आग्रह करूंगा कि उनके आसपास जो भी MPCC पड़ते हैं। उसके लिए वे जो जो कुछ कराना चाहते हैं। वे उसे रिकमंड करके हमें भेजें और उसकी एक कॉपी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी भेज दें ताकि उस पर कार्रवाई हो सके।

अध्यक्ष महोदय : श्री बलराम तंवर जी।

श्री मनोज कुमार : अध्यक्ष जी, यह विषय बहुत गंभीर है। पूरी दिल्ली के अंदर इस तरह के जितने कम्युनिटी सेंटर बने हुए हैं और कम से कम सौ,

सवा सौ बने हुए हैं। अध्यक्ष जी, ये सारे के सारे बर्बाद हो रहे हैं। केवल इसी वजह से कि जिस वजह से वो बनाया गया था, उस उद्देश्य को छोड़ दिया गया। वो बंद हो गया और इस वजह से वहां पर आज वो खंडहर बने हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : शौकीन साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसा मंत्री जी ने कहा है कि जिस जिस क्षेत्र में ये बने हुए हैं और उनकी हालत खराब हो रही है। आप उनके बारे में लिखकर भेज दें तो उनके उपयोग के लिए कोई न कोई उपाय सोच लेंगे।

श्री मनोज कुमार : अध्यक्ष जी, यहां पर काम कराने की जिम्मेदारी तो ग्रामीण क्षेत्र विकास बोर्ड और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है लेकिन तकनीकी शिक्षा का क्योंकि यह क्वेश्चन मैंने पूछा है। अध्यक्ष जी, आप दोनों मंत्रियों को अपने चैम्बर में बुलाकर के या कोई मीटिंग कराकर के वो सरकार की संपत्ति बर्बाद हो रही है। उसको बचाने की आवश्यकता है और वो नौजवान उसका लाभ उठा सकते हैं। अध्यक्ष जी, उनको लाभ देने की आवश्यकता है। अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर विषय है।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक बात है।

श्री मनोज कुमार : अध्यक्ष जी, ये पिछले 15 साल से ठप्प पड़ी हैं।

अध्यक्ष महोदय : दोनों मंत्री जी मीटिंग बुला लेंगे। वे आप लोगों को भी बुला लेंगे। तब उसका कोई समाधान निकल आएगा। श्री बलराम तंवर।

श्री बलराम तंवर : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो गांवों में MPCC बनाई गई। यह गांव वालों के फायदे के लिए बनाई गई थी ताकि वो इनमें शादी ब्याह कर सकते हैं। लेकिन यह भी आपको

मालूम है कि गांवों में जगह भी बहुत कम रह गई है। जिन गांवों में MPCC बनी थी वो गांव के काम में न आकर दिल्ली सरकार द्वारा उनको एन.जी.ओ. को दे दिया गया है और गांव वाले परेशान हैं। पहले घरों में शादियां हो जाती थीं, लेकिन अब जगह रही नहीं है। यह मैं मानता हूं कि कुछ सालों तक वो जगह गांव वालों ने यूज नहीं की। लेकिन अब उन गांव वालों के लिए कोई जगह शादी ब्याह के लिए नहीं है। इसका भी कोई तरीका बनाया जाए कि जो MPCC गांव वालों के लिए बनी है वो उन्हीं के काम में आए। मैं यह मंत्री जी से जानना चाहता हूं। एन.जी.ओ. को देने से तो वो जगह गांव वालों से तो चली गई है। अब उनको कोई फायदा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह तंवर साहब आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन यह पूरी दिल्ली का विषय है। जैसा आपने कहा और नए सिरे से इस पर यह सोचना होगा कि बहुत सारी MPCCs ऐसी जगह पर बन गई हैं, जहां न शादी हो सकती है और न कोई और फंक्शन हो सकता है। वो गांव से बहुत दूर बनी हैं और कई ऐसी हैं जो गांव के पास भी हैं तो उनकी भी हालत ठीक नहीं है। मैं रेवेन्यू मंत्री जी और दूसरे मिनिस्टर साहब से आग्रह करूंगा कि उन दोनों मिनिस्टर साहब के साथ बैठकर इस पर कोई कार्रवाई करने की बात सोचें। चौधरी सुरेन्द्र कुमार।

चौ. सुरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कई सामुदायिक भवन, कई चौपाल में कई कमरे खाली होते हैं। क्या उनमें लाइब्रेरी चालू की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : स्वास्थ्य मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष जी, यह मुण्डका से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह बिष्ट साहब।

श्री मोहन सिंह बिष्ट : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मुण्डका विधान सभा क्षेत्र के अंदर ये बहुउद्देशीय केंद्र बनाए गए थे। ये सिर्फ इसलिए बनाए गए थे क्योंकि जब गांव के अंदर टेक्नीकल शिक्षा दूसरी, तीसरी या कोई पशुओं के इलाज इत्यादि की कितने हॉस्पीटल में यह व्यवस्था थी। 1998 तक उनकी डिटेल बताने की कृपा करें। कितनों में यह सुविधा है और कितनों में यह सुविधा नहीं है।। यह बतलाने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय : स्वास्थ्य मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष जी, मैंने माननीय सदस्य को यह कहा है और यह जानकारी भी देना चाहूंगा कि हम पिछले 10 साल से यह प्रयास कर रहे थे कि इनकी सही utilization हो और उसके लिए कहीं utilization नहीं हो पाया। हम ने एन.जी.ओज से भी रिक्वैस्ट की कि वो इसको टेक अप कर लें और वहां पर जो भी फैसिलिटी आसपास के गांव में दे सकते हैं वो उनको उपलब्ध कराएं। यदि आप लोगों के पास कोई कंकरीट सजैशन हैं तो वो हमें जरूर लिखकर दें तो हम उसके ऊपर बातचीत करके हल करेंगे। अब MPCC outer Delhi में है और ईस्ट दिल्ली से चिंता कर रहे हो। अब जिसके एरिया के अंदर है वो यह बताए और हम उसको टेक अप करेंगे।

...अंतरबाधाएं...

श्री मोहन सिंह बिष्ट : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सभापुर गांव के अंदर जो बहुउद्देशीय

भवन का निर्माण हुआ था वो सिर्फ इसलिए हुआ था ताकि वहां पर बच्चों को कोई टैक्नीकल शिक्षा मिल जाए। वहां पर हॉस्पीटल का निर्माण किया जाए। वो ठीक कह रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : हां, यह बात ठीक है।

श्री मोहन सिंह बिष्ट : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप तैयार होकर आया करो।

...अंतरबाधाएं...

श्री मोहन सिंह बिष्ट : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास रिकार्ड नहीं है।

...अंतरबाधाएं...

अध्यक्ष महोदय : यमुना पार में भी तो...।

...अंतरबाधाएं...

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी की बात को सुन लीजिए।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष जी, ये यहां के पुराने मेम्बर हैं इनको चाहिए था कि वो सजेस्ट करते, अब जब यह पांच साल पूरे होने को आ रहे हैं, आप अभी तक क्या कर रहे थे, मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहूंगा कि अभी तक पांच साल व्यतीत हो गए, आपने अभी तक कोई सजेशन नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न श्री साहब सिंह चौहान।

श्री साहब सिंह चौहान : प्रश्न संख्या 223 प्रस्तुत है :

क्या **लोक निर्माण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि घोंडा विधान सभा क्षेत्र से संबंधित कई कार्यों के अनुमान बनाकर पीडब्ल्यूडी के नीचे के अधिकारियों ने पीडब्ल्यूडी सचिवालय को उसकी संस्तुति/स्वीकृति हेतु भेजे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से अनुमान हैं जो पीडब्ल्यूडी सचिवालय में लंबित हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि पीडब्ल्यूडी सचिवालय स्वीकृति देने में अनावश्यक काफी समय लगा देता है और परिणामस्वरूप क्षेत्र की जनता काफी लंबे समय तक सुविधाओं से महरूम रहती है; और

(घ) घोंडा विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौन से अनुमान तथा कब-कब से पीडब्ल्यूडी सचिवालय में हैं तथा कब तक उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

लोक निर्माण मंत्री : महोदय, प्रश्न संख्या 223 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) जी हां।

(ख) प्राक्कलन (1) सर्विस रोड के दक्षिण भाग को आर.डी. 800 मीटर से लेकर 2500 मीटर के बीच चौड़ीकरण करने के साथ-साथ इसमें रोड नं. 59 की हरित पट्टी की अनुमानित लागत रु. 6,04,71,400 है जो कि दिनांक 19.2.2013 को अनुमोदन हेतु भेजा जा चुका है।

(ग) प्राक्कलन (2) पूर्व दिल्ली नगर निगम से ली गई यमुना विहार डिवाइडिंग रोड और डीटीसी डिपों के रोड और ड्रेनेज सिस्टम के सुधारीकरण की अनुमानित लागत राशि रु. 7,13,67,100 है जो कि दिनांक 8.2.13 को अनुमोदन हेतु भेजा जा चुका है।

(घ) प्राक्कलन कार्यालयी प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृति किए जाते हैं तथा कई बार आवश्यक जांच-पड़ताल एवं स्पष्टीकरण देने की वजह से भी देरी होती है। इसका प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति माह अप्रैल, 2013 तक मिलने की उम्मीद है।

अध्यक्ष महोदय : चौहान जी।

श्री साहब सिंह चौहान : अध्यक्ष जी, जो माननीय मंत्री जी ने प्राक्कलन नं. 1, 2 जो एस्टीमेट पहला है 19 फरवरी, 2013 को इन्होंने कहा कि सचिवालय भेजा है, ये तो आपके चुनावों से पहले 15 करोड़ का एस्टीमेट भेजा गया था, उसके बाद में फिर 8 करोड़ का हुआ और अब यह 19 फरवरी, 2013 में भेजा है और दूसरा जो यह बाद का है, मैं आपके सचिवालय की परफारमेंस पर प्रश्न लगा रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ लगा रहा हूं जो 'पी' शब्द, मैं इस 'पी' शब्द से प्रेरित होकर कह रहा हूं। यह एस्टीमेट पता नहीं कैसे पास होते हैं, क्या इस सचिवालय को किसी तरह से सुधारेंगे आप? मैं आप से पूछना चाहता हूं इसके टेंडर कब तक आमंत्रित हो जाएंगे और कब वर्क अवार्ड हो जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री : मैंने चौहान जी को बड़ा ही सीधा-सीधा जवाब दिया। इसकी प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति की माह अप्रैल, 2013 तक मिलने की उम्मीद है और जैसे ही सैंक्शन आएगी, वैसे ही टैंडर कर देंगे। यह ठीक बात है कि एक करोड़ में हमें समय लगा है लेकिन एक करोड़ तो हमारे पास जनवरी में ही कारपोरेशन से आया

है। लेकिन यह विश्वास है कि इसका जल्दी से जल्दी सैंक्शन कर के, टेंडर करके और आपके इस काम को करेंगे और यह नहीं है कि आपके क्षेत्र में काम नहीं हुआ, 28.44 करोड़ के काम 2012 में किए हैं।

श्री साहब सिंह चौहान : महोदय, इस परफारमेंस को मंत्री जी से और हमारे चैयरमैन यहां पर हैं नहीं पीएसी के I am the member of the public accounts committee क्या, जो सचिवालय इन कामों को करता है 2008 से लेकर के अब तक तो क्या इसकी ऑडिट, यानि परफारमेंस पीएसी के द्वारा ऑडिट कराई जाए ?

लोक निर्माण मंत्री : सर, जब मैं स्वयं कह रहा हूं कि कोई आब्जेक्शन लगते हैं, उसकी वजह से डिले होता है, कोई एकाध केस के अंदर यह बात होती है, जैसे दूसरा केस है, वो तो जनवरी में आया है, हमने उसको फरवरी में भेज दिया, उसमें कुछ ऑब्जेक्शन थे वो भी क्लीयर करके भेज दिए, और प्रश्न के उत्तर में लिखित में आपको दे रहा हूं कि मैं अप्रैल तक इसकी सैंक्शन दिलवा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न श्री रमेश बिधूड़ी (अनुपस्थित), श्री सत प्रकाश राणा (अनुपस्थित), श्री अनिल कुमार (अनुपस्थित), क्या बात है कोई नहीं है क्या? श्री विपिन शर्मा (अनुपस्थित), श्री ओ. पी. बब्बर साहब।

श्री ओ. पी. बब्बर : अध्यक्ष महोदय, **प्रश्न संख्या 228** प्रस्तुत है:

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आईटीआई भवन तिलक नगर में 7,88,300 रु. की बची हुई आबंटित राशि से किए जाने वाले कार्यों का निरीक्षण लोक निर्माण विभाग के अभियंता द्वारा किया गया है;

(ख) लोक निर्माण विभाग को आवंटित धनराशि से किए जाने वाले शेष कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या कम्प्यूटर एवं टैक्स्टाईल डिजाइनिंग कक्ष की फलोरिंग और भवन के रख-रखाव के कार्यों के अनुमान प्राप्त कर लिए गए हैं; और

(घ) आईटीआई भवन में दो मंजिला एसपीएस के प्रावधान के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, **प्रश्न संख्या 228** का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) जी हां।

(ख) लोक निर्माण विभाग को आवंटित धनराशि से किए जाने वाले कार्य जैसे फॉलस सिलिंग आदि का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है और लोक निर्माण विभाग ने इसे शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया है।

(ग) जी हां।

(घ) एसपीएस इमारत बनाने के संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक दिनांक 18.12.2012 को आईटीआई तिलक नगर परिसर में संपन्न हुई है जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के निरीक्षण के पश्चात इसका ब्यौरा दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : बब्बर जी।

श्री ओ. पी. बब्बर : महोदय, जब आप कह रहे हैं कि दिसंबर में मीटिंग हुई थी और उसके बाद भी वहां पर कोई कार्य नहीं हुआ और कोई निश्चित तारीख इस काम के लिए जो डबल स्टोरी बनानी है, बाकी का जो मेंटेनेंस का काम है उसका कोई निश्चित दिनांक दे दें कि वो तब तक पूरा हो जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहूंगा कि सीलिंग का कार्य फरवरी, 2013 में शुरू किया था, आधा काम पूरा होने के बाद यह पाया गया कि उसमें इलैक्ट्रिक वर्क करने की जरूरत है, उसके लिए 91373 रुपये का एस्टीमेट बनवा दिया गया जो कि टैक्नीकल विभाग द्वारा अप्रूव किया जाना है जैसे ही वो हो जाएगा।

श्री ओ. पी. बब्बर : जो डबल स्टोरी बन रही है उसका क्या, वो कब तक काम शुरू हो जाएगा?

स्वास्थ्य मंत्री : महोदय, मैं उसकी टैक्नीकल फिसीबिल्टी की जानकारी लेकर के मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री जय भगवान अग्रवाल जी।

श्री जयभगवान अग्रवाल : अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 229 प्रस्तुत है,

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीटीयू के प्रबंधन बोर्ड को तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर इसका पुनर्गठन किया गया है, यदि नहीं, तो कब तक किया जाएगा;

(ख) 12 जुलाई, 2012 से अब तक बोर्ड की कितनी मीटिंग हुई हैं, क्या इस बोर्ड की कितनी मीटिंग हुई है, क्या इस बोर्ड के निर्णय वैधानिक होंगे, यदि नहीं तो इनको अमान्य करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(ग) संशोधित डीटीयू एक्ट 2012 के अंतर्गत सरकार ने प्रथम संविधि में क्या परिवर्तन किए हैं, यदि नहीं तो कब तक परिवर्तन किए जाएंगे; और

(घ) क्या डीटीयू एक्ट की धारा 53 में कुलाधिपति (उपराज्यपाल) द्वारा विभागाध्यक्षों के संदर्भ में 23.10.2012 को आदेश डीटीयू बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा लागू कर दिया गया है, यदि नहीं तो कब तक लागू किया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, **प्रश्न संख्या 229** का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) डीटीयू के प्रबंधन बोर्ड के पुनर्गठन करने का कोई प्रावधान डीटीयू एक्ट 2009 में नहीं है। डीटीयू के प्रबंध बोर्ड में कुल 14 सदस्य, जिनमें से मनोनीत सदस्यों (आठ) को कार्यकाल तीन वर्ष रखा गया है। पहले प्रबंधन बोर्ड के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 03.09.2012 को पूर्ण हो गया है। कुलाधिपति द्वारा तीन वशिष्ठ सदस्यों का मनोनयन हो चुका है। शेष सदस्यों के मनोनयन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) 12.07.2012 से प्रबंधन बोर्ड की दो मीटिंग क्रमशः दिनांक 16.8.12 की मीटिंग प्रबंधन बोर्ड के कार्यकाल के अंतर्गत हुई है। 2.10.2012 की मीटिंग विश्वविद्यालय (डीटीयू) प्रथम दीक्षांत समारोह को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई थी। इस मीटिंग में अन्य विषयों पर लिए गए निर्णयों को प्रबंधन बोर्ड की अगली मीटिंग, जिसमें नए मनोनीत सदस्य होंगे, के समक्ष पुनः विचार हेतु रखा जाएगा।

(ग) प्रथम संविधि में कोई परिवर्तन नही किया गया है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(घ) माननीय उपराज्यपाल जी द्वारा दिए गए आदेश के संदर्भ में डीटीयू के कुलपति द्वारा स्पष्टीकरण देने हुए पुनर्विचार हेतु अनुरोध किया गया है। यह मामला माननीय उपराज्यपाल जी के पास विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : चौहान साहब।

श्री साहब सिंह चौहान : महोदय, कुलवंत जी कह रहे हैं, मत पूछो।

अध्यक्ष महोदय : पूछ नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न श्री जसवंत सिंह राणा।

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवंत राणा।

श्री जसवंत राणा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 230 प्रस्तुत है, क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि नरेला तथा आसपास के क्षेत्र में कोई भी कन्या महाविद्यालय नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सिंधू बार्डर के पास खाली पड़ी भूमि पर कन्या महाविद्यालय खोले जाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो उक्त महाविद्यालय कब तक खोल दिया जाएगा; और

(घ) स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज अलीपुर में नए भवन का निर्माण कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, **प्रश्न संख्या 230** का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) जी नहीं, दिल्ली सरकार द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान प्राप्त अदिति महाविद्यालय औचंदी रोड बवाना में स्थित है जो कि नरेला क्षेत्र के समीप है। यह महाविद्यालय केवल कन्याओं हेतु है।

(ख) इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(घ) यह कार्य दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा होना है।

अध्यक्ष महोदय : राणा जी।

श्री जसवंत सिंह राणा : महोदय, जैसे मंत्री जी कह रहे हैं कि वहां पर विद्यालय की जरूरत नहीं हैं, मेरा बहुत बड़ा विधान सभा का एरिया है और काफी जनसंख्या है और मैं लड़कियों के एक महा कन्या विद्यालय जीटी रोड पर एक जमीन खाली पड़ी है, उस जमीन का इस्तेमाल करने के लिए कह रहा हूं, हमारे देहात की लड़कियां पढ़ भी सकेंगी, मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि इस मामले को आगे बढ़ाया जाए क्योंकि नरेला विधान सभा देहात का विधान सभा क्षेत्र है, ताकि कन्याओं का भला हो सके।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बात कही है हम उसको एग्जामिन करा लेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि वहां यह फैसिलिटी उपलब्ध करा सकें।

अध्यक्ष महोदय : श्री मनोज शौकीन जी।

श्री मनोज शौकीन : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि पिछले लगभग 14 साल हो

गए, जो बाहरी दिल्ली ग्रामीण क्षेत्र है उसके अंदर क्या कोई कन्या विद्यालय खोला गया और क्या यह भी सत्य है कि क्या बाहरी दिल्ली रोहतक रोड घेवरा मोड़ के ऊपर लगभग 150 एकड़ जमीन एक्वायर की गई थी उसके अंदर पांच-सात एकड़ छोड़ दो तो बाकी जमीन खाली पड़ी है पिछले 15 साल हो गए अध्यक्ष जी, क्या सरकार ने कोई योजना आज तक बनाई है उसके ऊपर कोई विद्यालय बनाने की, कोई भी महाविद्यालय बनाने की और अगर नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष जी, यह नरेला का क्वेश्चन है पूरी दिल्ली का नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह महाविद्यालय से संबंधित है। आप बोल दीजिए।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष जी, मैं इनको इसकी जानकारी लेकर दे दूंगा।

श्री मनोज शौकीन : अध्यक्ष जी, जानकारी लेकर दे दूंगा...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री कुलवंत राणा जी। मनोज जी, जानकारी लेकर दे देंगे।

श्री मनोज शौकीन : जहां पूरे देहात के अंदर ग्रोथ सेंटर बनने थे ...**(व्यवधान)** अध्यक्ष जी, उसकी वजह से कंझावला, बापरौला और कापसहेड़ा उनके अंदर स्टेडियम भी बनने थे, कॉलेज भी बनने थे, इंस्टीट्यूट भी बनने थे, यह सारा का सारा 1998 के बाद पूरा का पूरा एरिया है जो है ऐसे बर्बाद हो गया, अध्यक्ष जी खाली पड़ा है और कोई सोच नहीं रहे। वहां पर कहते हैं भई जगह नहीं है, जहां जगह है वहां बना नहीं रहे। अध्यक्ष जी, देहात को नजरअंदाज किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कुलवंत राणा जी।

श्री कुलवंत राणा : अध्यक्ष जी, जैसे जसवंत राणा जी ने बताया कि नरेला में कन्या महाविद्यालय की आवश्यकता है, अध्यक्ष जी, क्या यह सत्य है जैसे नरेला, नरेला के साथ-साथ, नरेला से लेकर के बदरपुर तक मात्र दो कन्या महाविद्यालय हैं इसमें बवाना में और एक कैर में। क्या यह सत्य नहीं है कि नरेला की जिस प्रकार से इन्होंने मांग की नरेला में जनसंख्या के आधार पर और ग्रामीण क्षेत्रों की जो बेटियां हैं वो बारहवीं के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती और अशिक्षित ज्यादा रहती है तो उनको शिक्षित करने के लिए क्या हमें इस प्रकार के महाविद्यालयों की स्थापना और अधिक नहीं करनी चाहिए। अध्यक्ष जी, जैसे बवाना में जो महाविद्यालय चल रहा है, उस महाविद्यालय में सुविधाओं का घोर अभाव है, वहां भवन नहीं है और एक स्कूल के परिसर में वो महाविद्यालय चल रहा है, उस महाविद्यालय के भवन का निर्माण कब होगा, यह भी बताएं मंत्री जी।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो ग्रामीण एरिया के बारे में बात कही है, हम वहां पर जमीन के लिए और प्रयास करेंगे और जो कोई भी हमारा साथी हमारे विधायक जो हैं चाहते हैं कि वहां महाविद्यालय खोला जाए तो उसके लिए आप जो जगह रिकमंड करेंगे उसको हम एग्जामिन करा लेते हैं और उसके बाद वहां विद्यालय खोलने का पूरा प्रयास करेंगे।

श्री मनोज शौकीन : अध्यक्ष जी, पिछले चार साल निकल गए जमीन **...(व्यवधान)** अध्यक्ष जी, जहां जमीन है वहां क्यों नहीं खोले जा रहे हैं। पिछले चौदह-पंद्रह साल के अंदर क्या कोई विद्यालय या महाविद्यालय उस क्षेत्र के अंदर

खोला है, उसका भी जवाब नहीं दिया अध्यक्ष जी, हम चुनकर आए हैं यहां पर चुप बैठने के लिए थोड़ी...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मनोज जी...**(व्यवधान)**

श्री कुलवंत राणा : अध्यक्ष जी, मैंने पूछा था आपके माध्यम से मंत्री जी कि महाविद्यालय का भवन निर्माण क्यों नहीं हो रहा?

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट, एक मिनट...**(व्यवधान)**

श्री मनोज शौकीन : अध्यक्ष जी, यह पहले हायर एजुकेशन जिस भी मंत्री के पास रहा, वहां पर ठीक से काम नहीं देखा गया तो इसी वजह से पूरा का पूरा ग्रामीण क्षेत्र...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बैठिए। देखिए, मंत्री जी ने कहा है कि आप हमें जगह बतला दीजिए उसके बाद हम उस पर विचार करके आपकी भावनाओं के अनुसार कुछ न कुछ करेंगे।

श्री मनोज शौकीन : अध्यक्ष जी, घेवरा मोड़ पर...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : घेवरा मनोज जी के एरिया में है तो मनोज शौकीन जी एक लैटर लिख दें तो उस पर कार्रवाई होगी।

श्री मनोज शौकीन : अध्यक्ष जी, हर विधान सभा के सत्र में...**(व्यवधान)**

श्री कुलवंत राणा : अध्यक्ष जी, चौहद साल हो गए, चौदह साल में ...**(व्यवधान)**

श्री मनोज शौकीन : अध्यक्ष जी, वो कहते हैं कि हमारे पास जगह

ही नहीं है, वो ही जवाब मिलता है। सरकार ग्रामीण क्षेत्र को बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है...**(व्यवधान)**

श्री कुलवंत राणा : अध्यक्ष जी, चौदह साल से दो भूखंड मेरे यहां पर...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने कहा है कि आप प्रपोजल भेज दीजिए...**(व्यवधान)**

श्री कुलवंत राणा : सर, भेजा हुआ है, बात भी की है।

अध्यक्ष महोदय : एक बार फिर भेज दीजिए आज यदि इन्होंने कह दिया है तो।

श्री कुलवंत राणा : सर, मीटिंग भी की है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री जी से...**(व्यवधान)**

श्री मनोज शौकीन : अध्यक्ष जी, शिलान्यास भी हुआ है 1997-98 में उसके बावजूद वहां कुछ नहीं किया गया, आज कहते हैं कि जगह बताओ, जहां पर एक सरकार आ जाती है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सुनिए, हां बोलिए मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहूंगा कि जितनी भी हमारे पास लैंड एवेलेबल है, चाहे घेवरा मोड़ की कह रहे हैं या और भी जो लैंड एवेलेबल है, रोहिणी की भी उसकी हम रेग्युलर मीटिंग कर रहे हैं, कइयों में लैंड यूज चेंज कराना है, डीडीए को अप्लाई कर दिया है तो हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो है और कॉलेज खोले जाएं। पिछले कई टाइम

से जो भी प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं उन सब को हम एक-एक करके टेक-अप कर रहे हैं। हमने आपकी मीटिंग भी रखी थी उसके अंदर भी डिस्कस किया गया रोहिणी के बारे में भी, इनके यहां भी तीन-चार प्रोजेक्ट्स हैं तो हमारा पूरा प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी जो है उनका लैंड यूज चेंज कराकर उनके कार्य जो हैं शुरू कराएं।

श्री कुलवंत राणा : अध्यक्ष जी, लैंड यूज चेंज है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : राणा जी, बैठिए।

श्री कुलवंत राणा: सर, वो लैंड यूज के साथ अलॉट है डीडीए से, उसी यूज के लिए है, सेम यूज के लिए है, लैंड यूज तो मैटर ही नहीं करता उसमें।

अध्यक्ष महोदय : बैठिए। देखिए उन्होंने कैटेगरीकली आपसे आग्रह किया है कि आप प्रपोजल भेज दीजिए उस पर विचार होगा और मैं भी आपकी तरफ से उनसे आग्रह कर रहा हूं देहात में कॉलेजेज वैसे ही कम है और विशेषकर के लड़कियों के कॉलेजेज की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। तो मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमारे विधायकों की भावनाओं को आदर देते हुए इस पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री मनोज शौकीन : अध्यक्ष जी, एक मीटिंग मंत्री जी ऐसी बुला लें, हम सब ग्रामीण क्षेत्र के विधायक आ जाएं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है बुला लेंगे मीटिंग। सुनील वैद्य जी। सुनील वैद्य नहीं है। श्री श्रीकृष्ण त्यागी।

श्री श्रीकृष्ण त्यागी : अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 232 प्रस्तुत है–

क्या **लोक निर्माण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) किसी गली का निर्माण कार्य एससी/एसटी कल्याण विभाग द्वारा करवाने के लिए उस गली में न्यूनतम कितनी एससी/एसटी/ओबीसी जनसंख्या का होना अनिवार्य है, इसका अलग-अलग विवरण क्या है;

(ख) एक वित्त वर्ष में एससी/एसटी कल्याण विभाग द्वारा गलियों के निर्माण कार्य करवाने के लिए किसी विधान सभा क्षेत्र में कितनी धनराधि आबंटित की जाती है;

(ग) उक्त आबंटित धनराशि से गलियों का निर्माण कार्य कौन से विभाग द्वारा करवाना आवश्यक है;

(घ) एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग कल्याणार्थ बनाई गई योजनाओं का विवरण क्या है; और

(ङ) बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग के कल्याणार्थ योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित अधिकारियों के नाम, पता व मोबाइल नं. का विवरण क्या है?

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष जी, **प्रश्न संख्या 232** का उत्तर प्रस्तुत है–

(क) किसी गली के निर्माण के लिए उक्त एरिया में न्यूनतम 33 प्रतिशत केवल अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी होनी चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यह मान्य नहीं है।

(ख) धनराशि का आबंटन विधान सभा क्षेत्रानुसार नहीं किया गया है। पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाता है। सिर्फ बाढ़ नियंत्रण विभाग एवं

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा प्रस्ताव आने के बाद निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुपालन के बाद उक्त प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है।

(ग) उक्त प्रस्ताव सिर्फ बाढ़ नियंत्रण विभाग एवं दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के द्वारा करवाया जाता है।

(घ) योजनाओं की सूची संलग्न है।

(ङ) विभाग द्वारा योजनाएं विधान सभा क्षेत्रानुसार कार्यान्वित नहीं की जाती है। इस विभाग के योजनाओं के क्रियान्वयन अधिकारियों के नाम व पते मोबाइल नंबर निम्नलिखित है–

1. श्री मनोज कुमार, उप निदेशक (छात्रवृत्ति एवं क्रियान्वयन) 9289236129, 011-23378164

2. श्री के. पी. रंगारी, उप निदेशक (योजना) 9868917674, 011-23379513

अध्यक्ष महोदय : त्यागी जी।

श्री श्रीकृष्ण त्यागी : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि एक मीटिंग हमारे क्षेत्र में जो एससी/एसटी का काम होना है उसके लिए जल्दी एक मीटिंग अरेंज करें और बैठकर समस्याओं का समाधान कर लें।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष जी, मीटिंग कॉल कर लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री नसीब सिंह जी।

श्री नसीब सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1993 से 1998 में एससी/एसटी बस्तियों पर कितना पैसा खर्च किया

गया और 1998 से 2003 तक कितना पैसा खर्च किया गया, 2003 से 2008 तक कितना पैसा खर्च किया गया और 2008 से 2013 तक कितना पैसा एससी/एसटी की बस्तियों पर दिल्ली की सरकार ने इन क्रमों में खर्च किया है। अब जो चौथा विधान सभा का कार्यकाल चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष जी, 1993 से 1998 का तो मुझे याद है क्योंकि बार-बार प्रश्न के आंसर दिए हैं। दो, ढाई करोड़ रुपया उस वक्त खर्च हुआ था। लेकिन अभी जो पांच वर्ष का खर्च है जो हमने सैंगशन दी हैं मैं उसकी डिटेल दे देता हूं। 1998 से 2003 तक और 2004 से 2008 तक का मैं आपको बाद में दे दूंगा। वर्ष 2008 और 2009 में जो हमने सैंगशन दी हैं 23 करोड़ 99 लाख 82 हजार रुपये की। मैं आपको पर ईयर का बता रहा हूं। वर्ष 2009-2010 में 19.82 करोड़ रुपये।

श्री एसपी रातावाल : xxx

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। रातावाल साहब, यह कार्रवाई में नहीं आ रहा है।

लोक निर्माण मंत्री : 2010-11 में 1387 लाख, 2011-12 में 3066 लाख यानी की 30 करोड़ 66 लाख 12 हजार और 2012-13 में 46 करोड़ 94 लाख 21 हजार ये हमने पिछले पांच सवालों में सैंक्शन दी हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह बिष्ट।

(xxx चिह्नित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेश से कार्यवाही से निकाले गए।)

श्री मोहन सिंह बिष्ट : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह सत्य है कि हरिजन बस्तियों की आबादी जैसा कि आपने प्रश्न के उत्तर में कहा कि 33 परसैंट के आधार पर तैयार किया जाता है। बहुत सी ऐसी बस्तियां हैं वहां अधिकतर हरिजन बस्ती लोगों की आबादी ज्यादा है, उनको ईबी में नहीं जोड़ा गया है। क्या सरकार जिनके ईबी में नहीं जोड़ा गया है, उनमें क्या विकास कार्य करेंगे, या नहीं, मैं यह आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष जी, यूं तो हम लोग सेंसिज 2001 के आधार पर हम 33 परसैंट जहां भी एससी/एसटी की आबादी है वहां पर हम एससी/एसटी फंड से काम करते हैं। वैसे बहुत कम इस तरह के केसिज आते हैं जहां पर 2001 के सेंसिज में नहीं है अब 2011 का सेंसिज भी आ रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह मिलती है तो अध्यक्ष जी, हम इसका एक सर्वे कर सकते हैं कि क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वहां पर उनके एससी सर्टीफिकेट कलैक्ट करके उसके आधार पर भी हम लोग वहां पर व्यवस्था कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री माला राम गंगवाल।

श्री माला राम गंगवाल : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो ईबी बनी थी जिसके ऊपर एससी/एसटी बस्तियों का 33 परसैंट का जहां पर रिहायश हो वहां पर उन लोगों के काम किए जा सकते थे, उसके बाद 2011 के अंदर सर्वे हुआ तो क्या वो सर्वे की ईबी आ चुकी है या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष जी, जो अभी 2011 का सर्वे है वो हम लोगों को अभी प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन अभी तक 2001 के सेंसिज के मुताबिक 33 परसैंट पर काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुनील वैद्य, प्रश्न संख्या 231 प्रस्तुत करेंगे।

श्री सुनील वैद्य : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या-231 प्रस्तुत है।

231. श्री सुनील वैद्य : क्या **लोक निर्माण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिलोकपुरी विधान-सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान कौन-कौन से विकास कार्य किए गए;

(ख) भविष्य में उक्त विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से विकास कार्य करने की योजना है;

(ग) न्यू अशोक नगर स्थित हिंडन कैनाल के आस-पास लंबित कार्य कब तक शुरू हो जाएंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्र. सं. 231 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) एवं (ख) 1. रु. 26.57 करोड़ के 6-कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

2. रु. 41.56 करोड़ के कार्य प्रगति पर हैं।

3. रु. 0.20 करोड़ के कार्य प्रस्तावित हैं।

विस्तृत विवरण संलग्न 'क' के अनुसार है।

(ग) एवं (घ) न्यू अशोक नगर स्थित हिंडन कैनाल के आस-पास विकास कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग द्वारा दिल्ली सरकार को 1318.34 लाख रुपये के प्राक्कलन भेजे गए थे किंतु दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 17.08.2011 को इस विषय में निम्न निर्णय लिया गया कि

1. यू.पी. सरकार जमीन का हस्तांतरण दिल्ली सरकार को कर दे या

2. यू.पी. सरकार अपने फंड से विकास कार्यों को कराए या

3. यू.पी. सरकार का सिंचाई विभाग इन कार्यों को करने के लिए दिल्ली लोक निर्माण विभाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी) प्रदान करें।

दिल्ली सरकार के निर्णय से उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को दिनांक 03.09.2011 एवं पुनः 28.05.2012 को अवगत करा दिया गया था जिस पर आगे की कार्रवाई उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से अपेक्षित है।

संलग्नक 'क'

श्री सुनील कुमार वैद्य, विधायक, त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा पिछले पांच वर्षों में किए गए विकास कार्यों का ब्योरा

(a) List of Completed works

S.No.	Name of work	Approx Amt. in crore	Date of Starting	Date of completion	Whether MCD or PWD Road & When taken over
1	2	3	4	5	6
1.	Widening and strength erning of Road Along Ghaziput drain.	13.55 crore	-	30.04.2011	PWD
2.	Extension of Road Along Ghazipur drain from M.P. Road 111 intersection of U.P. Link road (Four laces of balance length 550) & bridge over shahdra drain connection to U.P. Link Road.	4.37 crore	-	30.08.2010	-do-

1	2	3	4	5	6
3.	Re-Surfacing by Hot-in-Situ recycling of existing bituminous layer of various road under maintenance Zone M-2. (Road No. 111, 112, 113 under Divison M-212)	1.60 crore	-	March- 2012	-do-
4.	Improvement, Strengthening and Re-development Right of way (ROW) i/c Improvement of drainage system of M.P. Road near East End Appt. at New Ashok Nagar, Delhi, SH:-Improvement Strengthening and Re-development Right of way (ROW) i/c Improvement of drainage system	2.24 crore	-	Oct. 2012	-do-
5.	C/o 3 days Fire Station at Mayur Vihar Ph-I. Distt. Centre	3.41 crore	05.09.2009	31.08.2010	-do-
6.	C/o Police post at OCF. Pocket Near Pocket B at Mayur Vihar,Ph-II. Delhi	3.41 crore	01.06.2009	31.07.2010	-do-
	Total	**26.57 Crores**			

(b) List of works in progress

1	2	3	4	5	6
1.	Improvement and strength ening of Kotla Road Taken over form MCD Delhi. (Party in Trilokpuri Constituency)	12-19 Crore	11-12-12	10-07-13	MCD (April 2012)
2.	Road No. 1:- Improvement and strengthening of Khichripur road from Kondli Bridge to Mother Dairy Taken over from MCD Delhi. (Kondli Costituency)	15.66 Crore	14.11.12	13.06.13	MCD (April 2012)
	Road No. 2:- Improvement and strengthening of Road form Block No. 35 to 17 Trilokpuri (Mahrishi Balmiki Marg) Taken over from MCD Delhi. (Trilokpuri constituency)				
	Road No. 3:- Improvemnt and strengthening of Road from Block No. 19 to 13 Trilokpuri Taken over form MCD Delhi. (Trilokpuri Constituency)				

1	2	3	4	5	6
	Road No. 4:- Improvemnt and Strengthening of Ambedkar Marg form Block No. 18 Trilokpuri to Kotla Road taken over from MCD Delhi. (Trilokpuri Constituency).				
3.	Road No. 1:- Improvement and Strengthening of Main Trilokpuri road (Khudi Ram Bose Marg) from Chilla chowk of Naida T-Point over from MCD Delhi. (Handed over to DMRC)	10.81 Crore	12.1.12	13.06.13	MCD (April 2012)
	Road No. 2:- Improvement and strengthening of Pheripheral road form Chilla Chowk to Kotla Village taken over from MCD Delhi. (Trilokpuri constituency)				
	Road No. 3:- Improvement and strengthening of Main Road form Block No. 33 to 19 Trilokpuri Taken over from MCD Delhi. (Trilokpuri constituency)				

1	2	3	4	5	6
4.	Improvement and strengthening of Road from Block No. 36 to Block No. 31 Trilokpuri (Mahrishi Balmiki Marg) Taken over from MCD Delhi. (Trilokpuri constituency)	2.90 Crore	-	A/A & E/ S recently received. TS/ NIT is under preparation	MCD (May 2012)
	Total	**41.56 crore**			

(c) **List of works to be undertaken**

S.No	Name of Work	Approx Amt.	Date of Starting	Date of completion
1.	Development work of roads of roads in unauthorized colony 1369 Pratap Nagar, Near Mayur Vihar, Delhi	0.20 crore	April, 2013	Aug. 2013
	Total	**0.20 crore**		

अध्यक्ष महोदय : श्री सुनील वैद्य।

श्री सुनील वैद्य : अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करनी है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक अनोथराईज्ड कालोनी है, न्यू अशोक नगर। उसके बीच में हिंडन कनाल पड़ती है और वहां काफी आबादी रहती है। हिंडन कनाल के लेफ्ट बैंक पर डेवलपमेंट के लिए पीडब्ल्यूडी ने लगभग 6.5 करोड़ का एस्टीमेट डिपार्टमेंट में जमा कराए हैं। अध्यक्ष जी, मेरा आप से आग्रह है कि मंत्री जी से आग्रह करें और आदेश भी दें कि वो जो लगभग साढ़े पांच, छः करोड़ के एस्टीमेटस लंबित हैं उनमें शीघ्र काम कराएं ताकि वहां की आबादी को इसका लाभ मिले।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा, उत्तर तो मैंने देना है लेकिन जो आप परपोजल बता रहे हैं वो पीडब्ल्यूडी का है या यूपी वालों का है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुनील वैद्य।

श्री सुनील वैद्य : अध्यक्ष जी, पीडब्ल्यूडी ने एस्टीमेट बना कर यूपी से चैक करवा कर आपके डिपार्टमेंट में रखा हुआ है। ढाई साल से फाईल आपके विभाग में है।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष जी, इसका मतलब यह हुआ कि वो यूपी की लाईन पर है। वो मैंने पहले ही बताया कि क्या-क्या कारण हैं, हम यूपी को पैसा नहीं दे सकते।

अध्यक्ष महोदय : नेक्सट क्वेश्चन, श्री अनिल झा।

श्री अनिल झा : अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से प्रश्न संख्या-233 प्रस्तुत है।

अध्यक्ष जी **प्र. सं. 233** प्रस्तुत है :

क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली हाट जैसे कितने व्यापारिक पयर्टन स्थल दिल्ली में हैं ये किस विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे हैं;

(ख) इनकी एंट्री फीस का विवरण क्या है;

(ग) इनके संचालन की प्रक्रिया क्या है तथा पर्यटन विभाग द्वारा आबंटित दुकानों का विवरण क्या है;

(घ) इन हाटों में खाने-पीने के स्टालों का किस प्रकार आबंटन किया जाता है, उनका किराया तथा आबंटित क्षेत्र का विवरण क्या है;

(ङ) दिल्ली के पर्यटन स्थलों व बाजारों को किस विभाग के अधीन संचालित किया जाता है;

(च) दिल्ली में पिछले पांच वर्षों में पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए कहां-कहां पर उत्सव व संगीत के कार्यक्रम, त्यौहार आयोजित किए गए, इन पर पर्यटन विभाग द्वारा कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(छ) पर्यटन विभाग द्वारा उद्यान का संचालन किस प्रकार किया जाता है?

मुख्यमंत्री : अध्यक्ष जी, प्र.सं. 233 का उत्तर प्रस्तुत है।

(क) दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटैड (डी.टी.टी.डी.सी. लिमिटेड) के द्वारा राजस्व अर्जित करने वाले 'दिल्ली हाट' दिल्ली में दो जगह पर संचालित किए जा रहे हैं।

(1) दिल्ली हाट, आई.एन.ए.

(2) दिल्ली हाट, पीतमपुरा

(ख)	(1) दिल्ली हाट, आई.एन.ए. वयस्क	:	रु. 20/-
	बच्चा (5 से 12 वर्ष तक)		रु. 10/-
	(2) दिल्ली हाट, पीतमपुरा वयस्क	:	रु. 10/-
	बच्चा (5 से 12 वर्ष तक)		रु. 02/-

5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का प्रवेश निशुल्क है।

(ग) (1) दिल्ली हाट, आई.एन.ए., का संचालन दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है। 166 क्राफ्ट स्टॉल का आबंटन डेवलपमेंट कमिश्नर (हैंडीक्राफ्ट/हैंडलूम, भारत सरकार) द्वारा एक समय में 15 दिन की अवधि के लिए किया जाता है। आबंटन पॉलिसी की प्रति संलग्न है। (अनुलग्नक-"A")*

(2) दिल्ली हाट पीतमपुरा का संचालन दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड करता है। यहां पर आबंटित क्राफ्ट दुकानों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

ग्रामीण विकास मंत्रालय (भारत सरकार)	–	44 स्टॉल
ट्राईफेड	–	08 स्टॉल
डी.एस.आई.आई.डी.सी.	–	10 स्टॉल
सामाजिक न्याय मंत्रालय (भारत सरकार)	–	24 स्टॉल
पर्यावरण विभाग (दिल्ली सरकार)	–	01 स्टॉल
दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड दिल्ली हाट, पीतमपुरा	–	21 स्टॉल

दिल्ली हाट, पीतमपुरा में इन 21 क्राफ्ट दुकानों का आबंटन दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड द्वारा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाता है।

खान-पान के स्टॉलों का विवरण निम्न 'घ' के अनुसार है।

(घ) (1) दिल्ली हाट, आई.एन.ए. में खाने-पीने के 25 स्टॉल हैं, जिनमें से 16 बड़े (60.39 वर्गमीटर क्षेत्रफल) एवं 9 छोटै (18.36 वर्गमीटर क्षेत्रफल) के हैं। ये सभी स्टॉल विभिनन राज्यों के पर्यटन विभागों/निगमों को 2 वर्ष के लिए आबंटित किए जाते हैं, जिनका किराया क्रमशः प्रतिमाह 26,910/- रुपये + सर्विस टैक्स एवं 14,950/- + सर्विस टैक्स है।

(2) दिल्ली हाट, पीतमपुरा में 20 खाने-पीने के स्टॉल हैं, जिनका आबंटन मासिक किराए के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक स्टॉल का मासिक किराया रु. 10,000/- + सर्विस टैक्स है। वर्तमान में स्टॉल नंबर 1, 4, 6, 11, 13, 14, 15 और 18 इसी आधार पर आबंटित है। बाकी स्टॉल अभी आबंटित नहीं है। यह भी 'पहले आओ पहले पाओ' की नीति पर आबंटित किए जाते हैं। स्टॉल के क्षेत्रफल का विवरण संलग्न है (अनुलग्नक-"B")*

(ङ) दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड दिल्ली में विभिन्न पर्यटन स्थलों और दिल्ली हाटों का संचालन करता है जिसकी सूची निम्नानुसार है-

1. दिल्ली हाट, आई.एन.ए.
2. दिल्ली हाट, पीतमपुरा
3. पंचेन्द्रिय उद्यान, सैयद-उल-अजैब

4. आजाद हिंद ग्राम—टिकरी कलां

5. गुरू तेग बहादुर मेमोरियल—सिंधु बार्डर

6. डी.टी.टी.डी.सी. लिमिटेड नौकायान की सुविधा निम्न स्थलों पर प्रदान करता है :-

i) पुराना किला झील

ii) इंडिया गेट वाटर चैनल

iii) भलस्वा झील

iv) नैनी झील—माडल टाउन

v) संजय झील—मयूर विहार

vi) स्वर्ण जयन्ती पार्क, रोहिणी

(च) दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड द्वारा आयोजित उत्सव, संगीत कार्यक्रमों एवं त्यौहारों का विवरण संलग्न है। (अनुलग्नक-"C")*

(छ) दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड साकेत के पास सैयद-उल-अजैब गांव में एक उद्यान का संचालन करता है। जिसका नाम पंचेन्द्रिय उद्यान है।

इसका संचालन निम्नलिखित माध्यम से होता है—

1. प्रवेश शुल्क टिकट के माध्यम से है, जिसके रेट निम्नलिखित हैं :-

वयस्क	:	रु. 20/-
बच्चे व वरिष्ठ नागरिक	:	रु. 10/-

(5 से 12 वर्ष तक के बच्चे एवं 60 वर्ष के अधिक उम्र के नागरिक)

* पुस्तकालय में उपलब्ध है।

5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रवेश निशुल्क है।

स्कूल के साथ आए हुए बच्चों को 25 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

2. पार्टियों और प्रदर्शनी के लिए कुछ स्थल किराए पर दिए जाते हैं। जिनकी मूल्य सूची संलग्न है। (अनुलग्नक–"D")*

3. उद्यान की व्यावसायिक दुकानें लाइसेंस पर दी गई हैं, जहां से हर तीन माह के बाद 8.68 लाख रूपये आय का प्रावधान है।

4. उद्यान के प्रबंधन के लिए दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड के अपने कर्मचारी कार्यरत हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री अनिल झा।

श्री अनिल झा : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जितने भी टूरिज्म प्वाइंट हैं, उन प्वाइंटों पर जो Event Management Agencies या प्राइवेट पार्टियां या जो शादियां होती हैं उस पर आपकी क्या पालिसी है उन पर Entertainment Department कितना टैक्स वसूलता है, उन टैक्सों से सरकार को सालाना कितना लाभ हो रहा है और उस लाभ की प्रक्रिया के बाद जो फैस्टिवल्स आयोजित किए जाते हैं, जो Mango Festival है, Qutub Festival है या शरद उत्सव Festival या जो भी आप मना रहे हैं, उसका टैक्स कैसे वसूलते हैं और उसका आयोजन करने के लिए आपके यहां क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। एक तो यह प्रश्न है, दूसरा प्रश्न यह है कि दिल्ली में जितने भी सिनेमा हॉल हैं उनमें जितने भी नए सिनेमा हॉल खुल रहे हैं उनकी टिकट पर जो टैक्स वसूला जाता है उसको किस प्रक्रिया के

---

* पुस्तकालय में उपलब्ध है।

माध्यम से आप तय करते हैं, क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि जितने लोग फिल्म देखने आ रहे हैं क्या उतनी ही टिकटें बेची जा रही हैं, क्या उससे ज्यादा तो नहीं बेची जा रही हैं? मुझे यह बताया जाए कि जितने भी होटल्स हैं उन पर आपके कितने इंस्पैक्टर्स काम कर रहे हैं और उनकी पूरी रिपोर्ट क्या आ रही है? और दिल्ली टूरिज्म के जितने भी फैस्टिवल होते हैं क्या उन पर अल्कोहल कितना इस्तेमाल कर रहे हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनिल जी, प्रश्न को इतना लंबा मत करिए। आप बैठिए, मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। मंत्री जी।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सदस्य बड़े जोश में हैं और बड़े काबिल सदस्य हैं। एक तो ये एक्साइज डिपार्टमेंट में और ट्यूरिज्म डिपार्टमेंट में कन्फ्यूज हो रहे हैं आप जो सवाल पूछ रहे हैं यह एक्साइज डिपार्टमेंट के अधीन आता है...**व्यवधान**। आप सुन लें, छोटे भाई हैं थोड़ा समझो। जो liquor के ऊपर टैक्स कलैक्शन होता है वह सब एक्साइज डिपार्टमेंट करता है ईवन जो सिनेमा हॉल की टिकटों की आप बात कर रहे हो या इंटरटेनमेंट टैक्स की बात कर रहे हो, दिल्ली ट्यूरिज्म इंटरटेनमेंट टैक्स इकट्ठा नहीं करता, वह एक्साइज डिपार्टमेंट करता है। इसलिए आप जो सवाल पूछ रहे हो वह इस डिपार्टमेंट को pertain नहीं करता।

श्री अनिल झा : अध्यक्ष जी, एक मिनट, टूरिज्म के जैसे दिल्ली हाट में इवैन्ट हो रहे हैं, जैसे पीतमपुरा में फैस्टिवल हो रहा है Garden of Five Senses में festivals हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक्साइज डिपार्टमेंट ले रहा है, वहां लीकर लेना है तो एक्साइज डिपार्टमेंट से बात होनी चाहिए। लेकिन जो पर्यटन विभाग अपने आयोजन कर रहा है उस आयोजन से दिल्ली सरकार को क्या लाभ

हो रहा है, किन लोगों के लिए वे फैस्टिवल्स किए जा रहे हैं। उसकी जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है जो खर्चा किया जा रहा है यह जनता का पैसा है। हम उसके बारे में जानकारी चाहते हैं। इस डिपार्टमेंट में बड़ा घालपेल है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। मंत्री जी।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष जी, दिल्ली के अंदर दिल्ली टूरिज्म और Art & Culture डिपार्टमेंट है। अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाना यह किसी भी सरकार की एक बहुत अहम जिम्मेदारी होती है। मैं यह कहूंगा कि मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 15 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी, जो इन विभागों को देखती हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों को इनवाल्व करके दिल्ली के अंदर एक पूरा जो Calendar of Events festivals का बनाया है और हमें बड़ा गर्व है कि दिल्ली के अंदर इस तरीके के festivals हो रहे हैं जो न केवल दिल्ली के लिए बल्कि हमारा जो कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए देश भर के सामने उदाहरण बने हैं। आप मैंगो फेस्टिवल की बात कर रहे हो तो mango growers को प्रमोट करता है। ऐसे festivals में सरकार पैसा कमाने की नहीं सोचती है इन पर खर्च करने की सोचती है और मैं समझता हूं कि जितना खर्च कर रहे हैं वह कम है हमें और ज्यादा खर्च करना चाहिए उन growers को faciliate करने के लिए। दूसरा, कलाकारों को प्रमोट करने के लिए दिल्ली में जितना खर्चा हो रहा है उससे अधिक खर्चा करने की जरूरत है, बहुत कम खर्चा कर रहे हैं अगर आप मुझसे इस तरह का प्रश्न पूछते कि हम इन कलाकारों को प्रमोट करने के लिए और क्या-क्या नई योजनाएं बना रहे हैं, वह मैं समझता हूं कि ज्यादा appropriate होता। अभी दिल्ली के अंदर हम Jahan-E-Khusro करते हैं दिल्ली में अनन्य festival होता है, दिल्ली के अंदर भक्ति संगीत का कार्यक्रम होता है, दिल्ली में कुतुब festival होता है। ये सारे कार्यक्रम सरकार organize करती है। हर कार्यक्रम के अंदर अलग

अलग कलाकारों को बुलाया जाता है, शरद उत्सव होता है तो अलग-अलग कलाकारों को बुलाया जाता है उनको प्रमोट किया जाता है। मैं फिर दोहरा रहा हूं जहां तक कोई प्राइवेट festival होते हैं उनके ऊपर जो taxation होती है वह दिल्ली टूरिज्म का काम है, इन festivals को प्रमोट करना और सरकार अपने खर्चे के ऊपर भी करती है। इवेन्ट मैनेजर भी रखती है इनको Organize करने के लिए। लेकिन इसका बेसिक पर्पज होता है कि हम अपनी सभ्यता को, अपने कल्चर को प्रमोट करें, वहीं आने वाले नए कलाकारों को प्रोत्साहन मिले और दिल्ली के लोगों के मनोरंजन के लिए जो इस डिपार्टमेंट का काम है जो इस सरकार का Culture और टूरिज्म का काम है उसको प्रमोट करना हमारा काम है।

अध्यक्ष महोदय : अनिल जी, पर्यटन विभाग का जो अगले वर्ष फंक्शन होगा, उसमें आपकी मुजफ्फरपुर की लिच्ची भी आ जाएगी। डॉ. हर्षवर्द्धन जी।

डॉ. हर्षवर्द्धन : अध्यक्ष जी, मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहते हैं कि दिल्ली हाट की और दूसरी शाखाएं स्थापित करने के लिए दिल्ली में स्थान-स्थान पर कहीं डीडीए से जो जमीनें अलाट कराई हुई हैं उनमें कोई टाइम फ्रेम सैट किया है कि आज अगर जमीन अलाट हुई तो कितने साल के बाद उसके ऊपर कोई काम शुरू होगा। इसी के साथ में मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यमुनापार में भी किन्हीं स्थानों पर ऐसी जमीनें डीडीए से पिछले वर्षों में अलाट कराई गई हैं। इनके साथ-साथ यह भी जानना चाहूंगा कि जो जमीनें alloatted हैं उन पर कितने वर्षों से कोई किसी प्रकार की activity नहीं हो रही है और इसका अंतिम aspect जो मैं जानना चाहता हूं कि अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ है तो क्या आगे भविष्य से सरकार के जो बचे हुए 6 महीने हैं उनमें कुछ होने की संभावना दिखती है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष जी, अभी हमारे दो हाट चल रहे हैं एक पीतमपुरा में, दूसरा आईएनए में। उत्तम नगर, जनकपुरी के अंदर एक दिल्ली हाट का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है जिसके ऊपर लगभग 91 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार ने खर्च किया है, उसके बारे में हमें उम्मीद है कि सितंबर तक काम पूर्ण हो जाएगा और वह जनकपुरी दिल्ली हाट भी operational हो जाएगा। यमुनापार की जहां तक बात है तो यमुनापार में एक proposal जरूर था उसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई हुई है वह मैं डिपार्टमेंट से लेकर डॉ. साहब को भिजवा दूंगा।

डॉ. हर्षवर्द्धन : सर, मैं specific information आपसे चाहता हूं कि जानकारी आप भेजें क्योंकि पिछले लगभग 9-10 साल से गीता कालोनी में बहुत बड़ी जगह दिल्ली हाट को डवलप करने के लिए डीडीए से डिपार्टमेंट ने अलाट कराया हुआ है और बहुत वर्षों तक कोई एक्शन ना कराने के कारण अभी उसका मेजर chunk हम लोगों ने डीडीए से रिक्वैस्ट करके क्योंकि आपके विभाग की तरफ से कोई एक्शन नहीं था, उसको चाचा नेहरू अस्पताल को super-speciality में इम्प्रूव करने के लिए दिलवाया है। बचा हुआ कुछ पोर्शन डीडीए ने अभी भी कुछ टाइम फ्रेम के साथ आपको कहा है कि आप अगर इतने time-frame में नहीं करेंगे तो वह भी वापस ले लिया जाएगा।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, डॉ. साहब ने जो बताया कि गीता कालोनी के अंदर दिल्ली हाट बनाने का एक प्रपोजल...अध्यक्ष महोदय, यह जरूर बनाया था लेकिन उसका पजेशन डीटीडीसी को नहीं मिला है। आपने मुझे कहा है, मैं जरूर विभाग को बोलूंगा कि इस ओर कार्रवाई करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री नसीब सिंह।

श्री नसीब सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो डॉ. साहब ने वह बात उठा ली है कि पूर्वी दिल्ली में दिल्ली हाट के लिए जगह एलाटमैंट का मसला आया था, लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह जानकारी देते हुए कि एक अभी सुनने में आया था कि मयूर विहार साहड में कहीं दिल्ली हाट के लिए जगह आइडैन्टिफाई की गई है और डीटीडीसी का जहां तक सवाल है, वह डीटीडीसी को एलाट हुई है। इस तरह की एलाटमैंट आईपी एक्सटेंशन में कॉफी होम के रूप में भी हुई है, वह भी 12 साल से एलाटमैंट हो रखी है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मयूर विहार में और आईपी एक्सटेंशन इन दोनों जगह पर एक दिल्ली हाट और एक कॉफी होम के लिए क्या ये जगह एलाट हुई हैं तो उन पर 12 साल से कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये प्रश्न दिल्ली हाट से संबंधित था और जो दिल्ली हाट एग्जिस्टिंग हैं, उनके ऊपर था, ये जो नई जगह एलाट हुई हैं, इनके बारे में विभाग से जानकारी लेकर माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

221. श्री धर्मदेव सोलंकी : क्या **लोक निर्माण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम विधान सभा क्षेत्र में लो.नि.वि. द्वारा पिछले चार वर्षों के दौरान कौन-कौन से विकास कार्य किए जाने प्रस्तावित थे;

(ख) इनमें से कितने कार्य प्रगति पर हैं, कितने पूर्ण हो चुके हैं, इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेष कार्यों को कब तक पूरा कर दिया जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री : (क) से (ग) पालम विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा पिछले चार वर्षों के दौरान कए गए विकास कार्यों का विवरण निम्नवत है:

* डाबरी पालम रोड जो मार्च 2012 में दिल्ली नगर निगम से लोक निर्माण विभाग को स्थानांतरित हुई है, का स्ट्रेंथनिंग का कार्य प्रगति पर है जिसकी लंबाई 2.60 किलोमीटर है और अनुमानित लागत रु. 1.60 करोड़ है, जिसको माह अप्रैल, 2013 तक पूरा करने का लक्ष्य है। पालम-डाबरी रोड, पंखा रोड फ्लाई ओवर से मंगलापुरी फ्लाई ओवर एवं डी.डी.ए. आफिस से फ्लड ड्रेन डाबरी तक रोड लाइटिंग का कार्य प्रगति पर है जिसकी अनुमानित लागत रु. 44 लाख है। यह कार्य जुलाई, 2013 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

* राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय, नं.-1, पालम एन्कलेव, नई दिल्ली (विद्यालय कोड-1821018) के 30 एस.पी.एस. क्लास रूम के निर्माण के कार्य को सैद्धांतिक रूप से लगभग 2,22,72,832/- रुपये द्वारा प्रस्तावित है, जिसकी निविदा आमंत्रित कर ली गई है।

* राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नं.-3, पालम एन्कलेव, नई दिल्ली के 20 एस.पी.एस. क्लास रूम के निर्माण के कार्य को सैद्धांतिक

रूप से लगभग 1,55,70,594/- रुपये द्वारा प्रस्तावित है, जिसकी निविदा आमंत्रित कर ली गई है।

224. **श्री रमेश बिधूड़ी** : क्या **लोक निर्माण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तुगलकाबाद विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग की कितनी चौपालें एवं कम्यूनिटी सैंटर पांच वर्ष में बनाए गए;

(ख) इस वित्तीय वर्ष में कितनी परियोजनाएं विचाराधीन हैं; और

(ग) ये योजनाएं कब तक पूरी हो जा जाएंगी?

लोक निर्माण मंत्री : (क) तुगलकाबाद विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग द्वारा पि छले 5 वर्षों में कुल 08 विकास कार्य (06 चौपालों का निर्माण +02 सड़क निर्माण कार्य) किए गए हैं। जिनकी सूची संलग्न है। (क)*

(ख) इस वित्तीय वर्ष में 3 प्रस्ताव विचाराधीन है, इसकी सूची संलग्न है। (ख)*

(ग) अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग के निर्धारित दिशा निर्देशों के तहत संबंधित विभाग द्वारा सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उक्त प्रस्तावों को अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग द्वारा स्वीकृत कर दिया जाएगा।

---

* पुस्तकालय में उपलब्ध है।

234. चौ. सुरेन्द्र कुमार : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोकुलपुर विधान सभा क्षेत्र में आई.टी.आई. पोलीटेकनिक या इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक तथा कहां पर?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

235. श्री वीर सिंह धिंगान : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार मंडोली में कोई जेल बनवा रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त जेल का शिलान्यास कब किया गया था तथा इसका निर्माण कार्य पूरा होने की अवधि क्या थी;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि उक्त जेल का निर्माण कार्य निर्धारित समय अवधि से पीछे चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि उक्त जेल आधुनिक तकनीक से युक्त होगी; और

(च) यदि हां, तो उक्त जेल में कैदियों को क्या सुविधाएं दी जाएंगी?

मुख्यमंत्री : (क) जी हां, दिल्ली सरकार, दिल्ली के पूर्वी क्षेत्र मंडोली में जेल बनवा रही है।

(ख) मंडोली जेल का शिलान्यास 30.8.2008 में किया गया था तथा इसका निर्माण कार्य पूरा होने की अनुमानित अवधि 48 महीने निर्धाथ्रत की गई थी।

(ग) जी हां।

(घ) बिल्डिंग अनुमोदन योजना की स्वीकृति देरी से मिलने की वजह से और प्रक्रियात्मक समस्याएं जो कि परियोजना आकलन से संबेंधित हैं, में संशोधन की वजह से मंडोली जेल के निर्माण में देरी हुई। संशोधित परियोजना आकलन की स्वीकृति मंत्रीमंडल द्वारा नवम्बर 2012 में दी गई। इस जेल का निर्माण कार्य 2014 में पूरा होने की संभावना है।

(ङ) जी हां।

(च) मंडोली जेल की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

(1) मंडोली जेल परिसर में छः जेलें होंगी जिनमें एक जेल सजायाफ्ता बंदियों हेतु, एक जेल पहली बार जेल में आने वाले बंदियों के लिए,

एक जेल विचाराधीन बंदियों हेतु, एक जेल अवयस्क विचाराधीन बंदियों हेतु, एक जेल महिला बंदियों हेतु एवं एक जेल अति सुरक्षा वाले बंदियों के लिए होंगी।

(2) सभी वार्डों में air circulation system की व्यवस्था होगी।

(3) मंडोली जेल परिसर में CCTV कैमरे लगाने के लिए Optical Fibre Cable Network की व्यवस्था पहले से की जाएगी।

(4) Dual water supply system, Solar Heating System, R.O. System, Sewage Treatment Plant, Rain water Harvesting की व्यवस्था भी मंडोली जेल परिसर में होगी।

236. श्री मनोज कुमार : क्या **लोक निर्माण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक निर्माण विभाग के तहत कौन-कौन सी सरकारी आवासीय कालोनियां कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) इन कालोनियों में कितने आवास कहां-कहां पर रिक्त हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि कोई अधिकारी/कर्मचारी अपनी एंटाइटलमेंट के टाईप से एक टाईप ऊपर के लिए भी आवेदन कर सकता है;

(घ) यदि हां, तो अब तक ऐसे आवासों हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा कितने आवासों को आबंटित किया गया है; और

(ङ) योग्यता से एक टाईप ऊपर आवास हेतु आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) एवं (ख) विस्तृत सूची संलग्न 'क' के अनुसार।

(ग) जी हां।

(घ) अब तक ऐसे ज्ञात 16 आवेदकों को आवास आबंटन किए गए हैं।

(ङ) इस तरह के आवेदन पर विभाग आवेदकों की बाध्य परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सामान्य से तीन गुणा लाईसेंश फीस लेकर और आवासों की अधिकतम उपलब्धता को ध्यान में रखकर सामान्य लाइसेंश फीस लेकर आवास आबंटित करता है।

'क' List of Delhi Govt. Residential Colonies under PWD as well as vacancies as on 22-02-2013

S.No.	Name of Locality	Total Vacant Flats
1	2	3
1	Gulabi Bagh	136
2	Kalyanvas	14
3	Timarpur	14
4	Nimri Colony	10
5	Karkardooma	-
6	Sindhora Khurd	1
7	Hari Nagar	24

1	2	3
8	Sindhora Kalan	17
9	Mayur Vihar	5
10	Greater Kailash	-
11	Model Town	14
12	Vikas Puri	7
13	Paschim Vihar	8
14	Tis Hazari	2
15	33 Rajupur Rd	2
16	Siddharth Extn.	8
17	Transit Hostel	-
18	45-47 Rajpur Rd	-
19	Upper Bela Rd	4
20	Probyn Road	-
21	EAC Flat Rajpur Road	-
22	5 Court Road	-
23	Tilak Marg	-

1	2	3
24	Court Lane D-II	-
25	17, Rajpur Rd	-
26	Maharaja Lane	-
27	Assiad Village	-
28	Court Lane C-II	-
29	Rouse Avenue	-
30	8, Flag Staff Rd.	-
31	5-Rajpur Road	-
32	6, Flag Staff Rd.	-
33	1, Comm. Lane	-
34	9-Alipur Road	-
35	11-Alipur Road	-
36	1-B Alipur Road	-
37	Northend Road	-
38	Mansarover Park	-
39	Rohini	10

1	2	3
40	Matil Khan	-
41	Vasant Kunj	-
42	Dwarka	13
43	Darya Ganj	-
44	Shalimar Bagh	34
	Total	**323**

237. श्री साहब सिंह चौहान : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले दस वर्षों में अब तक प्रत्येक वर्ष के अनुसार हत्या, अपहरण, बलात्कार व डकैती की कितनी वारदातें हुई हैं, उनका प्रत्येक जिला पुलिस व थाना अनुसार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त केसेज में कितने केसों को कोर्ट भेजा गया, उनमें क्या-क्या सजा हुई है तथा वर्तमान में उनका स्तर क्या है?

मुख्यमंत्री : (क) दिल्ली में पिछले दस वर्षों में हत्या, अपहरण (अपहरण, फिरौती के लिए अपहरण व अगवा), बलात्कार व डकैती की जितनी वारदातें घटित हुई हैं, उनका पिछले दस वर्षों व चालू वर्ष का उपलब्ध जिलावार ब्यौरा वर्ष 2003 से 2012 व चालू वर्ष 2013 का (15.3.2013 तक) परिशिष्ट-'क'* पर संलग्न है।

(ख) उक्त केसेज से संबंधित विवरण

(1) वर्ष 2001 से चालू वर्ष के 15.03.2013 तक हत्या, बलात्कार एवम् डकैती का ब्यौरा।

(2) अपहरण, फिरौती के लिए अपहरण का वर्ष 2010 से चालू वर्ष के 15.03.2013 तक का ब्यौरा परिशिष्ट-'ख'* पर संलग्न है।

238. श्री सतप्रकाश राणा : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितना वन क्षेत्र है;

(ख) इसमें से रंगपुरी, महिपालपुर, राजोकरी, घिटोरनी में कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है;

(ग) क्या वन क्षेत्र की खाली भूमि पर स्थानीय नागरिकों व स्कूलों की मदद से वृक्षारोपण किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रक्रिया का विवरण क्या है?

मुख्यमंत्री : (क) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी 2011 एस.एफ.आर. के अनुसार दिल्ली में 176.20 वर्गकिमी क्षेत्र वन क्षेत्र हैं।

कुल वन क्षेत्र एवं वन क्षेत्र के बाहर खड़े हुए वृक्ष सम्मिलित रूप से हरित क्षेत्र कहलाते हैं जो कि राष्ट्रीय राजधानी में 296.20 वर्गकिमी या भौगोलिक क्षेत्रफल का 19.97 प्रतिशत हैं।

---

* पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) रंगपुरी, महिपालपुर, रजोकरी, घिटोरनी के अंतर्गत 1084 एकड़ रिजवन क्षेत्र वन विभाग के अंतर्गत है जोकि कुल क्षेत्र का 16.96 प्रतिशत है।

दिल्ली विकास प्राधिकररण के पास इसी क्षेत्र में 119 एकड़ रिज वन क्षेत्र है जोकि कुल क्षेत्र का 5.13 प्रतिशत है।

(ग) जी हां, वन महोत्सव (जुलाई व अगस्त) के दौरान स्थानीय नागरिकों व स्कूलों के सहयोग से वन विभाग वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित करता है जिसमें हजारों की संख्या में पौधारोपण किया जाता है।

(घ) संबंधित क्षेत्र के उप वन संरक्षक से संपर्क करके पौधारोपण एवं उनकी देखभाल में सहभागिता सुनिश्चित की जा सकती है।

239. चौ. अनिल कुमार : क्या **लोक निर्माण विभाग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि नोएडा लिंक रोड (नजदीक चिल्ला गांव) पर फ्लाईओवर का निर्माण शुरू करते समय निर्माण स्थल के नजदीक शमशान घाट को तोड़कर पुनः लो.नि.वि. से बनवाने का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो शमशान घाट का निर्माण कार्य अभी तक शुरू न करने के क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो ग्रामीणों के लिए शमशान घाट की क्या वैकल्पिक व्यवस्था है;

(घ) पटपड़गंज क्षेत्र में हाल ही में एम.सी.डी. से हस्तांतरित होकर लो.नि.

वि. को सौंपी गई सड़कों में से कुल कितनी सड़कों का पुनर्निर्माण किया गया है, इन पर खर्च धनराशि का विवरण क्या है; और

(ङ) उक्त सड़कों में से कुल कितनी सड़कों का निर्माण कार्य नहीं हुआ है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) चिल्ला गांव युवा कल्याण समिति तथा माननीय क्षेत्रीय विधायक ने लोक निर्माण विभाग से शमशान के स्थान के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कराने के हेतु अनुरोध किया। अतः लोक निर्माण विभाग ने माह जून, 2010 में सड़क के साथ उपलब्ध स्थान पर शमशान बनाने के लिए यमुना रिमूवल आफ इंक्रोचमेंट्स मोनिटरिंग कमेटी, जिसकी नीति अनुसार यमुना नदी के किनारों से 300मीटर तक के क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है, से इसके लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र मांगा था जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) तथा (ङ) 7 सड़कें हस्तांतरित हुई थी जिनमें से 6 पर पुनर्निर्माण किया गया है तथा एक सड़क खुदीराम बोस मार्ग (चिल्ला गांव से नोएडा रोड टी-प्वाईंट) पर कार्य नहीं किया जाएगा क्योंकि यह सड़क दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लि. को हस्तांतरित हो गई है। निर्माण की स्वीकृति धनराशि 29.77 करोड़ रु. है।

240. श्री विपिन शर्मा : क्या **लोक निर्माण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रोहतास नगर विधान-सभा क्षेत्र में मंडोली रोड नाला, 100-फुटा रोड दुर्गापुरी नाला, लोनी रोड नाला, बाबरपुर रोड नाला, रोड नं.-65 नाला जी.टी.रोड शाहदरा का नाला स्थित है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त नालों की मरम्मत व सफाई आदि की देखरेख लोक निर्माण विभाग द्वारा की जाती है;

(ग) यदि हां, तो उक्त नालों की सफाई का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष में कितनी बार किया जाता है;

(घ) उपरोक्त नालों की सफाई हेतु कितने कर्मचारी नियुक्त हैं? क्या इनकी संख्या पर्याप्त है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि नालों की सफाई न होने के कारण आसपास के क्षेत्र के निवासियों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

लोक निर्माण मंत्री : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) से (च) पहले ये सभी सड़कें एवं नाले पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधीन थीं। ये सड़कें एवं नाले माह मार्च-अप्रैल, 2012 में पूर्वी दिल्ली नगर निगम से लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित हुए हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा सामान्यतः डीसिल्टिंग का कार्य साल में एक बार किया जाता है। कालोनी के बीच में स्थित नालों के फ्लोटिंग मेटीरियल को निकालने के लिए पूरे एक साल का अनुबंध (ठेका) दिया जाता है जो श्रमिकों को आवश्यकतानुसार रखता है। कहीं-कहीं पर नालों के विकास/सुधार की भी आवश्यकता है।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

518. चौ. सुरेन्द्र कुमार : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं ओ.बी.सी. के मजदूरों के बच्चे स्कूलों में 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं में पढ़ते हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो उसके मापदंड क्या हैं ?

श्रम मंत्री : (क) हां छात्रवृत्ति दी जाती हैं।

(ख) अलग-अलग छात्रवृत्ति योजनाओं में अलग-अलग मापदंड है। (अनुलग्नक 'क'* पर मापदंड संलग्न है)

अनुलग्नक 'क'

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधार्रित पात्रताएं एवं औपचारिकताएं संख्या-1 अ.जा./ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक जाति के छात्रों को लेखन सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति।

आर्थिक सहायता

(क) कक्षा 1 से 8 तक 1000/- रुपये वार्षिक

(ख) कक्षा 9 से 12 तक 2000/- रुपये वार्षिक

वांछित दस्तावेज

1. दो लाख रुपये वार्षिक 'पारिवारिक आय के लिए अभिभावक द्वारा स्वयं घोषणा-पत्र।

2. दिल्ली में स्थित सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल का प्रमाण-पत्र।

3. दिल्ली का स्थायी निवासी का प्रमाण-पत्र।

4. केवल अ.जा./ज.जा./अ.पि.व. के लिए जाति प्रमाण-पत्र तथा अल्पसंख्यक के लिए 10/- रु. का शपथ पत्र।

क्रम संख्या-2 स्कूल छात्रवृत्ति/मेधावी छात्रवृत्ति (अ.जा./ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक) के लिए छात्रवृत्ति (कक्षा 1 से 12वीं)।

आर्थिक सहायता

(अ.जा./ज.जा./अल्पसंख्यक)

कक्षा 1 से 8 तक	1000/- रुपये वार्षिक (नं. प्रतिशत)
(अन्य पिछड़ा वर्ग)	55 से 100 प्रतिशत
कक्षा 3 से 8 तक	600/-रु. वार्षिक - 55 से 60 प्रतिशत
कक्षा 3 से 8 तक	720/- रु. वार्षिक 60 प्रतिशत से अधिक अंक

(अ.जा./ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक)

कक्षा 9 से 10 तक	1620/- रु. वार्षिक - 55 से 60 प्रतिशत
का 9 से 10 तक	2040/- रु. वार्षिक - 60 प्रतिशत से अधिक अं क
कक्षा 11 से 12 तक	3000/- रु. वार्षिक - 55-70 प्रतिशत अंक
कक्षा 11 से 12 तक	4500/- वार्षिक-70 प्रतिशत से अधिक अंक

वांछित दस्तावेज

1. अ.जा./ज.जा. के छात्रों के लिए पारिवारिक आय का बंधन नहीं अपितु अ. पि.व. एवं अल्पसंख्यक छात्रों की दो लाख रुपये वार्षिक पारिवारिक आय के लिए अभिभावक द्वारा स्वयं घोषणा-पत्र।
2. दिल्ली में स्थित सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल का प्रमाण-पत्र।
3. दिल्ली का स्थायी निवासी का प्रमाण-पत्र।
4. केवल अ.जा./ज.जा./अ.पि.व. के लिए जाति प्रमाण-पत्र तथा अल्पसंख्यक के लिए 10/- रु. का शपथ पत्र।

क्रम संख्या-3 कॉलेज/व्यावसायिक संस्थानों के स्तर पर मेधावी छात्रों (अ.जा./ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक) के लिए छात्रवृत्ति।

आर्थिक सहायता

समूह ए	रुपये प्रतिमाह	(10 माह के लिए)
	होस्टलर	डे-स्कॉलर
1. चिकित्सा/इंजीनियरिंग/बी.टेक/बी. ए.एम.एस. तथा समान्तर डिग्री कोर्स	1820/-	900/-
2. उपरोक्त कोर्सों में पोस्ट ग्रेजुएशन	1860/-	960/-
समूह बी : डिप्लोमा कोर्स	1110/-	720/-

आयुर्वेदिक/यूनानी/दिव्या/होम्योपैथी/चिकित्सा एवं समान्तर इंजीनियिरंग टैक्नॉलाजी समूह सी : इंजी/टैक्ना./मेडिसन/डिप्लोमा इत्यादि में सर्टिफिकेट कोर्स।	930/-	630/-
समूह डीः ग्रेजुएट स्तर (सामान्य शिक्षा)व	804/-	420/-
पोस्ट ग्रेजुएट स्तर (कला व वाणिज्य)	1110/-	630/-

वांछित दस्तावेज

1. अ.जा./ज.जा. के छात्रों के लिए पारिवारिक आय का बंधन नहीं अपितु अ.पि.व. एवं अल्पसंख्यक छात्रों की दो लाख रूपये वार्षि पारिवारिक आय के लिए अभिभावक द्वारा स्वयं घोषणा-पत्र।
2. दिल्ली में स्थित सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल व कॉलेज में 12 एवं उससे अधिक कक्षाओं में प्रवेश का प्रमाण-पत्र।
3. केवल अ.जा./ज.जा./अ.पि.व. के लिए जाति प्रमाण-पत्र तथा अल्पसंख्यक के लिए 10/- रू. का शपथ पत्र।

क्रम संख्या-4 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों (अ.जा./ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक) के लिए छात्रवृत्ति।

आर्थिक सहायर्ता

होस्टल में छात्रों को रूपये 360/- प्रतिमाह

डे स्कॉलर के छात्रों को रूपये 210/- प्रतिमाह।

वांछित दस्तावेज

1. दो लाख रुपये वार्षिक पारिवारिक आय के लिए अभिभावक द्वारा स्वयं घोषण-पत्र।

2. दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जा रही आई.टी.आई. में प्रवेश का प्रमाण-पत्र।

3. जाति प्रमाण-पत्र।

4. दिल्ली का स्थायी निवासी का प्रमाण-पत्र।

5-6. क्रम संख्या-5 एवं 6, दिलशाद गार्डन संस्कार आश्रम में (अ.जा./ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक) छात्र एवं छात्राओं के लिए निःशुल्क छात्रावास।

वांछित दस्तावेज

1. दो लाख रुपये वार्षिक पारिवारिक आय के लिए अभिभावक द्वारा स्वयं घोषणा-पत्र।

2. दिल्ली में स्थित सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल व कॉलेज में 12 एवं उससे अधिक कक्षाओं में प्रवेश का प्रमाण-पत्र।

3. जाति प्रमाण-पत्र।

7. क्रम संख्या-7 अ.जा./ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक छात्रों के लिए पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र।

कर्मचारी चयन आयोग तथा बैंकिंग भर्ती बोर्ड द्वारा संचालित लिखित परीक्षा के लिए निशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है। यह कोचिंग केवल दो परीक्षाओं के लिए दी जाती हैं।

वांछित दस्तावेज

1. प्रवेश पी.ई.सी.सी. द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में सफलता के आधार पर दी जाती है।

2. यह प्रवेश केवल ऐसे उम्मीदवारों को ही दिया जाता है जिन्होंने पहले से ही इस परीक्षा में शामिल होने के लिए संबंधित आयोग/बोर्ड के पास आवेदन किया हो।

3. जाति प्रमाण-पत्र।

4. दिल्ली का स्थायी निवासी का प्रमाण-पत्र।

5. दो लाख रुपये वार्षिक पारिवारिक आय के लिए अभिभावक द्वारा स्वयं घोषणा-पत्र।

8. क्रम संख्या-8 अ.जा./ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक समुदाय के टॉपर्स को डॉ. भीमराव अंबेडकर स्टेट अवार्ड।

आर्थिक सहायता

8000/- रुपये वार्षिक

वांछित दस्तावेज

1. 10वीं एवं 12वीं कक्षा दिल्ली से उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थान में अ.जा./ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र द्वारा प्रत्येक कोर्स में टॉप करने पर।

9. क्रम संख्या-9 पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे अ.जा./ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को ट्यूशन फीस व अन्य आवश्यक शुल्क का पुर्नभुगतान। (जैन समुदाय भी सम्मिलित है) कक्षा 1 से 12 तक के पब्लिक स्कूल के लिए।

कक्षा 6 से 12 तक 50 प्रतिशत न्यूनतम अंक अनिवार्य उपस्थिति 80 प्रतिशत 60,000/- रुपये वार्षिक पारिवारिक आय वालों को 100 प्रतिशत पुर्नभुगतान

तथा 60,001/- से 2,00,000/- तक वार्षिक पारिवारिक आय वालों को 75 प्रतिशत का पुर्नभुगतान।

वांछित दस्तावेज

1. दिल्ली का स्थायी निवासी प्रमाण-पत्र।

2. पूर्व कक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधक अंक प्राप्त किए हो तथा उपस्थिति 80 प्रतिशत या अधिक का प्रमाण-पत्र।

3. जाति प्रमाण-पत्र।

10. डॉ. अम्बेडकर रत्न पुरस्कार।

सहायता की राशि/नियम एवं शर्तें

दिल्ली में अ.जा. के कल्याण के लिए असाधारण कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्थान/संस्था को एक प्रशस्ति-पत्र तथा एक शॉल के साथ रु. 1,00,000/- का पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

11. बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लोगों को आवंटित रिहायशी प्लॉटो पर विद्युत कनैक्शन के लिए सरकार द्वारा विकास शुल्क की अदायगी।

आर्थिक सहायता

4000/- रुपये प्रति कनेक्शन विद्युत वितरण कंपनी को भुगतान।

वांछित दस्तावेज

20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत प्रार्थी मूल आवंटी का प्रमाण।

12. अनुसूचित जाति की बस्तियों में सुधार।

नियम एवं शर्तें

यह एक जारी योजना है, इसका उद्देश्य सिविल कार्यों जैसे चौपालों की मरम्मत, सामान्य स्नानागार एवं सामुदायिक प्रसाधनों के निर्माण, नालियों एवं पेवमेंट्स की मरम्मत/फिर से बिछाने, आवश्यकतानुसार बिटुमिनस, सड़कों अथवा सी. सी. फलोरिंग संपर्क सड़कों अथवा खरंजा के निर्माण, अ.जा. धर्मशालाओं आदि की मरम्मत के द्वारा उन बस्तियों जहां अधिकांश संख्या में अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, में जीवन स्तर में सुधार हैं।

519. **चौ. सुरेन्द्र कुमार** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब 8वीं तक बच्चों को बिना एस.डी.एम. से दिए गए एस.सी./एस. टी. प्रमाण पत्र के छात्रवृत्ति दी जाती है;

(ख) यदि हां तो 11वीं एवं 12वीं के बच्चों को भी बिन एस.डी.एम. से दिए गए एस.सी./एस.टी. प्रमाण पत्र के दी जाती है?

श्रम मंत्री : (क) दिल्ली सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्ति योजनाओं में एस.डी.एम. से दिए गए एस.सी./एस.टी. प्रमाण पत्र के आधार पर ही छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(ख) लागू नहीं।

520. **चौ. सुरेन्द्र कुमार** : क्या **लोक निर्माण विभाग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अ.पि.व. का फंड सरकार ने वर्ष 2011-12 में कितना एवं कहां-कहां खर्च किया गया; और

(ख) पूर्ण विवरण सहित प्रतिलिपि देने की कृपा करें?

लोक निर्माण मंत्री : (क) एवं (ख) वर्ष 2011-12 की योजना अनुसार जानकारी अनुलग्नक "क" पर उपलब्ध है।

अनुलग्नक 'क'

(Rs. in lakh)

Sl. No.	Name of the Scheme	2011-12	
		Approved Outlay	Expenditure incurred
1	2	3	4
I	**On going Schemes Direction & Administration**		
	Strengthening of Dte. for Welfare of SC/ST/OBC/Min		
	Salaries	41.89	41.10
	O.T.A.	--	--
	Office Expenses	118.60	118.29
	Domestic Travel Expenses	--	--
	Medical treatment	3.05	2.70
	Information Technology	--	--
	Total-Direction & Administration (SCSP)	**163.54**	**162.09**

1	2	3	4
2A	Free supply of books and stationary to Scheduled Caste students in schools	5500.10	4398.18
2B	Free supply of books and stationalry to Scheduled Caste Students in schools (SCSP)	4060.00	3707.63
3A (i)	Scholarship/Merit scholarship to SC/ST/OBC/Min (Class Ist to 12th)	4700.00	3601.85
(ii)	Scholarship/Merit scholarship to SC/ST/OBC/Min (Class Ist to 12th) (SCSP)	3442.99	3089.26
3B	Merit scholarship for college & professional institution students for		
	(i) SC/ST/OBC/Min	70.00	99.96
	(ii) Merit scholarship for college & professional institution students for SC/ST/OBC/Min (SCSP)	200.00	199.97
4A	Vocational & Technical scholarship to SC/ST/OBC/ Min students	20.00	9.68
4B	Vocational & Technical scholarship to SC/ST/OBC/ Min students (SCSP)	20.00	13.03

1	2	3	4
5A	Hostel for SC/ST/OBC/Min boys at Dilshad Garden	44.00	44.00
5B	Hostel for SC/ST/OBC/Min boys at Dilshad Garden (SCSP)	65.99	65.98
6A	Hostel for SC/ST/OBC/Min girls at Dilshad Garden	--	--
6B	Hostel for SC/ST/OBC/Min girls at Dilshad Garden (SCSP)	15.00	15.00
7A	Pre-Examination coaching for SC/ST/OBC/Min students	--	--
7B	Pre-Examination coaching for SC/ST/OBC/Min students (SCSP)	--	--
8A	Dr. B.R. Ambedkar state award for the toppers amongst SC/ST/OBC/Min students in professional/ degree courses	0.72	0.72
8B	Dr. B.R. Ambedkar state award for the toppers amongst SC/ST/OBC/Min students in professional/ degree courses (SCSP)	1.12	1.20
9A	Reimbursement of tuition fee in Public school to SC/ST/OBC/Min students	600.00	599.97
9B	Reimbursement of tuition fee in Public school to SC/ST/OBC/Min students (SCSP)	200.00	199.99
10A	Educational Loan Scheme	--	--

1	2	3	4
10B	Educational Loan Scheme (SCSP)	--	--
11	Education Hub for SC		
12	Financial assistance to DSCFDC	50.00	50.00
13	Subsidy for electrification of houses allotted under 20 point programme (Housing subsidy for SC/ST SCSP)	--	--
14	Institution of Dr. Ambedkar Ratna Award (SCSP)	--	--
15	Improvement of SC Basties (SCSP)	3300.00	1940.88
16	Construction of hostel for SC.ST girl students at Kasturba Balika Vidayalaya, Ihwer Nagar	246.54	--
17	Multisectoral development programme for minority concentratrion district-State govt. share	500.00	--
18	Grant-in-aid to Delhi Health Mission for SC Pregnant women under "Matri Shishu surakasha yojana"	--	--
19	Grant-in-aid to Delhi Health Mission for Providing antenatal care institutional delivery to SC Women	--	--
20	Grant-in-aid to DUSIB for financial assistance to SC slum dwellers under Rajeev Ratna Awas yojana	1800.00	1800.00
	Total	**2500.00**	**20008.39**

521. श्री साहब सिंह चौहान : क्या **लोक निर्माण विभाग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा एस.सी., एस.टी. व ओ.बी.सी. वर्ग के लोगों के लिए क्या-क्या योजनाएं उनके कल्याणार्थ चलाई जा रही हैं, उनका विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजनाओं में प्रार्थी को किन-किन औपचारिकताओं को पूरा करना आवश्यक होता है, प्रत्येक वर्ग की प्रत्येक योजनाओं का विस्तृत विवरण दे;

(ग) उक्त क्षेत्रों के लिए सरकार ने पिछले 10 वर्षों में अब तक प्रत्येक वर्ष के अनुसार कितने-कितने धन का प्रावधान किया गया तथा कितना-कितना खर्च किया गया, उनका विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह सत्य नहीं है कि उक्त वर्ग के लोगों के लिए संबंधित विभाग के द्वारा योजना स्वीकृत कर यदि ऋण के लिए बैंकों में भेजा जाता है तो संबंधित बैंक आनाकानी, मनमानी/प्रार्थियों को तंग करते हैं और आखिरकार प्रार्थी घर ही बैठ जाता है, तथा लाभ से वंचित रह जाता है, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) और (ख) जानकारी अनुलग्नक 'क'* पर उपलब्ध है।

(ग) जानकारी अनुलग्नक 'ख'* पर उपलब्ध है।

(घ) जी नहीं। दिल्ली अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम सीधे लाभार्थियों को दिल्ली सरकार एवं राष्ट्रीय एजेंसियों के माध्यम से ऋण वितरित करता है।

---

* पुस्तकालय में उपलब्ध है।

522. श्री साहब सिंह चौहान : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में एस.सी., एस.टी. व ओ.बी.सी. के प्रमाणपत्र बनाने के लिए किन-कितने औपचारिकताओं का पूरा होना आवश्यक है;

(ख) उक्त प्रमाणपत्र आवेदन करने के कितने दिन में बन जाने चाहिए;

(ग) क्या यह सत्य नहीं है कि ओ.बी.सी. का सर्टिफिकेट बनाने के लिए वर्ष 1993 से लगातार प्रत्येक वर्ष का दिल्ली में रहने का प्रमाणपत्र आवेदक से देने के लिए बाध्य किया जाता है और यदि 1993 से अब तक किसी भी वर्ष का निवास प्रमाणपत्र देने में यदि प्रार्थी असमर्थ है तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाता है; और

(घ) एस.सी., एस.टी. व ओ.बी.सी. वर्ग के लोगों को शीघ्र व आसानी से लाभ पहुंचाने के लिए क्या इन सर्टिफिकेट बनाने का सरलीकरण नहीं किया जा सकता और सरकार कब तक इसका सरलीकरण कर देगी?

शहरी विकास मंत्री : (क) इससे संबंधित दिशा-निर्देश संलग्न हैं।

(ख) इसके लिए 60 दिन की समय सीमा निर्धारित है।

(ग) जी नहीं, ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 1993 या उससे पहले का कोई भी निवास प्रमाण आवश्यक हैं।

(घ) मौजूदा प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया सरल है।

OBC

List of Supporting documents - (Maximum time limit - 60 days)

1. Completed application form.
2. AADHAR No., if AADHAR No. is not available, provies the AADHAR Enrolment No. and any one of the identity proof PAN/ PASSPORT/Driving Licence/Voters Card/Indentity Card. The name of the applicant on tha AADHAR card should match with the Name of the Applicant.
3. The photograph of the applicant will be captured through web camera at the time of submission of applicaion or at the time of verification. The Photograph of the applicant should match with photo of the applicant on the AADHAR.
4. A copy of OBC certificate of father, brother, sister or of his/her blood relative from paternal side, if available.
5. Two attestations by MP/MLA/Councilor and Gazetted Officers, declaring the caste of applicant and continuous stay inDelhi since 1993.
6. Family income proof (ITR/Salary slip/Form-16 etc.)
7. Affidavit in the prescribed Performa (Affidavit from the major if the children are below the 18 years).
8. Supporting document for the present residential proof like Voters Card, Electricity bill, Water Bill. Telephone Bill etc.
9. Supporting document of residential proof in Delhi since 1993.

Note : All supporting documents must be attested by MP/MLA/Gazetted Officer.

SC/ST

List of Supporting documents - (Maximum time limit - 60 days)

1. Completed application form duly attested by MP/MLA/Councilor/ Gazetted officer.

2. AADHAR No., if AADHAR No. is not available, provide the AADHAR Enrolment No. and any one of the identity proof PAN/ PASSPORT/Driving Licence/Voters Card/Indentity Card. The name of the applicant on tha AADHAR card should match with the Name of the Applicant.

3. The photograph of the applicant will be captured through web camera at the time of submission of applicaion or at the time of verification. The Photograph of the applicant should match with photo of the applicant on the AADHAR.

4. A copy of SC/ST certificate of father, brother, sister or of his/her blood relative from paternal side.

5. Affidavit in case of SC/ST certificate issued form outside Delhi in prescribed Performa attested by executive magistrate (Affidavit from the major if the children are below the 18 years).

6. If certificate of father, brother, sister or of his/her blood relative from paternal side is not available, two attestations by MP/MLA and Gazetted Officers, declaring the caste of applicant.

7. Supporting document for the present residential proof like Voters Card, Electricity bill, Water Bill. Telephone Bill etc.

8. Proof of Date of Birth (Birth Certificate, School certificate or Passport)

9. The migrants SC members whose caste are listed in SC list of Delhi should be issued caste certificate as original resident of Delhi if any of the following :-

(a) Birth Certificate (Born in Delhi)

(b) Matriculation Certificate (Studied in Delhi)

Note : All supporting documents must be attested by MP/MLA/Gazetted Officer.

523. श्री मनोज कुमार : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुंडका विधान सभा में किन-किन क्षेत्रों के अंतर्गत एस.सी./एस.टी. परिवार के सदस्य ज्यादा संख्या में रहते है, उनका पूर्ण विवरण दें;

(ख) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा जनगणना विभाग द्वारा ई.बी. को मान्यता दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि जनगणना करने वाले कर्मचारी ऐसी जगह नहीं पहुंच पाते हैं जहां एस.सी./एस.टी. परिवार के लोग अधिक संख्या में निवास करते हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किस प्रकार लाभ मिलेगा; और

(ङ) इसके लिए क्या योजना बना रही है, पूर्ण विवरण दें?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जनगणना 2001 के अनुसार मुंडका विधान सभा क्षेत्र 5 वार्ड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की कुल एवं अनुसूचित जाति की जनसंख्या का विवरण संलग्न है। वार्डों प्रगणक ब्लाक स्तर पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या से संबंधित विवरण संलग्न है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े जिला व तहसील स्तर पर जारी किए गए हैं। जनगणना 2011 के वार्डस्तर पर आंकड़े अभी जारी नहीं किए गए हैं। दिल्ली में कोई भी अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं है। अतः उनके आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं है।

(ख) दिल्ली सरकार द्वारा अ.जा./ज.जा. बस्ती सुधार योजना के अंतर्गत गलियों व चौपालों के निर्माण कार्य ई.बी. संख्या के आधार पर अ.जा./ज.जा. की 33 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत के आधार पर किए जाते हैं।

(ग) जनगणना करने के लिए प्रत्येक प्रशासनिक इकाई को जिला, तहसील, वार्ड, गांव इत्यादि के अंतर्गत प्रगणक ब्लाकों में विभाजित किया जाता है तथा प्रत्येक प्रगणक ब्लाक में एक प्रगणक नियुक्त किया जाता है, एक प्रगणक ब्लाक सामान्यत नगरी क्षेत्र 120 परिवारों तथा ग्रामीण क्षेत्र 150 परिवारों का बनाया जाता है। प्रगणकों को प्रत्येक घर में जाकर परिवारों के सभी सदस्यों के संबंध में सूचना एकत्र करनी होती है, चाहे वह किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हो। जनगणना के दौरान विभिन्न माध्यमों से प्रचार किया जाता है तथा जनसाधारण से जनगणना न होने की शिकायत प्राप्त होने पर उनकी जनगणना करवाने के लिए संबंधित चार्ज अधिकारी के माध्यम से तत्परता से कार्यवाही की जाती है।

(घ) उपरोक्त 'ग' के अनुसार लागू नहीं ।

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

MUNDIKA ASSEMBLY CONSTITUENCY
WARDS OF CENSUS-2011-29, 30, 31 AND 32
TOTAL AND SC POPULATION AS PER CENSUS-2001

Corresponding Ward of census-2001	Name of Town/ Village	Total Population-2001	Scheduled Caste Population-2001
1	2	3	4
38	Kanjhawala (CT)	8700	1513
	Karala	19100	3187
	Mohammad Pur Majri	10073	1200
	Madan Pur Dabas	2135	186
	Lad Pur	4601	903
	Chatesar	1965	316
	Jonti	4560	1043
	Garhi Rindhale	1202	502
	Nazim Pur Rashid Pur	3549	726

1	2	3	4
43	Nanglok Jat (CT) part-EB no. 1 to 39	25932	16997
44	Mundaka (CT) EB no. 1 to 65	43875	5882
	Nangloi Jat (CT) part-EB no. 1to 32 and 35 Quammuridin Nagar CT (part) EB no. 1 to 3,14-15	22422	656
	Gheora (CT)	5917	1142
	Ranikhera	4059	771
	Rasool Pur	1217	254
	Saoda	944	91
	Nilothi	22888	1965
48	Jaffar pur alias Hiran Kudna	3990	574
50	Tilri Kalana	14191	1241
	Neel Wal	2301	505
	Total	**206873**	**40154**

524. श्री मनोज कुमार : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार की मुण्डका विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत टिकरी गांव में नेताजी सुभाष चन्द बोस की स्मृति में बनाए गए आजाद हिंद ग्राम के साथ लगने वाली जमीन का अधिग्रहण करके वहां पर पक्षी विहार व आरक्षित वन क्षेत्र बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मुख्यमंत्री : (क) मुण्डका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत टिकरी गांव में किसी भी जमीन का अधिग्रहण करके पक्षी विहार व आरक्षित वन क्षेत्र बनाने की कोई योजना वन विभाग में लंबित नहीं हैं।

(ख) व (ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं हैं।

525. श्री ओ. पी. बब्बर : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सत्य है कि वर्षा ऋतु में सरकार के सभी विभागों द्वारा प्रतिवर्ष हजारों पेड़ लगाकर वन महोत्सव मनाया जाता है;

(ख) दिल्ली वर्ष कितने पेड़ लगाए गए और कितने लगाए जाने थे; और

(ग) वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 से अब तक कितने पेड़ लगाए गए?

मुख्यमंत्री : (क) जी हां, वर्षा ऋतु में वन महोत्सव के दौरान हरित क्षेत्र विकास से संबंधित विभागों की निगरानी में विभागों द्वारा हजारों पेड़ लगाए जाते हैं।

(ख) वर्ष 2012-13 में 8,20,700 पौधों को लगाने के लिए लक्ष्य रखा गया था एवं 7,8,2088 पौधे फरवरी, 2013 तक लगा दिए गए हैं।

(ग)

क्र.सं.	वर्ष	पौधारोपण
1.	2010-11	1301416
2.	2011-12	956893
3.	2012-13 (फरवरी तक)	782088

526. श्री ओ. पी. बब्बर : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मैट्रो ट्रैक और स्टेशनों को उचित ले-आउट के लिए बहुत से पुराने पेड़ों को काटना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो हरियाली के नुकसान की भरपाई और पर्यावरण की बेहतरी के लिए क्या नए पेड़ लगाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं तो निकट भविष्य में शहर में ज्यादा पेड़ लगाने की क्या योजना है ताकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हरित क्षेत्र पर प्रभाव न पड़े?

मुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) वन विभाग दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, (डी.पी.टी.ए.) 1994 के तहत

एक वृक्ष को काटने से हुई पर्यावरण क्षति की भरपाई के लिए दस (10) वृक्ष प्रजाति के पौधों का पौधारोपण किया जाता है। इनमें से वन विभाग द्वारा 5 पौधों का पौधारोपण किया जाता है और शेष 5 पौधों का पौधारोपण एक वृक्ष काटने की अनुमति पाने वाले लाभार्थी द्वारा किया जाता है। लाभार्थी द्वारा पौधारोपण के उपरांत इन पौधों के स्थापित होने तक देखभाल की जिम्मेदारी भी वहन करनी पड़ती है।

इसके अतिरिक्त हरित क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में वृक्षों की पौध लगाई जाती है। इस अभियान में, दिल्ली के नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्थलों जैसे वन विभाग नर्सरी/पौधाशाला, मदर डेरी बूथ, केंद्रीय भंडार एवं चयनित पेट्रोल पम्पों से मुफ्त पौध वितरण की व्यवस्था भी की जाती है।

(ग) वन विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रिक्त वन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण करता है और नए क्षेत्रों में वृक्षारोपण करके हरित क्षेत्र के विकास में तत्पर है।

527. श्री ओ. पी. बब्बर : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जी.जी.-1 विकासपुरी मंगल बाजार रोड, तिलक नगर, अजय एन्कलेव में पेड़ों की भारी मात्रा में कटाई से संबंधित शिकायत के कई प्रार्थना-पत्र वन विभाग के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्रार्थना पत्रों की स्वीकृति क्यों नहीं प्रदान की गई;

(ग) इन प्रार्थना पत्रों को कब तक अनुमति प्रदान कर दी जाएगी; और

(घ) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के वन विभाग द्वारा कटाई की प्रणाली को जनता के अनुकूल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि प्रमाणिक मामलों को तुरंत अनुमति दी जा सके?

मुख्यमंत्री : (क) जी नहीं, जी.जी.-1 विकासपुरी मंगल बाजार रोड, तिलक नगर, अजय एन्केलव में पेड़ों की भारी मात्रा में कटाई से संबंधित शिकायत के प्रार्थना-पत्र वन विभाग के पास लंबित नहीं हैं।

(ख) व (ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(घ) दिल्ली के नागरिकों की सुविधा के लिए वृक्षों की कटाई से संबंधित प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि एवं उसके साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों संबंधित जानकारी वन विभाग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994, की धारा-8 के अनुसार यदि किसी वृक्ष से किसी प्रकार के जान या माल के खतरे की संभावना हो अथवा यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो, तो भूमि का मालिक ऐसे वृक्ष को तुरंत कटवा सकता है और इस संबंध में सूचना संबंधित वृक्ष अधिकारी को 24 घंटे के अंदर देय होगी।

528. श्री सुनील वैद्य : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या यह सत्य नहीं है कि आपका विभाग वन एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य करता है;

(ख) यदि हां, तो त्रिलोकपुरी विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां पर और कितनी-कितनी भूमि आपके विभाग की है और उस पर वर्तमान में या भविष्य में होने वाले कार्यों की जानकारी दें;

(ग) त्रिलोकपुरी विधान सभा क्षेत्र से संबंधित विभाग के अधिकारियों के नाम व संपर्क सूत्र बताएं; और

(घ) त्रिलोकपुरी में जीवन के लिए खतरा बन चुके व बेकार सड़े हुए वृक्षों को आपके विभाग द्वारा कैसे कटवाया जा सकता है और उनके स्थान पर क्या नए वृक्ष लगवाए जा सकते हैं, कृपया जानकारी दें?

मुख्यमंत्री : (क) जी हां, यह सत्य है कि वन एवं वन्य जीव विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हरित क्षेत्र के विकास एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए सतत् कार्यरत है।

(ख) त्रिलोकपुरी विधान सभा क्षेत्र में वन विभाग ने सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर लगभग 18000 पौधों का पौधारोपण धर्मशिला पुल क्षेत्र, कोंडली पुल क्षेत्र एवं अक्षरधाम फ्लाईओवर से चिल्ला रेगुलेटर क्षेत्र में किया है। त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में भूमि की उपलब्धता होने पर वन विभाग द्वारा भविष्य में भी पौधारोपण किया जाएगा।

(ग) 1) श्री आर गोपीनाथ, उप वन संरक्षक, उत्तरी वन प्रभाग, कमला नेहरू रिज, दिल्ली-110007 (दूरभाष नं. 23853561)

2) श्री सुरेश ठाकुर, रैंज प्रभारी, आई.टी.ओ. नर्सरी, नई दिल्ली-110002, (दूरभाष नं. 9811506415)

3) श्री सहदेव, उप वन राजिक, आनंद विहार, (दूरभाष नं. 9810201512)

(घ) दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम 1994, की धारा-8 के अनुसार यदि किसी वृक्ष से किसी प्रकार के जान या माल के खतरे की संभावना हो अथवा यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो, तो भूमि का मालिक ऐसे वृक्ष को तुरंत कटवा

सकता है और इस संबंध में सूचना संबंधित वृक्ष अधिकारी को 24 घंटे के अंदर देय होगी।

रिक्त स्थान की उपलब्धता के आधार पर वृक्ष पौध का पौधारोपण किया जा सकता है।

529. श्री जसवंत सिंह राणा : क्या **लोक निर्माण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि नरेला विधान-सभा क्षेत्र में नरेला से साफियाबाद रोड-शाहपुर से भोरगढ़ रोड और खेड़ाकलां से होलंबी कलां रोड आदि के टैंडर लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य अभी तक शुरू क्यों नहीं किए गए; और

(ग) ये कार्य कब तक शुरू कर दिए जाएंगे?

लोक निर्माण मंत्री : (क) जी हां।

(ख) 1. नरेला से साफियाबाद रोड का हाल ही में कार्य अवार्ड हुआ है, इसका सीमाकंन (demarcation) होना बाकी है।

2. शाहपुर से भोरगढ़ रोड का पिछला टेंडर निरस्त होने के बाद दोबारा से टेंडर लगाया गया है और दिनांक : 18.03.2013 को निविदा प्राप्त हो गई है।

3. खेड़ाकलां से होलंबी कलां रोड का कार्य हाल ही में अवार्ड हुआ है, इसका सीमांकन (demarcation) होना बाकी है।

(ग) नरेला से साफियाबाद व खेड़ाकलां से होलंबी कलां के कार्य सीमांकन के तुरंत बाद चालू कर दिए जाएंगे। शाहपुर से भोरगढ़ रोड का कार्य निविदा मंजूर होने के बाद 10 दिन में शुरू करने का लक्ष्य है।

530. चौ. सुरेन्द्र कुमार : क्या **लोक निर्माण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोकुलपुर विधान-सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा सेवा धाम रोड का काम कब तक पूरा कर दिया जाएगा?

(ख) इस कार्य के लिए कितना बजट दिया गया, पूर्ण विवरण दें?

लोक निर्माण मंत्री : (क) सेवा धाम रोड का कार्य प्रगति पर है। यह कार्य जून, 2013 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ख) इस कार्य के लिए 13.95 करोड़ रु. का प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस कार्य के अंतर्गत सीमेंट कंकरीट की सड़क एवं साइड में ड्रेन बनाने का प्रावधान है।

531. श्री श्रीकृष्ण त्यागी : क्या **लोक निर्माण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक निर्माण विभाग द्वारा बुराड़ी से स्वरूप नगर रोड जो 60-फुटा है, इसको लोक निर्माण विभाग कब तक बनाएगा;

(ख) मेन बुराड़ी रोड का चौड़ीकरण का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(ग) बुराड़ी बाईपास में जाम की भयानक स्थिति को देखते हुए यहां पर कब तक एक पुल अथवा अंडरपास बनाया जाएगा;

(घ) नत्थूपुरा मोड़ पर रोड में डिवाइडर एवं चौड़ीकरण कार्य कब तक कराया जाएगा; और

(ङ) बुराड़ी बाईपास से मेन बुराड़ी रोड पर जिन खोके व रेहड़ियों द्वारा रुकावट डाली जाती है, इनको उचित तरीके से रोड के किनारे लगाने की जिम्मेदारी किसी की है जिससे यातायात सुचारु रूप से चल सके?

लोक निर्माण मंत्री : (क) लोक निर्माण विभाग द्वारा सप्लीमेंट ड्रेन के साथ स्वरूप नगर से जगतपुर तक लगभग 100 फुट चौड़ा बंध रोड का निर्माण कार्य करने के लिए निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। इसका निर्माण कार्य दिसंबर, 2014 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ख) मेन बुराड़ी रोड के चौड़ीकरण के कार्य की कोई योजना फिलहाल लोक निर्माण विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

(ग) मुकरबा चौक से वजीराबाद तक के रोड के इम्प्रूवमेंट की योजना के तहत बुराड़ी चौक पर (एन-एच-1) 6-लेन का एक फ्लाई ओवर बनाने की योजना है। यह कार्य जुलाई 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(घ) नत्थूपुरा मोड़ पर रोड में डिवाइडर एवं चौड़ीकरण कार्य की योजना फिलहाल लोक निर्माण विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

(ङ) लाईसेंसिंग एवं स्वास्थ्य विभाग (उत्तरी दिल्ली नगर निगम)।

532. श्री साहब सिंह चौहान : क्या **लोक निर्माण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य नहीं है कि यमुना पर सिग्नेचर ब्रिज बनने के बाद

यातायात का सारा दबाव भजनपुरा रेडलाइट चौक व यमुना विहार मेन रेडलाइट चौक पर पड़ेगा, क्योंकि सिग्नेचर ब्रिज भजनपुरा रेडलाइट चौक से पहले ही समाप्त कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सत्य नहीं है कि घोंडा क्षेत्र के विधायक के प्रश्नों के उत्तर में माननीय मंत्री ने कई बार यह आश्वासन दिया है कि एक फ्लाई-ओवर/ऐलीवेटेड रोड भजनपुरा रेडलाइट चौक व यमुना विहार मेन रेडलाइट चौक के ऊपर से बनाने के लिए विभाग द्वारा फिजीबिलिटी देखी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य में क्या प्रगति है तथा सिग्नेचर ब्रिज चालू होने के बाद भजनपुरा व यमुना विहार के उक्त वर्णित स्थानों पर भारी जाम से निजात दिलाने के लिए कब तक संबंधित फ्लाई-ओवर/ऐलीवेटेड रोड बनना प्रारंभ हो सकेगा? इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) एवं (ख) सिग्नेचर ब्रिज बनने के बाद भजनपुरा रेडलाइट चौक व यमुना विहार मेन रेडलाइट पर यातायात के संभावित दबाव को ध्यान में रखते हुए फिजिबिलिटी कंसल्टेंट अपाइंट करने के लिए निविदाएं स्वीकृत कर ली गई है तथा कार्य शीघ्र ही अवार्ड कर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस कार्य को पूरा करने में लगभग 8-माह का समय लगेगा।

(ग) कंसल्टेंट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार अनुमान स्वीकृत होने के उपरांत लगभग 24 माह में फ्लाई ओवर का निर्माण पूरा किए जाने की संभावना है।

533. श्री सत प्रकाश राणा : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) दिल्ली में कुल कितने पुलिस थाने हैं और किस-किस थाने के पास जब्त किए गए कितने वाहन व बोर करने वाली मशीनें हैं;

(ख) क्या दिल्ली पुलिस को इस बात का एहसास नहीं है कि दिल्ली के हर थाने के आस-पास बड़ी संख्या में वाहनों व बोरिंग मशीनों का ढेर पड़ा रहता है और जिससे आस-पास के लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है; और

(ग) दिल्ली पुलिस इन वाहनों को थाने के सामने से व सम्मान्तः रोड़ों के ऊपर से हटाने की कोई योजना बना रही है, यदि हां, तो किस तरह से?

मुख्यमंत्री : (क) दिल्ली में कुल 181 पुलिस स्टेशन हैं, जिनमें 161 क्षेत्रीय थाने है। 2 आई.जी.आई. एयरपोर्ट, 5 रेलवे पुलिस स्टेशन, 8 मेट्रो पुलिस स्टेशन तथा 5 विशेष इकाई थाने क्रमशः स्पेशल सैल, ई.ओ.डब्ल्यू. सैल, म.अ.शाखा, अपराध व सतर्कता शाखा। दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहनों व बोर मशीनों का ब्यौरा परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।*

(ख) व (ग) दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहन व बोरिंग मशीनों को अधिकतर थाना परिसर में ही जमा किया जाता है। फिर भी यदि कोई वाहन जगह के अभाव में थाना परिसर से बाहर खड़ा किया जाता है तो ऐसे वाहनों की कानूनी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करके उनके मालिकों के हवाले कर दिया जाता है ताकि लोगों को सड़क पर असुविधा ना हो। इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस ने प्रत्येक जिले में केंद्रीय मालखाना बनाया है जहां पर जब्त किए गए वाहनों को थानानुसार जमा किया जाता है।

---

* पुस्तकालय में उपलब्ध है।

534. श्री सत प्रकाश राणा : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) दिल्ली में अब तक किस-किस पुलिस स्टेशन में कितने-कितने किरायेदारों का सत्यापन किया गया है;

(ख) यानि पुलिस विभाग के पास दिल्ली में कुल कितने किरायेदारों की सूची है; और

(ग) क्या उक्त थानों के पास सभी प्रदेशों की वोटर लिस्ट, यू.आई.डी. कार्ड के रजिस्ट्रेशन या राज्य द्वारा किए गए किसी भी तरह के सर्वे की सूची आदि नहीं रखी जा सकती, जिससे कि जब भी कोई किरायेदार रजिस्ट्रेशन का फार्म भरे, तो इसके विषय में कुछ जानकारी तुरंत प्राप्त की जा सके?

मुख्यमंत्री : (क) व (ख) दिल्ली पुलिस द्वारा पिछले तीन वर्षों 2010, 2011, 2012 व 2013 (दिनांक 28.2.2013 तक) थानावार किरायेदारों के किए गए सत्यापन का ब्यौरा परिशिष्ट-'क'* पर संलग्न है।

(ख) दिल्ली पुलिस के प्रत्येक थानों में सभी राज्यों की वोटर लिस्ट, यू आई डी कार्ड की रजिस्ट्रेशन या राज्य द्वारा किए गए किसी भी तरह के सर्वे की सूची आदि रखना संभव नहीं हैं क्योंकि यह बहुत विस्तृत जानकारी है।

535. श्री सुनील कुमार वैद्य : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सत्य नहीं है कि मेरे व मेरे परिवार वालों पर पिछले चार वर्षों में कई बार कातिलाना हमला हुआ जिनकी एफआईआर विभिन्न पुलिस थानों (मयूर विहार, पांडव नगर, न्यू अशोक नगर) में दर्ज है। हां, तो;

---

* पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) उपरोक्त के संबंध में गृह विभाग, भारत सरकार को कोई रिपोर्ट पुलिस विभाग द्वारा भेजी गई है;

(ग) मुझे स्थायी सुरक्षा कब तक प्रदान कर दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री : (क) विधायक श्री सुनील वैद्य पर जनवरी 2010 एक बार हमला हुआ था जिसकी रिपोर्ट थाना न्यू अशोक नगर में दर्ज है। दिनांक 07.10.2012 को श्री सुनील वैद्य विधायक के कार्यालय के बंद शटर पर किसी नामालूम शक्स ने दो गोलियां मार दी थीं जिसकी सूचना थाना मयूर विहार में दर्ज है। इसके अलावा विधायक जी की पत्नी श्रीमती किरण ने नवम्बर 2011 में मोबइल फोन चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसकी सूचना थाना पांडव नगर में दर्ज है।

(ख) इस संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा गृह विभाग भारत सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई।

(ग) व (घ) माननीय विधायक श्री सुनील वैद्य को माननीय आयुक्त, पुलिस, दिल्ली के आदेशानुसार पूर्वी जिले द्वारा दिनांक 12.6.2012 से सुरक्षा प्रदान की गई है।

536. श्री मनोज कुमार : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) पिछले चार वर्षों में सरकार ने व्यापार के माध्यम से कर प्राप्ति का कितना-कितना लक्ष्य रखा था;

(ख) उक्त वर्षों में मार्च 2013 तक कुल कितना कर प्राप्त हुआ है; और

(ग) उक्त प्राप्ति का कितना किन मदों पर खर्च किया गया, उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है?

मुख्यमंत्री : (क) पिछले चार वर्षों में सरकार ने व्यापार कर प्राप्ति का निम्नलिखित लक्ष्य रखा था—

(रुपये करोड़ में)

2008-09	9300
2009-10	10,000
2010-11	12,600
2011-12	14,000
2012-13	16,500

(ख) उक्त वर्षों में कुल प्राप्त कर निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	कर संग्रह	केंद्रीय कर क्षतिपूर्ति	कुल कर प्राप्ति
2008-09	9151.98	517.57	9669.55
2009-10	10125.89	1566.02	11691.91
2010-11	12068.43	2001.75	14070.18
2011-12	13750.78	653.85	14404.63
2012-13 (फरवरी तक)	14043.40	–	14043.40

(ग) संग्रहित किया गया कर सरकार के प्राप्ति कोष में जमा हो जाता है, जैसे अन्य कर भी जमा होते हैं।

537. श्री रमेश बिधूड़ी : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि व्यापार कर विभाग के इनफोर्समेंट ब्रांच द्वारा पकड़ी गई गाड़ियों पर 40 प्रतिशत जुर्माने का प्रावधान है;

(ख) विभाग की कितनी टीमों द्वारा गाड़ियों की चैकिंग की जाती है;

(ग) क्या यह भी सत्य नहीं है कि कुछ बड़े ट्रांसपोर्टरों द्वारा विभाग के कुछ बड़े अधिकारियों से मिलकर केवल छोटे ट्रांसपोर्टरों को ही निशाना बनाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो यह बताया जाए पिछले एक वर्ष में कितने बड़े ट्रांसपोर्टरों की गाड़ियां जब्त कराई गई हैं और कितना टैक्स प्राप्त किया गया है?

मुख्यमंत्री : (क) जी हां, जिस सामान के साथ उपयुक्त दस्तावेज या कोई दस्तावेज नहीं पाए जाते हैं, उस सामान पर दिल्ली मूल्य संबंर्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 86(19) के अंतर्गत 40 प्रतिशत जुर्माने का प्रावधान है।

(ख) वर्तमान में नौ टीमों द्वारा गाड़ियों की चैकिंग की जा रही है।

(ग) विभाग बड़े या छोटे ट्रोसपोर्टरों के आधार पर नहीं बल्कि वाहन के साथ मौजूद सही या गलत दस्तावेजों के आधार पर वाहन जब्त करता है।

(घ) वर्ष 2012-13 में फरवरी माह तक कुल 5056 वाहन जब्त किए गए तथा 55.59 करोड़ रुपये टैक्स तथा जुर्माना प्राप्त किया गया।

538. श्री ओ. पी. बब्बर : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जनक पुरी क्षेत्र में निर्माणाधीन दिल्ली हाट की कोई प्रस्तावित योजना है जिसका विकास दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा कला एवं हस्तकला, खाने आदि के स्टॉल के लिए जगह देने के लिए किया जाना है।

(ख) इस योजना के पूर्ण होने में अनुमानित कितना समय लगेगा;

(ग) इस हाट में लोगों को किस प्रक्रिया के माध्यम से स्टॉल आबंटित किए जाएंगे; और

(घ) क्या इस स्थान का विकास दिल्ली के पर्यटन विभाग द्वारा पहले तय किए गए आधार पर किया जाएगा?

मुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) यह योजना अनुमानतः सितम्बर 2013 तक बनकर तैयार हो जाएगी।

(ग) यह अभी तक निर्धाध्रित नहीं किया गया है।

(घ) यह स्थान "दिल्ली हाट" के रूप में विकसित किया जा रहा है।

539. श्री कृष्ण त्यागी : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) योजना विभाग द्वारा बुराड़ी विधान सभा के अंतर्गत कौन-कौन सी योजनाएं प्रस्तावित हैं;

(ख) योजना विभाग द्वारा बुराड़ी विधा सभा के अंतर्गत कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित हैं;

(ग) दिल्ली मैट्रो एवं मोनो रेल की योजना बुराड़ी क्षेत्र में कब तक लाने की योजना है; और

(घ) योजना विभाग के अंतर्गत कौन-कौन सी योजनाएं बनाने का अधिकार है?

मुख्यमंत्री : (क) एवं (ख) योजना विभाग किसी भी विधान सभा के लिए कोई योजना प्रस्तावित नहीं करता है संबंधित विभाग ही योजना प्रस्तावित करते हैं।

(ग) दिल्ली मैट्रो की योजना बुराड़ी क्षेत्र में तीसरे चरण में मुकन्दपुर-मौजपुर लाइन के अंतर्गत लाने की योजना है।

मोनो रेल की कोई योजना इस क्षेत्र के लिए नहीं है।

(घ) योजना विभाग दिल्ली के सभी विभागों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का समन्वय कर दिल्ली की वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाएं निर्धारित करने का कार्य करता है या संबंधित विभागों को योजना से जुड़े विषय पर सलाह देता है। अतः योजनाएं बनाने का अधिकार योजना विभाग पर लागू नहीं होता है।

540. श्री सत प्रकाश राणा : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) सूचना एवं प्रचार विभाग द्वारा वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 में किस-किस मद में कुल कितना पैसा खर्च किया गया है;

(ख) वर्ष अनुसार परियोजना किस-किस एजेंसी को कितनी राशि दी गई है; और

(ग) उक्त एजेंसी द्वारा क्या-क्या कार्य किया गया है?

मुख्यमंत्री : (क) सूचना एवं प्रचार विभाग द्वारा वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 में कुल खर्चा निम्ननुसार है—

मद	खर्चा (हजार में) 2008-2009	खर्चा (हजार में) 2009-10	खर्चा (हजार में) 2010-11	खर्चा (हजार में) 2011-12	खर्चा (हजार में) 2012-13 (फरवरी, 2013 तक)
वेतन	15088	19677	19361	21115	23422
ओटीए	7	4	–	–	–
डोमेस्टिक ट्रैवल	16	11	–	–	7
ऑफिस एक्सपेंसेस	3800	3298	3294	3996	2774
अन्य चार्जेस	245870	153527	178724	181076	51882
विदेश यात्रा	–	–	–	–	–
मेडिकल ट्रीटमेंट	866	1085	682	582	791
इंफरमेंशन टैक्नॉलॉजी	440	337	1044	190	0
योग	**266087**	**177939**	**203105**	**206959**	**78876**

(ख) एवं (ग) सूचना संलग्न है। (संलग्नक 'अ')*

* पुस्तकालय में उपलब्ध है।

विशेष उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त। अब 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाए जाएंगे। श्री वीर सिंह धिंगान।

श्री वीर सिंह धिंगान : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लोक निर्माण विभाग के अधीन आए मुख्य नालों की ओर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे नाले अभी दिल्ली नगर निगम से लिए हैं, सरकार के पास आए हैं, जिसमें मेरे क्षेत्र के रोड नं. 63, 64, 68, 69 और 70 आते हैं। अध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण विभाग द्वारा मुख्य नालों की सफाई न होने के कारण मेरे क्षेत्र की पुनर्वास कालोनी सुंदर नगरी, नंद नगरी, सीमापुरी में जल भराव की भारी समस्या उत्पन्न हो गई है। अध्यक्ष महोदय, रोजाना इन नालों के रुकने के कारण पुनर्वास कालोनियों की गलियों में पानी भर जाता है, जिससे स्थानीय नागरिकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, जल भराव की समस्या से विशेषकर सुंदर नगरी के लोग बेहद परेशान हैं, इसके एम, एन और ओ ब्लॉक के जो लोग हैं, वे रोजाना मेरे पास आते हैं कि इसकी सफाई कराइए। अध्यक्ष महोदय, यह पता नहीं लगता कि सफाई का काम किसके पास है, किसके पास नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारे अधिकारियों से हमें कोई शिकायत नहीं है लेकिन इसके लिए कोई व्यवस्था शायद ऐसी नहीं है कि निरंतर इनकी सफाई हो। जब कि इनकी निरंतर सफाई करने की आवश्यकता है। अगर इनकी सफाई नहीं होती है तो अंदर की जो गलियां हैं, पूरी तरह से गंदे पानी से वे भर जाती हैं। कई बार तो लोगों का चलना या घर से निकलना भी मुश्किल होता है। ऐसी हालत यहां हो रही है। तो मैं माननीय मंत्री जी से

जानना चाहूंगा कि जो बड़े नाले आए हैं, इनकी प्रॉपर सफाई के लिए कोई व्यवस्था करवाई जा रही है या नहीं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय वीर सिंह धिंगान जी ने जो 280 के अंतर्गत उठाया, मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर पहले ही काम चल रहा है, डिसिल्टिंग का काम चल रहा है, और जब ड्रेन का या नाले की सफाई का काम चलता है तो उस पर रोका वगैरह लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से पिछले एरिया में पानी भरता है। और जो इनका दूसरा प्रश्न है कि पीडब्ल्यूडी कर रहा है या कौन कर रहा है तो मैं बताना चाहूंगा कि पीडब्ल्यूडी इस काम को कर रहा है। जो कार्पोरेशन से हमारे पास आए हैं, या पुराने जो कार्पोरेशन के रोड और ड्रेन हैं, उनका काम पीडब्ल्यूडी ही कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने कहा कि कालोनी के बीच का जो हिस्सा है। जहां पर प्राब्लम आती है, क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से वहां, गंद की निकासी ज्यादा होती है तो टैम्परेरी बेसिस पर कॉट्रैक्ट पर ये काम दिया है जिससे बड़े नालों का काम हो रहा है और शुरू भी हो गया बहुत सी जगह। दिल्ली में मेरी कोशिश है कि मई आखिर तक हम ये सारा काम कम्पलीट कर लें, मानसून से पहले पहले। और जो अंदर काम है, कालोनी के बीच का वह भी कांट्रैक्ट बेस पर हमने टेंडर कर लिया है, वह भी शुरू हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें प्रश्न नहीं पूछे जाते न यह बहस का विषय है। आप बैठिए। प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा जी।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन सालों में दिल्ली से 45025 कारें चुराई गई। अध्यक्ष

महोदय, एक दिन में चालीस कारें चुराने की बात इसमें आती है। अध्यक्ष महोदय, कारों का चुराना तो एक अलग बात है, अपराध है। पर इन कारों का उपयोग कैसे होता है, आतंकवादी भी इसका उपयोग करते हैं, जब ड्रग्स के लिए इस्तेमाल होती हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो चोरी की कार थी। जब हाई कोर्ट का कांड हुआ था, तब भी चोरी की कारें थीं और ये कारें दिल्ली से लेकर नेपाल जाती हैं, बंगलादेश जाती हैं, दूसरे प्रदेशों में नॉर्थ ईस्ट में जाती हैं। और इनमें बहुत सी अपराधों के काम में इस्तेमाल होती हैं। हर रोज ...44025 अगर तीन साल में हुई तो एवरेज 40 कारें एक दिन में चुराई जाती हैं और उनमें से करीबन कुल मिलाकर जो हिसाब है, उसमें से 8 कारें वापस मिलती हैं, बाकी कारों का पता ही नहीं चलता। तो ये कारों की चोरी करना, यह बहुत बड़ा गैंग है, और वह गैंग आतंकवादियों से भी मिला हुआ, मैंने कहा कि ड्रग्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। मर्डर के लिए भी इस्तेमाल होता है। जो अभी घटना हुई है मर्डर की, और दीपक भारद्वाज के बारे में, उसमें भी कहा जा रहा है कि जो कार थी, वह शायद चोरी की कार थी। तो इसके बारे में पुलिस को बहुत गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए। दिल्ली में तो घटनाएं हो रही हैं कि 20 बच्चे तो रोज गुम हो जाते हैं, जिनमें से दो बच्चे नहीं मिलते हैं और उनका उपयोग अंग निकालने में, प्रोस्टीट्यूशन में और बाकी चीजों में होता है। वैसे कारों का उपयोग भीषण वारदातों के लिए भी किया जा रहा है। इसलिए मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसमें नेपाल हो, बंगला देश हो, नार्थ ईस्ट हो, जम्मू कश्मीर हो, वहां जाकर ये बिक जाती हैं, वहां से फिर अन्य कामों के लिए इनका इस्तेमाल होता है। इसको बहुत गंभीरता से दिल्ली पुलिस को और सरकार को लेकर...ये ठीक है कि कारें आजकल खड़ी करनी पड़ती हैं

जगह-जगह पर, घर के बाहर जगह नहीं होती है और उसके बाद ये चोरी हो जाती हैं। सारे गैंग्स को पकड़ने का प्रयोग करना चाहिए और पुलिस के सारे अपराधों में तकरीबन काफी बड़ा हाथ लगभग 16 प्रतिशत के करीब कार चोरी करने का है। इसलिए मैं चाहता था कि सरकार इस मामले में पूरी तरह से अलग से सेल बनाकर इसको तोड़े सारे गैंग्स को और ये जो अपराधों में चोरी की कारें इस्तेमाल होती हैं, इनको रोका जा सके।

अध्यक्ष महोदय : श्री अनिल झा।

श्री अनिल झा : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान दिल्ली में आने वाले समय में और अभी जो समय गया है, रामलीला का मंचन, भविष्य में दुर्गा पूजा, दीपावली मेला, दशहरा मेला आदि पर जो पुलिस की तरफ से अकारण पाबंदी और सख्ती बरती जाती है, यह ज्यादती कम होनी चाहिए पुलिस की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर। तत्काल गृह मंत्रालय से सरकार को बातचीत करनी चाहिए और पुलिस की जो सख्ती है, दुर्गा पूजा, दीवाली मेला, दशहरा मेला और रामलीला के मंचन पर इसको बंद करवाया जाना चाहिए। आने वाले समय में जितने भी पर्व हैं, उसमें करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी होती है। सुरक्षा के नाम पर पुलिस एक विशेष वर्ग के लोगों को आहत करने का प्रयास करती है।

जो भारत में बहुसंख्यक रूप से लाखों वर्षों से रहते हैं। महोदय, सुरक्षा की दृष्टि से दीपावली, जन्माष्टमी, होली ही निशाना क्यों बनते हैं। यह एक प्रश्न है। जब कि इन त्यौहारों में भाईचारे का संदेश दिया जाता है। इसमें बुराई की पराजय होती है और सत्य की विजय होती है तथा धर्म मानव जीवन की पद्धति है। इन सभी धार्मिक आस्थाओं की रक्षा के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

महोदय मेरा निवेदन है कि सरकार ये त्यौहार भाईचारे का जो प्रतीक हैं। ये हिंदू समाज खुलकर मनाए। हिंदू समाज के हितों की रक्षा हो। इसके ऊपर सरकार को विशेष रूप से विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री जय भगवान अगवाल जी।

श्री जय भगवान अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिल्ली देहात के गांवों में जो बिजली का कनैक्शन कंज्यूमर लेते हैं उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, गांव में एक ही खसरे में कई-कई मकान बने होते हैं। अगर एक व्यक्ति ने बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया और उसी खसरे में दूसरे मकान का व्यक्ति बिजली के कनैक्शन के लिए एप्लाई करता है तो एन.डी.पी.एल. के ये प्राइवेट कंपनी वाले पहले बिल का भुगतान करने के लिए उसके पास बिल भेज देते हैं कि जब तक इस बिल का भुगतान नहीं होगा, आपको कनैक्शन नहीं मिलेगा और उसी प्रकार की एक और गंभीर स्थिति है। अगर एक गांव में दस व्यक्ति एक ही नाम के हैं। मगर उनके बाप के नाम अलग-अलग हैं और एक व्यक्ति बिजली का कनैक्शन एप्लाई करता है, अगर उसी नाम के दूसरे व्यक्ति ने बिजली का भुगतान नहीं किया हुआ तो उसके ऊपर प्रैशर डालते हैं कि आपको यह भुगतान करना पड़ेगा तो अनावश्यक इतनी harassment है और इन उपभोक्ताओं की जिसकी कोई हद नहीं है। मैं इसमें चाहूंगा कि सरकार की ओर से सख्त दिशा निर्देश हों ताकि एक कंज्यूमर को दूसरे का भुगतान न करना पड़े और न उसकी harassment हो और समयानुसार उसको बिजली का कनैक्शन मिल जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री सत प्रकाश राणा।

श्री सत प्रकाश राणा : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बहुत सारे विभागों के पास पिछले बहुत सालों से योजनाएं

लंबित हैं। पैसे की मंजूरी भी हो चुकी है। अध्यक्ष जी, फिर भी विभाग काम नहीं कर रहे। मैंने करीब 16 केस Public Grievances Cell में डाले। अध्यक्ष जी, सरकार बहुत बड़े-बड़े विज्ञापन देकर मेरे पास ये विज्ञापन की कटिंग है। अध्यक्ष जी, सरकार Public Grievances Cell के विज्ञापन पर लाखों रुपए खर्च करती है। Public Grievances Cell ने जब ऑर्डर कर दिए तो उसका औचित्य क्या है कि विभाग काम न करे और अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है। अध्यक्ष जी, सरकार की क्या जिम्मेदारी है। मेरे यहां पर एक साल पहले रंगपुरी गांव में स्कूल बनाने का Public Grievances Cell ने आदेश दिया। मैंने जगह खाली करवाकर कब्जा दिलवाया। उसके बावजूद तीन महीने में चेयरमैन, Publlic Grievances Cell ने आदेश किए कि तीन महीने में काम प्रारंभ होना चाहिए। अध्यक्ष जी, काम प्रारंभ नहीं हुआ। महीपालपुर में यू.जी.आर. के निर्माण के लिए जनवरी, 2012 में चेयरमैन, Public Grievances Cell ने आदेश। अध्यक्ष जी, डेढ़ साल हो गया है। काम प्रारंभ नहीं हुआ। बिजवासन में यू.जी. आर. के निर्माण के लिए Public Grievances Cell ने आदेश दिए। वो काम प्रारंभ हुआ। मेरे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था सुधारी जाए। इस बात के लिए Public Grievances Cell ने आदेश दिए। अध्यक्ष जी, काम नहीं हुआ। आखिर सरकार की क्या जिम्मेदारी है। मुझे विधायक होने के बावजूद मजबूर होकर Public Grievances Cell में केस डालना पड़ा। आपने खुद Public Grievances Cell का गठन किया है। सरकार उसके आदेश भी मानना नहीं चाहती है। अध्यक्ष जी, हम कहां जाएं, क्या करें। किसी तरह की तो responsibility होनी चाहिए। बहुत बुरे हालात हैं। लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरसते हैं। अगर UGR का काम प्रारंभ हो गया होता तो कम से कम हम लोगों को कुछ राहत मिल जाती। कुछ किसी तरह का तो लोगों के मन में यह भाव पैदा होता कि अब पानी मिल जाएगा।

अध्यक्ष जी, सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैंने पहले भी जब सदन प्रारंभ हुआ, तब यह विषय उठाया था। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अभी सदन के अंदर ही कहा था कि हम मीटिंग बुलाएंगे, उसमें आपके इस विषय को रखेंगे। अध्यक्ष जी, इस सत्र का पूरा समय बीत गया है, आज आखिरी दिन है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या होगा, किस तरह से मेरे इलाके की समस्या का समाधान होगा। अप्रैल का महीना प्रारंभ हो गया है। पहले यह था कि हम गर्मियों में टैंकर बढ़ा देंगे। कोई टैंकर नहीं बढ़ाया गया। कोई पानी के ट्यूबवैल नहीं लगाए गए। कोई योजना नहीं बनाई गई। अभी कल के ही न्यूज पेपर में एक न्यूज छपी है कि योजना नदारद, गर्मियों में तरसेंगे दिल्ली के लोग। सरकार ने दिल्ली के ऊपर अब तक कोई योजना तैयार नहीं की है। कोई रेड मैप नहीं बनाए गए कि कैसे दिल्ली की गर्मियों को झेलेंगे। किस तरह से पानी की आपूर्ति होगी। सरकार अपनी दुनिया में मस्त है। कोई responsibility का भाव नहीं है। अध यक्ष जी, नांगलोई ट्रीटमेंट प्लान्ट को प्राइवेट कर दिया है। यह न्यूज छपी है। इस इलाके में 24 घंटे पानी देने की बात सरकार ने कही। एक तरफ तो सरकार एक इलाके को 24 घंटे पानी देने की बात करती है। एक तरफ मेरा इलाका है। जहां पर लोग एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैंने सात दिन में एक बार पानी की डिमांड की थी। मेरे इलाके में सात दिन में एक बार पानी दे दो। अध्यक्ष जी, सात दिन में एक बार भी पानी नहीं दिया जा सकता। हम लोग कहीं बाहर से आकर दिल्ली में रह रहे हैं। क्या दूसरे दर्जे की नागरिकता हम लोगों को प्राप्त है। आखिर क्या तमाशा है। कौन इस चीज को देखेगा। अध्यक्ष जी, आप स्वयं डाइरैक्शन दे चुके हो। आपने स्वयं अपनी सीट से यह कहा कि सरकार इस विषय को देखे। आपने सैक्रेट्री की भी जिम्मेदारी लगाई

कि वो इसको देखें। अध्यक्ष जी, मैं 18 हजार पत्र इस हाऊस में प्रस्तुत कर चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने जो लिखकर दिया है वो पूरा हो चुका है।

श्री सत प्रकाश राणा : अध्यक्ष जी, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से भी मिला हूं। मैं सदन को बार-बार ध्यान दिलाता रहता हूं। मुझे बीच में सदन के कर्मचारी रोक लेते हैं कि राणा जी आपके पानी का क्या हुआ। मंत्री जी मुझ से पूछते रहते हैं। मेरा विधायक मजाक बना रहे हैं। आखिर यह तमाशा क्या है। कोई तो सुने, कोई तो बात करे, मुझे इस सदन में कोई जवाब दे। मुझे कोई बताए कि क्या करेंगे। आज सदन का लास्ट दिन है।

अध्यक्ष महोदय : आपका कोई विधायक मजाक नहीं बना रहा।

श्री सत प्रकाश राणा : अध्यक्ष जी, सब हंसते रहते हैं, मुकेश जी भी हंस रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका कोई मजाक नहीं बना रहा।

श्री सत प्रकाश राणा : अध्यक्ष जी, कोई तो मुझे बताए।

श्री मुकेश शर्मा : अध्यक्ष जी, मेरी पूरी सहानुभूति इनके साथ है।

श्री सत प्रकाश राणा : अध्यक्ष जी, सहानुभूति अच्छी बात है।

अध्यक्ष महोदय : पूरे सदन की सहानुभूति है।

श्री सत प्रकाश राणा : अध्यक्ष जी, सरकार की तरफ से मुझे यह बताए कि आप मेरे इलाके में कब तक पानी देने की कोई योजना बना देंगे।

मैं यह मान सकता हूं कि मुझे अभी गंगा, यमुना का पानी नहीं मिलेगा क्योंकि पानी की कमी है। अध्यक्ष जी, ट्यूबवैल्स लगाए जा सकते हैं। मेरे इलाके में बहुत सारे ट्यूबवैल्स प्रस्तावित हैं। जिनकी योजना दो साल पहले बनी थी। मैंने अपना विधायक फंड उनके लिए दे रखा है। अध्यक्ष जी, उसके बावजूद वो ट्यूबवैल्स नहीं लगाए गए। विभाग की तरफ से कोई हद होती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसे कैसे कोई किसी के साथ कर सकता है। अध्यक्ष जी, आखिर हमारे इलाके के लोग भी दिल्ली में रहते हैं। कोई सरकार का नुमाइन्दा माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं हैं तो कोई मंत्री मुझे कम से कम यह बताए कि हम आपके क्षेत्र में यह योजना कब तक इंप्लीमेंट कर देंगे। अब गर्मियां शुरू हो गई हैं। कम से कम एक साधारण रिलीफ मेरे इलाके को मिल जाए। अध्यक्ष जी, कहीं तो कोई राहत मिले। मैं किस तरह से अपने इलाके में जाऊं। मैं क्या करूं। लोग, महिलाएं मेरे ऑफिस में आकर रोने लगती हैं। मैं आज भी ऑफिस में आया हूं।

अध्यक्ष महोदय : राणा साहब, आप 280 पर बोल रहे हैं।

श्री सत प्रकाश राणा : अध्यक्ष जी, मैं बहुत दुखी हूं। मैं आपकी सारी बातों को मान रहा हूं। मैं अपने साथ ये लेकर आया हूं। मैं बार-बार इसको दिखाता रहता हूं। मैं सच में बहुत दुखी हूं।

अध्यक्ष महोदय : हम भी सारे मान रहे हैं।

श्री सत प्रकाश राणा : अध्यक्ष जी, मैं वैल में आकर बैठ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप 280 में ऐसा मत करिए। अब श्री दयानन्द चंदीला, आप 280 पर बोलिए।

(श्री सत प्रकाश राणा सदन में वैल में बीच में आकर बैठ गए।)

श्री ए. दयानंद चन्दीला ए. : आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे राणा जी के विषय पर बोलने का अधिकार तो नहीं है। लेकिन मैं राणा जी को बता सकता हूं कि इनके हिस्से का पानी कहां है। आप हाऊस के बाहर, राणा जी मुझसे बात कर लें। में इनको बता दूंगा कि इनके हिस्से का पानी कहां है।

अध्यक्ष महोदय : चंदीला जी आप अपनी बात कहिए। आप उनको कुछ-कुछ मत कहिए। आपने जो कुछ लिखा है वो पढ़िए।

श्री ए. दयानंद चन्दीला ए. : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार का ध्यान नगर निगम के वार्ड नंबर-105 व 106 में हो रहे अवैध निर्माण की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके मकान नंबरों की सूची मैं साथ में संलग्न कर रहा हूं। इस अवैध निर्माण के कारण दिल्ली जल बोर्ड की पानी व सीवर लाइनों से जो अवैध कनैक्शन जल्दबाजी में जो चोरी से लिए जाते हैं। वो बड़े पाइप व ओवर साइज के होते हैं तथा ड्रिल से लाइन में कनैक्शन न लेकर उसे अन्य दूसरे तरीके से लेकर पानी की लाइनों में लीकेज होती है और उससे क्षेत्र के अंदर गंदा पानी आने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ती हैं। अध्यक्ष महोदय, जब हम दिल्ली जल बोर्ड से इस गंदे पानी को ठीक करवाने के लिए वर्क ऑर्डर कराते हैं और दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली नगर निगम से रोड कटिंग जमा कराने के लिए उसका एस्टीमेट मांगता है तो दिल्ली नगर निगम के इन दो वार्डों में हमें एस्टीमेट नहीं दिए जाते और मजबूर होकर क्षेत्र की जनता को गन्दा पानी पीने के लिए बाध्य लेना पड़ता है। हमें कई बार मजबूर होकर जनता के सहयोग से जल्दबाजी में बगैर किसी नियम के कटिंग करानी पड़ती है। लेकिन आज तक जितनी भी कटिंग कराई है। हम ने उसकी पेमेंट की है। मेरी प्रार्थना

है कि इस अवैध निर्माण के ऊपर रोक लगाई जाए और वार्ड नंबर 105 और 106 में रोड कटिंग के एस्टीमेट के लिए दिल्ली नगर निगम को दिया गया यह पत्र, इसकी पर्मीशन दी जाए। अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री ओ. पी. बब्बर।

श्री ओ. पी. बब्बर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान केशोपुर विकास पुरी नई दिल्ली-18 जहां एस/एसटी/ओ. बी.सी. बीसी हरिजन बंधु रहते हैं। उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, इन बंधुओं को इस गांव में आज तक कोई जगह अलाट नहीं हुई है। यह हरिजन बंधु गांव में मजदूरी करके व छोटी मोटी नोकरी करके अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रहे हैं अध्यक्ष जी, आज यह स्थिति है कि समय बीतने के साथ-साथ मकान छोटे होते जा रहे हैं और परिवार बढ़ते जा रहे हैं। जिससे जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया है। अध्यक्ष जी 20 सालों से ज्यादा हो गए हैं। इस ग्राम सभा की जमीन पर डीडीए के द्वारा एक आवासीय कालोनी का प्लान किया गया था परंतु यह रिहायशी प्लॉट इन हरिजन बंधुओं को आज तक आवंटित नहीं किए गए। अध्यक्ष जी, आप से प्रार्थना है कि इस मुद्दे को संबंधित शहरी मंत्रालय से परामर्श करके किसी संबंधित अधिकारी को प्रतिभार दिया जाए या कमेटी बनाई जाए जिससे जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हो सके लोग अपनी छत के नीचे चैन से जी सके।

श्री वीर सिंह धिंगान : अध्यक्ष महोदय, इसमें से हरिजन शब्द निकलवाया जाए...**अंतरबाधा।**

अध्यक्ष महोदय : क्या हुआ?

चौ. सुरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, हरि के जन जिसका कोई बाप नहीं होता, उसको कहा जाता है इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह सदन में लाना चाहता हूं कि जो भी...**अंतरबाधा**।

अध्यक्ष महोदय : यह आप बात में बोलिएगा, पहले बब्बर जी को खत्म कर लेने दीजिए। बोलिए। बब्बर जी।

श्री ओ. पी. बब्बर : महोदय, मैं इतना ज्यादा सिस्टम को समझता नहीं हूं किंतु मैं इतना जरूर जानता हूं कि जो एससी/एसटी के लोग हैं उनकी हालत बहुत खराब है, वहां पर जो स्वीपर हैं, उनकी हालत बहुत खराब है, उनके पास जगह नहीं है, वो गांव में सड़कों पर आ गए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मुझे नहीं पता कि क्या तकनीकी शब्द इन्होंने उठाया है, मैं बाद में इनसे पूछ लूंगा परंतु मेरा आपसे आग्रह है, यह केशो पुर गांव का है। इसके लिए बहुत सारी ऐसी कालोनी बनी हैं, एससी/एसटी के लोगों को जो भी जगह पहले दी गई थी, उनको मालिकाना हक दे दिया, ये वहां पर कालोनी कटी हुई है, जगह पड़ी हुई है और वो वहां पर मैंने कभी-कभी यह देखा है कि एक बार हमें 18 प्लाट अलाट हुए हरिजन बस्तियों के लिए, हमने क्या किया वहां बाकियों का भी आप बैठ जाओ, वो अस्सी अस्सी गज के प्लाट लेकर के बैठ गए, वो चल रहा, ये बेचारे वहां नहीं गए इसलिए ऐसे रह गए, इनको कोई जगह ही नहीं मिली, इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप सरकार को जरूर आदेश दे कि इस कार्य को पूरा करें।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती बरखा शुक्ला।

श्रीमती बरखा शुक्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से

माननीय शहरी विकास मंत्री दिल्ली सरकार का ध्यान वसंत नगर ए बसंत गांव के हजारों निवासियों पर लटक रही डिमोलिशन की तलवार और असुरक्षा की ओर दिलाना चाहती हूं ओर माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करती हूं कि कृपया इस समस्या से प्रभावित जनता को हमेशा-हमेशा के लिए निजात दिलाएं। मैं आपको इस संपूर्ण मामले की विस्तृत जानकारी देना चाहती हूं।

स्वतंत्रता से पूर्व दिल्ली को 1911 में भारत की राजधानी का दर्जा मिला और दिल्ली के विकास के लिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने 1911 में किसानों की जमीन अधिकृत कीं। चूकि दिल्ली के वसंत नगर ए, टोडापुर ए, दसघरा आदि तीन गांव जो दिल्ली कैंट एरिया के भाग थे ए की कुछ जमीनें भी सरकार ने अपने कब्जे में ले ली। गांवों की शेष बची लगभग 60 बीघा जमीन पर वसंत नगर बस गया और शेष जमीन पर किसान खेती करने लगे। चूंकि 1908 के बाद दिल्ली के लालडोरे का दोबारा नॉटिफिकेशन नहीं किया गया। दिल्ली सरकार ने 1965 में वसंत नगर गांव की यह भूमि जहां कंस्ट्रक्शन हुई थी और पूरा गांव बस गया था। उसे छोड़ बाकी के हिस्से को अधिगृहीत कर लिया और उसका मुआवजा दे दिया। चूंकि वसंत नगर गांव के जिस हिस्से में भवन निर्माण हो गए थे। वहां पर किसानों ने अपनी निर्माण गतिविधियां चालू रखीं और अपनी-अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने निर्माण कार्य करते रहे।

चूंकि मास्टर प्लान 2011 के अनुसार दिल्ली में शहरीकृत गांव और अनाधिकृत नियमित कॉलोनियों में 2007 तक जो निर्माण हुए थे, उन्हें कानून 2014 तक अब गिराया नहीं जा सकता। इसलिए वसंत नगर बसंत गांव में भी 2007 तक हुए तमाम निर्माणों को भी किसी भी सूरत में कम से कम 2014 तक न तो सील और न ही गिराया जाना चाहिए। वसंत नगर के तमाम निवासी 1965

से ही एम.सी.डी. को हाऊस टैक्स भी नियमित रूप से दे रहे हैं। यही नहीं बल्कि क्योंकि यहां पर भी गांव वाले नियम लागू होते हैं । इसलिए यहां के नक्शे भी बगैर रैक्टीफिकेशन केवल एफिडेविट शपथ पत्र के आधार पर पारित किए जाने चाहिए। मेरा आपसे अब यह अनुरोध है कि वसंत नगर गांव के क्षेत्र में जो संपत्तियां प्रॉपर्टीज 2007 से पहले बनी थी उन पर भवन विभाग गिराने की कार्यवाही न की जाए और यदि उस पर कोई रैक्टीफिकेशन चाहता है तो उनके नक्शे लेकर उन्हें शपथ पत्र के साथ अधिकारिक तौर पर रैक्टीफिकेशन की अनुमति प्रदान की जाए।

चूंकि नक्शे पास करवाने एवं पहले से हो चुके निर्माण को नियमित अथवा रेगुलराइज करवाने हेतु मकान के स्वामित्व का सबूत देना होता है और वसंत गांव का लाल डोरा न होने के कारण दिल्ली सरकार व दिल्ली सरकार के रेवेन्यू विभाग के पास अधिग्रहीत जमीन के स्वामित्व का रिकॉर्ड न होने के कारण नक्शे पास व नियमितीकरण नहीं हो पाता।

अतः मेरा यह कहना है कि वसंत नगर गांव में नक्शे पास करवाने हेतु एवं हो चुके निर्माण के नियमितीकरण हेतु निगम के पास उपलब्ध गांव के विकास योजना एवं संपत्ति कर रिकॉर्ड को आधार मानते हुए भवनों को गिराने की कार्यवाही न की जाए और यदि कोई व्यक्ति रैक्टिफिकेशन चाहता है तो उस की अनुमति दी जाए। इस आशय का प्रस्ताव एम.सी.डी. ने भी पारित कर राज्य सरकार को भेज दिया है।

वैसे भी क्योंकि यह गांव 1966 में पूरी तरह से शहरीकृत गांव घोषित किया जा चुका है और डी.डी.ए. ने भी इसी संदर्भ में नॉटिफिकेशन जारी करके इस

गांव को विकास की इकाई के रूप में घोषित करके विकास योजना बना दी है। इसलिए इसे भी आबादी घोषित कर रेगुलराइज्ड किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष जी, माननीय बरखा सिंह जी ने जो इश्यू उठाया है निश्चित रूप से 2007 के पहले के जो भवन बने हुए हैं उन सब को प्रोटेक्शन है पार्लियामेंट के पास लॉ के द्वारा तो निश्चित रूप से ऐसे 2007 के जिनके पास सबूत है कि पहले की कंस्ट्रक्शन है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। दूसरा, जो भी गांव के अंदर मकान आते हैं वो लाल डोरा के अंदर आते हैं। उन सब के लिए ऑलरेडी एमसीडी ने एक ऑर्डर किया हुआ है कि वो बिल्डिंग बॉयलॉज के हिसाब से अपना नक्शा पसा करवा सकते हैं इसलिए अगर कोई रेक्टिफिकेशन भी उसके अंदर करने जाता है तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई आपत्ति जो है उसमें होनी चाहिए। आपने जहां तक इस पर्टिक्युलरली कुछ बिल्डिंग्स का जिक्र किया और गांव का किया इनको हम जरूर एग्जामिन करा लेंगे और निश्चित रूप से जो है सरकार की यह कोशिश है जब हम बाकी लोगों को राहत दे रहे हैं तो कोई कारण नहीं है कि इन लोगों को राहत न दी जाए। इसको हम जरूर एग्जामिन करा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह बिष्ट।

श्री मोहन सिंह बिष्ट : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान दिल्ली सरकार के स्टेनोग्राफर एवं दास कैडर के कर्मचारियों के वेतन में विसंगतियों की ओर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, दिल्ली को अभी तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है इसलिए कर्मचारियों की सेवा शर्तें एवं वेतनमान भारत सरकार के

कार्मिक जनशिकायत विभाग डीओपीटी के आदेशानुसार ही लागू करने का प्रावधान है परंतु सेवाएं विभाग के अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण अक्सर डीओपीटी के समस्त आदेशों के अनुपालन दिल्ली सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। जैसा कि कुछ दिन पूर्व स्टेनोग्राफर, यूडीसी को दिए रुपये 4200 का ग्रेड वेतन देते हुए आदेश आया था तब उसका अनुपालन जान-बूझकर के नहीं हुआ। इसी प्रकार से दास ग्रेड-II एवं स्टेनोग्राफर ग्रेड-II के कर्मचारियों का ग्रेड वेतन 4600 रुपये करने का प्रावधान अभी तक लंबित पड़ा हुआ है। अध्यक्ष जी, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि जब तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक कर्मचारियों के वेतन ढांचा एवं सेवा शर्तों को पूरी तरह से केंद्रीय सचिवालय सेवा शर्तों के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि आईएएस एवं उच्च अधिकारियों का वेतन ढांचा एवं सेवा शर्तें पूरी तरह से केंद्र सरकार के वेतन ढांचे एवं सेवा शर्तों पर होता है परंतु जब एलडीसी, यूडीसी, स्टेनोग्राफर तथा अन्य कर्मचारियों की बात आती है तो यही अधिकारी जो उच्च पदों पर बैठे हैं उनके वेतनमान, सेवा देने की शर्तों को मौलिक अधिकारों को, मौलिक सुरक्षा कहलाने के मामले को लटका देते हैं तथा आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि यह बार-बार इसको गुमराह करते रहते हैं। मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन छोटे कर्मचारियों जिनके वेतन ढांचा एवं सेवा शर्तों के बारे में निर्णय लेने हेतु कौन अधिकृत अधिकारी है जो दिल्ली सरकार व भारत सरकार के माननीय उपराज्यपाल महोदय को उनके बारे में जानकारी दे सकें। यह मैं कहना चाहता हूं, आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : 280 में बोलने वाले और भी काफी विधायकगण हैं।

लेकिन आज क्योंकि ग्रुप फोटो है और पंद्रह-बीस मिनट उसकी तैयारी में भी लगेंगे इसलिए जिन साथियों ने नाम दिए हैं मैं रिकार्ड में जाने के लिए उनके नाम पढ़ रहा हूं श्री एस. पी. रातावाल साहब, श्री नसीब सिंह जी, चौ. भरत सिंह जी, चौ. सुरेंद्र कुमार जी, श्री मालाराम गंगवाल जी, श्री बलराम तंवर जी, डॉ. हर्षवर्द्धन जी, श्री अनिल कुमार जी।

श्री एस. पी. रातावाल : अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से दिल्ली में तेजी से बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, पिछले 14 वर्षों में दिल्ली सरकार के रोजगार कार्यालय द्वारा केवल 18869 व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराया गया जिसमें से आधे लोगों को कामनवेल्थ गेम्स में ड्राइवर और कंडकक्टर का रोजगार दिया गया था। जबकि रोजगार कार्यालयों में लगभग 11 लाख लोगों के नाम दर्ज हैं और मुख्यमंत्री समय समय पर यह आश्वस्त करवाते रही है कि दिल्ली में सरकारी नौकरियों के अतिरिक्त गैर सरकारी तथा निजी कम्पनियों में बेरोजगारी को रोजगार मुहैया करवायेगी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध यम से मुख्यमंत्री व रोजगार मंत्री से अनुरोध करूंगा कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या आवश्यक कदम उठा रही है, इससे सदन को अवगत करायें।

चौ. सुरेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन, मुख्यमंत्री जी तथा मंत्री जी का ध्यान एम.सी.डी के अधिकारियों की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र गोकलपुर में सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करते। एक-एक सप्ताह, 15-15 दिन सफाई हुए हो जाते हैं। अधिकारी हर वार्ड में 125-150 कर्मचारी दिखाते हैं जबकि वास्तव में 25-30 कर्मचारी ही काम करते मिलते हैं। बाकी कर्मचारी या तो अटेंडेंस लगाकर चले जाते हैं या आते ही नहीं,

केवल उनकी उपस्थिति ही दिखाई जाती है। क्षेत्र में मच्छरों की भरमार है जो डेंगू एवं मलेरिया फैलने का कारण बन सकते हैं। दूसरी बात यह है कि क्षेत्र में गरीब आदमी 25-30 गज का मकान बनाता है। गरीब आदमी से 25 गज में भी दो मंजिला मकान बनाने के लिए 5000 रु. मांगे जाते हैं तथा बड़े प्लॉट पर निर्माण के लिए तो लाख-लाख रुपये भी मांगे जाते हैं। भवन विभाग के अधिकारी एवं कमिश्नर, दिल्ली नगर निगम को आदेश करें कि गरीब आदमी को न सतायें। वैसे तो मंहगाई के कारण गरीब आदमी का दिल्ली में रहना ही दूभर हो गया है और वह मकान बनाने के बारे में सोच ही नहीं सकता। किसी तरह थोड़ा बहुत कोशिश करके मकान बनाता है या पुराने को रिपेयर कराता है तो नगर निगम के अधिकारी घूस मांगते हैं और टारचर करते हैं तथा कहते हैं कि सेटलमेट कर लीजिए अन्यथा मकान तोड़ने के लिए नोटिस दे देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यहां की सरकार नगर निगम पर दबाव नहीं बना रही है और सरकार को जनहित में कार्य करने चाहिए जिससे गरीब आदमी भी इस शहर में रह सके।

माननीय अध्यक्ष जी, आपने बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

डॉ. हर्षवर्द्धन : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का ध्यान टाइम्स ऑफ इण्डिया अखबार की खबर की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें डी.टी.सी. की 600 बसों में जी.पी.एस. गायब होने की खबर छपी है।

अध्यक्ष जी, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग में डी.टी.सी. की बसों में जो जी.पी.एस. के अलावा जो दिल्ली में पहले ग्रामीण सेवा और आटो में जी.पी.एस. लगाये जा रहे हैं, उसके नियंत्रण के लिए कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया गया। जो जी.पी.एस. हजारों रुपये में लगवाये गये हैं उसमें भी भ्रष्टाचार की बू नजर आ

रही है क्योंकि 5 - 6 हजार की लागत से ग्रामीण सेवा में जी.पी.एस. लगभग 1000 गाड़ियों में लगवाये गये थे परंतु अब उसी जी.पी.एस. की कीमत 12000 या उससे भी अधिक के चार्ज की ला रही है।

अध्यक्ष जी, जी.पी.एस. के नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार परिवहन विभाग में हो रहा है, जिस प्रकार हाल ही में कमर्शियल व्हीकल की जाँच के लिए न्यायालय ने वहां के काट्रेक्टर को जेल भेजा है ठीक उसी प्रकार जी.पी.एस. लगाने में भी बहुत बड़ा प्रकरण होने वाला है।

चौ. अनिल कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान दिल्ली सरकार के अधीन भाषाई अकादमियों के ओर दिलाना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय इन भाषाई अकादमियों में लगभग 600 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं इन अकादमियों में कार्यरत कर्मचारियों के पास अपने मकान नहीं हैं तथा वे किराए पर रहते हैं। हमारी माननीय मुख्य मंत्री जी इन सभी अकादमियों की अध्यक्षा हैं तथा बहुत ही दयालु हैं वे इन अकादमियों को बहुत ऊंचाईयों तक ले गई हैं तथा वे इनके बजट आदि के लिए कभी भी कमी नहीं करती हैं।

मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इन भाषाई अकादमियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी दिल्ली सरकार द्वारा आवंटित कॉलोनियों में इन कर्मचारियों को भी आवास देने की कृपा करें ताकि इन कर्मचारियों को भी राहत मिल सके क्योंकि यह अकादमियां दिल्ली सरकार द्वारा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त संस्थाएं हैं। मुझे विश्वसनीय सूत्र से ज्ञात हुआ है कि लोक निर्माण विभाग इन अकादमियों में कार्यरत कर्मचारियों को आवास जारी नहीं करता क्योंकि इनका कोई भी रिकार्ड दिल्ली सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कुछ शर्तों के अंतर्गत इन कर्मचारियों को आवास आवंटित करवाने की कृपा करें ताकि इनके माता-पिता एवं बच्चे अच्छी जिन्दगी जी सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ तथा मैं माननीय लोक प्रिय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस संबंध में अपना वक्तव्य दें।

सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात

अब श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री जी के स्थान पर श्री अरविंदर सिंह लवली जी निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति सदन पटल पर रखेंगे।

Minister of Urban Development (Shri Arvinder Singh Lovely) : Honourable Speaker, Sir, with your permission, I lay the copy of following papers in English and Hindi version on the Table of the House :

(i) Report of Comptroller & Auditor Gerneral of India for the year ended 31st March, 2012.

(ii) Finance Accounts for the year 2011-12.

(ii) Appropriation Accounts for the year 2011-12.

अध्यक्ष महोदय : अब आप सबसे आग्रह है कि सामने वाले पार्क में आप फोटो के लिए पहुंचें और 4.20 तक सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। फोटो सेशन 4 बजे है तब तक थोड़ी तैयारी कर लें हम। आप वहीं आ जाइएगा फिर।

सदन 4.30 बजे अपराह्न पुनः समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानंद शास्त्री) पीठासीन हुए

अल्पकालिक चर्चा

अध्यक्ष महोदय : अब अल्पकालिक चर्चा पर श्री मुकेश शर्मा, श्री नसीब सिंह, श्री देवेन्द्र यादव, दिल्ली नगर निगम में विभिन्न विभागों में फैली अनियमितताओं, जनसुविधाओं में फिजूल खर्चे, राजनीतिकरण पर अल्पकालिक चर्चा आरंभ करेंगे। श्री मुकेश शर्मा जी।

श्री मुकेश शर्मा : अध्यक्ष जी, इनको इकट्ठा करें या अलग-अलग करें।

अध्यक्ष महोदय : अलग-अलग कर लीजिए, अच्छा रहेगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, मुझे दो बातों पर आपत्ति करनी है। एक तो आपने सीएजी की रिपोर्ट अभी यहां पेश की है और सीएजी की रिपोर्ट सबसे पहले दिन आनी चाहिए। इसमें इतने भयंकर भ्रष्टाचार की बातें हैं इतनी बातें हैं और अनौथराइज कालोनियों का है। अध्यक्ष जी, यह बहुत ज्यादा गंभीर मामला था, सीएजी की रिपोर्ट पहले दिन क्यों नहीं रखी, आज क्यों रख रहे हैं। सत्र के आखिरी दिन आप सीएजी की रिपोर्ट रखते हैं। अध्यक्ष जी, सीएजी की रिपोर्ट में बहुत ज्यादा घपलों की बात है। अनौथराइज एक्सपेंडीचर की बात है अध्यक्ष महोदय, आप इनको डायरेक्शन दें कि सीएजी की रिपोर्ट जब इनके पास आ गई थी तो इन्होंने पहले दिन क्यों नहीं रखी।...**व्यवधान**

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, पहले यह पीएसी में जाएगी उसके बाद ...**व्यवधान**

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, वहां तो जाएगी, पहले यहां हाउस में आती, पहले हाउस में क्यों नहीं आई।

...अंतरबाधाएं...

अध्यक्ष महोदय : देखिए, बंसल साहब, हमारे पास आई है और ज्यों की त्यों हमने रख दी है। इस पर हमने कोई विचार तक भी नहीं किया है अभी।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, यह सरकार के पास आई होगी, सीएम के पास आई होगी। सरकार तो रखती इसको। लास्ट मिनट पर लास्ट डे पर आप ला रहे हैं। इसमें हजारो करोड़ रुपये के घोटालों का जिक्र है।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष जी, यह बिल्कुल relevant नहीं है, relevant इसलिए नहीं है, ये हिंदुस्तान के longest serving PAC के चेयरमैन रहे हैं, हां मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ऑडिट की रिपोर्ट तो हाउस में डिस्कश हो ही नहीं सकती। इसमें क्या फर्क पड़ता है कि पहले दिन आए या आखिरी दिन। यह तो डिस्कश ही नहीं हो सकती। यह इस हाउस का purview ही नहीं है Public Accounts Committee का है। पहले दिन नहीं आई तो क्या फर्क पड़ता है। सीधी बात कहो कि नगर निगम की और अनौथराइज कालोनियों की डिबेट से आप बचना चाहते हो। बाहर जाने का बहाना मत ढूंढो। आप इस हाउस में डिस्कश ही नहीं कर सकते। हम समझ गए, आप जाओ।

(सभी विपक्षी सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर खड़े हो गए)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : दूसरा अध्यक्ष महोदय, यहां...**व्यवधान**

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि सरकार की इंटेंशन क्या है।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष जी, जब यह डिस्कश ही नहीं हो सकता।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, हमेशा से...**व्यवधान**

श्री रवीन्द्रनाथ बंसल : अध्यक्ष जी, यह रिपोर्ट पहले लीक हो गई, हाउस में बाद में दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : बंसल साहब, ऐसा है...**व्यवधान**

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष जी, आखिरी दिन, आखिरी मूमेंट पर ...**व्यवधान**

अध्यक्ष महोदय : प्रो. साहब, यदि लीक हुई है तो वह हमारे यहां से तो हुई नहीं है।

प्रो. जगदीश मुखी : अध्यक्ष जी, यह आपने देखना है, यह privileged हाउस है और यहां पर यह House चल रहा था पहले यहां पर टेबल करनी चाहिए थी, बाद में इसको बाहर जाना चाहिए था। यदि यह पहले बाहर गई है तो इसके लिए आप cognizance ले करके सरकार को प्रताड़ना दे सकते हैं और इनकी explanation call कर सकते हैं। सर, यह सदन की अवमानना है। सदन के चलते हुए पीएसी की रिपोर्ट पहले बाहर पहुंच जाए और यहां सदन के अंदर ना रखी जाए, अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल वाजिब नहीं है।

शहरी विकास मंत्री : मुखी जी, जो आप कह रहे हैं वह आफिसियल लाइन है या जो मल्होत्रा जी कह रहे थे वह आफिसियल लाइन है।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष जी, आप यह तो पूछ सकते हैं कि यह रिपोर्ट पहले बाहर कैसे चली गई। सदन की टेबल पर बाद में आती है, बाहर पहले लीक हुई है क्या कारण है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, यह पहले यहां आनी चाहिए थी। लेकिन यह हमारे यहां से लीक नहीं हुई है। यहां ज्यों ही आई है वैसे ही दे दी गई है।

डॉ. जगदीश मुखी : सर, हम यह कह रहे हैं कि यह सरकार का फर्ज है कि टेबल पर पहले रखें, बाद में प्रेस को रिलीज करें। लेकिन प्रेस को पहले दी है टेबल पर बाद में रख रहे हैं, यह सरकार के माध्यम से सदन की अवमानना है।

अध्यक्ष महोदय : यह दिल्ली सरकार ने तो नहीं रखी है।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष जी, सरकार ने कहीं लीक नहीं किया, न किसी को दिया और मुखी जी को किसी रिपोर्टर के ऊपर शक है तो ये specific नाम लेकर बताएं हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नाम लीजिए उस रिपोर्टर का।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : गवर्नमेंट के पास यह कब आई थी।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष जी, इनकी intention पूरी doubtful हो गई है इसमें, जानबूझ कर इसे सत्र के आखिरी समय तक न देना, इस समय देना, इसका मतलब यह है इन घोटालों पर यहां चर्चा होनी चाहिए थी, उनको अवाइड करने के लिए आपने यह किया है, हमेशा यह किया है।

अध्यक्ष महोदय : अब हाउस की कार्यवाही 15 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

सदन पुनः 4-50 बजे समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

अध्यक्ष महोदय : मुकेश शर्मा जी बोलिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी यहां पर हैं। हम आपसे अपील करते हैं और मुख्यमंत्री जी बिजली के रेट 50 परसेंट कम करें। भ्रष्टाचार खत्म करें। सी.ए.जी. की रिपोर्ट को देखें। उसको 50 परसेंट कम करें। पानी के रेट कम करें। इसके बारे में हम सोचते थे। आज सदन का end हो रहा है। यहां पर मुख्यमंत्री जी घोषणा करें और हम इसकी आशा करते थे। She has to do it.

...अंतरबाधाएं...

श्री कंवर करण सिंह : अध्यक्ष महोदय, एम.सी.डी. पर चर्चा लगी हुई है। ये सुनना नहीं चाहते। इन्होंने कॉर्पोरेशन को बर्बाद कर दिया।

...अंतरबाधाएं...

अध्यक्ष महोदय : मुकेश शर्मा जी बोलिए।

...अंतरबाधाएं...

श्री नसीब सिंह : अध्यक्ष जी, ये लोग एम.सी.डी. की करतूत को सुनना नहीं चाहते।

...अंतरबाधाएं...

डॉ. नरेन्द्र नाथ : अध्यक्ष जी, मेरा एक पॉइन्ट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष जी, ये कॉर्पोरेशन पर चर्चा नहीं करते। इसलिए वे इस तरह की बातें कर रहे हैं और जो सी.ए.जी. की रिपोर्ट है वो पी.ए.सी. को जाएगी। इसमें क्या दिककत हो रही है। इनको जो एतराज करना है वो पी.ए.सी. की मीटिंग में करें।

...अंतरबाधाएं...

श्री एस. पी. रातावाल : अध्यक्ष जी, हमारी बात को सुना जाए।

अध्यक्ष महोदय : रातावाल साहब बैठ जाइए। मैंने मुकेश जी को बोलने के लिए टाइम दे रखा है, मुकेश जी बोलेंगे। आप मेहरबानी करके बैठ जाइए। आप चर्चा तो शुरू करवा दीजिए।

...अंतरबाधाएं...

(भा.ज.पा. के सभी सदस्य अध्यक्ष महोदय के आसन के सामने वैल में आ गए और नारेबाजी करने लगे।)

अध्यक्ष महोदय : जो भी सदस्य वैल में आएं उनको बाहर ले जाइए।

...अंतरबाधाएं...

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य वैल में हैं, वो मेहरबानी करके सदन से बाहर जाएं। रातावाल साहब को, मनोज जी को बाहर ले जाइए। बंसल साहब आप बाहर चलिए।

...अंतरबाधाएं...

अध्यक्ष महोदय : आप लोग क्या कर रहे हो, आप इनको बाहर ले जाइए।

अध्यक्ष महोदय : ये दोनों राणा बंधुओं को सदन से बाहर ले जाओ। मैं राणा जी को नेम कर रहा हूं और दूसरे राणा साहब भी बाहर जाएं। श्री श्रीकृष्ण त्यागी जी बाहर चलिए। सुभाष सचदेवा जी बाहर चलिए। गौड़ साहब बाहर चलिए।

...अंतरबाधाएं...

अध्यक्ष महोदय : सचदेवा जी, गौड साहब, वैद्य साहब, कुलवन्त राणा जी को सदन से बाहर ले जाइए। आप लोग इनको बाहर क्यों नहीं ले जा रहे हैं। रातावाल जी, सुनील जी आप सदन से बाहर चलिए।

...अंतरबाधाएं...

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, बिजली के बिल दस गुना हो गए हैं। दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को पानी contaminated मिल रहा है।

....अंतरबाधाएं...

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, दिल्लीवासी पानी को लेकर त्रस्त हैं। आज दिल्ली के लोग पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। पानी के बिल 11 गुना हो गए हैं। दस गुना बिल बिजली के हो गए हैं। अध्यक्ष महोदय, आज सदन का आखिरी दिन है। हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से मांग करते हैं कि...।

...अंतरबाधाएं...

अध्यक्ष महोदय : प्रद्युम्न जी, आप बाहर चलिए। गर्ग साहब, बिष्ट साहब आप भी बाहर चलिए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए...**अंतरबाधा**।

भई आप लोग बैठ जाइए...। मोहन सिंह बिष्ट जी, गर्ग जी, बैठ जाइए। आप लोग इन्हें बाहर ले जाइए...**अंतरबाधा**।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : हम चर्चा भी न करें...**अंतरबाधा**।

श्री मोहन सिंह बिष्ट : सर, बहुत बुरा हाल है, दिल्ली के अंदर लोग रो रहे हैं, हमारे माई बाप आप हैं सर, आप...**अंतरबाधा**। सरकार को कहिए, लोग तड़प रहे हैं, बहुत बुरा हाल है दिल्ली...**अंतरबाधा**।

अध्यक्ष महोदय : गर्ग साहब को ले जाइए। मोहन सिंह बिष्ट जी को ले जाइए।

श्री मोहन सिंह बिष्ट : सर, मैं तो निवेदन कर रहा हूं...**अंतरबाधा**।

अध्यक्ष महोदय : हो गया निवेदन...**अंतरबाधा**। प्रद्युम्न जी आप भी चलिए...**अंतरबाधा** गर्ग साहब,... **अंतरबाधा**। मुकेश जी अब आप बोल सकते हैं...**अंतरबाधा**।

श्री शोएब इकबाल : अध्यक्ष महोदय, ...**अंतरबाधा**।

अध्यक्ष महोदय : शोएब इकबाल जी बैठ जाइए...**अंतरबाधा**।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष जी, सत्र का आखिरी दिन है, खत्म हो रहा है। जनता निगाह लगा कर बैठी है कि सरकार इस समय कोई घोषणा करेगी, आज हम आपके माध्यम से सरकार को फिर से निवेदन कर रहे हैं, बिजली के अंदर 50 परसेंट...**अंतरबाधा**। आपकी मिलीभगत, बिजली कंपनियों के साथ हजारों करोड़ डकार गया, जो घोटाला आपने किया है, साढ़े बारह हजार करोड़ का घोटाला, सीएजी ने बताया, हमें बतला रहे हैं? बिजली कंपनियों के साथ किया ...**अंतरबाधा**। महोदय, सरकार की बिजली वितरण कंपनियों के साथ मिली भगत है। आज दिल्ली की जनता पिस रही है। यह सरकार की गलत नीति और निजी कंपनियों के साथ मिली भगत है...**अंतरबाधा**।

शहरी विकास मंत्री : महोदय, आज सदन में महत्वपूर्ण डिबेट है और ये जैसा चाहते हैं, हम प्रस्ताव कर रहे हैं, विजय कुमार मल्होत्रा जी, जगदीश मुखी जी, डॉ. हर्षवर्धन जी, साहब सिंह चौहान जी और बिधूड़ी जी को इनको सदन से बाहर निकाला जाए, मैं प्रस्ताव करता हूं...**अंतरबाधा**।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : पहले आप नेम करो, आपने नेम नहीं किया, तो रेज्योलूशन कैसे आ सकता है...**अंतरबाधा**।

डॉ. जगदीश मुखी : we abide by your ruling, Sir.

शहरी विकास मंत्री : प्रस्ताव है ये

डॉ. जगदीश मुखी : Your motion is infructuous....**अंतरबाधा**।

शहरी विकास मंत्री : Mr. Mukhi, Speaker has already named

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आप नेम करिए, हम चले जाएंगे... **अंतरबाधा।**

डॉ. जगदीश मुखी : आप पहले नेम करिए...**अंतरबाधा।**

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव तो नहीं आ सकता...**अंतरबाधा।** आप चले जाएं तो अच्छा है, थोड़ी देर कार्यवाही चल सकेगी,...**अंतरबाधा।**

शहरी विकास मंत्री : House is a supreme. मैं करेक्ट करना चाहता हूं रिकार्ड के लिए कि House is supreme. हाऊस की अगर कोई विल है तो उस पर कोई कानून नहीं होता, यह आगे के लिए करेक्ट होना चाहिए, जैसा कि ये कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : चलिए बात हो गई है, गर्ग साहब कृपया चलिए... **अंतरबाधा।**

श्री शोएब इकबाल : महोदय, भारतीय जनता पार्टी एक घंटे से समय खराब कर रही है, उसको पता है कि नगर निगम पर चर्चा होनी है और उनकी किरकिरी होनी है, उन्होंने जानबूझकर वक्त को खराब किया है। कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ जा रही है। आप हम भी रिक्वेस्ट करते हैं, एक फोरम हैं हमारा जो हमने बनाया है, दिल्ली यूनाइटिड फोरम, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, बीएसपी और हमारे साथी अभी आ रहे हैं, वो भी...**अंतरबाधा।**

श्री नसीब सिंह : आप किस पार्टी में हो...**अंतरबाधा।**

श्री शोएब इकबाल : हम भी इसी में हैं...**अंतरबाधा।**

अध्यक्ष महोदय : शोएब साहब सुन लीजिए, फोरम आपको मुबारक, लेकिन बोलने उनको दीजिए।

श्री शोएब इकबाल : नहीं बोलेंगे वही। लेकिन सुन लीजिए, हम लोग अध्यक्ष जी, सदन से वॉकआउट करते हैं, क्योंकि इन लोंगों ने समय खराब किया है और हम को दिल्ली युनाइटिड फोरम के अंदर माना जाए, जिसमें बीएसपी, आरजेडी, राष्ट्रीय लोक दल, लोकजन शक्ति पार्टी, ये सब करा जाए सारे, सब लोग हो सकता है कि आगे आने वाला चुनाव हम बीएसपी पर लड़ें। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : मुकेश जी।

श्री मुकेश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सीएजी की रिपोर्ट से, सीएजी से शुरू हुए, बिजली पानी पर रुक गए, कोई दिशा नहीं थी, सच तो यह है कि दिल्ली के नहीं देश के नहीं, दुनिया के सबसे भ्रष्टतम बॉडी है एमसीडी। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है और उसकें संरक्षण में तीनों निगमों में जिस तरह से भ्रष्टाचार पनप रहा है उस सच्चाई को सुनने की हिम्मत विपक्ष के साथियों में नहीं थी इसलिए उन्होंने वॉक आउट किया है। यह हम समझते हैं। मैं अनियिमतताओं और फिजूलखर्ची और जिस तरह से राजनीतिकरण नगर निगम में हो रहा है, उसको लेकर के अनधिकृत कालोनियों को लेकर के आपने चर्चा का समय तय किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, दिल्ली नगर निगम के संबंध में अभी दो दिन पहले भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ने टिप्पणी की थी और भातरीय जनता पार्टी को उस टिप्पणी से बहुत दर्द हुआ था, वो एक

केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी नहीं थी बल्कि दिल्ली की आम जनता जो महसूस करती है, उसकी अभिव्यक्ति की गई थी, उन्होंने छोटे शब्दों का इस्तेमाल किया। एमसीडी मोस्ट करप्ट बॉडी है और कुछ लोग इसे करप्शन विभाग करते हैं, और महोदय निगम में भ्रष्टाचार की हालत यह है कि गरीब लोग बारात घर जिसमें वो अपनी बेटी की शादी करता है आज उसको बुक कराने के लिए कानून बना दिया गया है कि निगम का एनओसी जरूरी है, टेंट माफिया, बारात घर और निगम पार्षद का नेक्सेस है।

अध्यक्ष महोदय, टेंट माफिया, बारातधर वाले और निगम पार्षद का नेक्सस है और बाकायदा पार्कों की बुकिंग के लिए और बारातघरों के लिए आज वहां पर रिश्वत दी जा रही है। बगैर रिश्वत के अध्यक्ष जी एक भी बारातघर, एक भी पार्क दिल्ली में बुक नहीं हो रहा है, लोग दुःखी है। अध्यक्ष महोदय, कोई एक गरीब आदमी, बरखा सिंह जी चली गई यहां से, उन्होंने वसंत गांव का मामला उठाया था, वो तो साउथ दिल्ली का बड़ा मामला हो सकता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय सच यह है कि अगर आज कोई गरीब आदमी अपने मकान में छत बदल रहा है, कोई मरम्मत कर रहा है एक भी मकान जिसमें मरम्मत चल रही है वो भी बगैर रिश्वत दिए काम नहीं हो रहा है आज। अध्यक्ष महोदय, नगर निगम के कंट्रोल रूप में आप टेलीफोन करो कि मकान नंबर ई-62 के बाहर कूड़ा पड़ा है, नाली साफ नहीं हो रही है तो नगर निगम के कंट्रोल रूम को ई-62 ढूंढना पड़ेगा। दो दिन ढूंढने में निकल जाएंगे। लेकिन अगर कंट्रोल रूप को फोन हो जाए कि ई-60 के अंदर नींव खुद गई है, नया मकान बनने के लिए तो भवन विभाग का इंजीनियर शाम को दो घंटे अंदर रिश्वत लेने वहां पहुंच जाता है। ई-60 उसको मिल जाएगा, लेकिन ई-61 नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, आज मच्छरों का दिल्ली में साम्राज्य है। क्षमा करना, मुझे नहीं पता यहां एमसीडी जिम्मेदार है, कौन है यहां के लिए, यहां पर भी अध्यक्ष जी मच्छर लड़ रहे हैं, पता नहीं किसी सदस्य ने शिकायत की या नहीं की। बाहर का एनवायर्नमेंट इस टाइप का है। अध्यक्ष महोदय, क्षमा करना मैं एक बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं दिल्ली बारूद के ढेर पर खड़ी है, यह हंसने का विषय नहीं है, दिल्ली बारूद के ढेर पर खड़ी है यह मैं आपके माध्यम से होनरेबल यूडी मिनिस्टर को कहना चाहूंगा। आज दिल्ली में कोई कोना नहीं है जहां पर मच्छरों का राज न हो। उसके कारण क्या हैं अध्यक्ष जी, उसके कारण हैं नालियों के अंदर गाद जमी हुई है। एक जो सिम्पल काम होता था मलेरिया डिपार्टमेंट का नालों में तेल डालने का, लाल रंग की एक दवाई डाली जाती थी अध्यक्ष जल, मुझे ठीक से याद है कहीं नजर नहीं आ रही है। कोई एक इंतजाम, गर्मी शुरू हो गई है, मच्छरों की रोकथाम के लिए नगर निगम ने नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी से आपके माध्यम से एक दवाई का नाम ले रहा हूं, हमारे होनरेबल यूडी मिनिस्टर से एक निवेदन चाहूंगा कि उस दवाई का नाम लिखकर उसकी जांच होनी चाहिए, तीनों कमिश्नर यहां पर बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक पैराथ्रम नाम की दवाई है, मैं दवाई का नाम बता रहा हूं पैराथ्रम तकरीबन 1900-2600 रुपये लीटर के बीच में उसका रेट है। अध्यक्ष महोदय, वो पैराथ्रम की दवाई उसमें मिट्टी का तेल, पेट्रोल, पानी आदि का इस्तेमाल होकर वो दिल्ली के अंदर विभिन्न इलाकों में डाली जाती है कागजों में। अगर ईमानदारी से जितनी पैराथ्रम परचेज की जा रही है अगर वो डाल दी जाए तो मच्छर मरना तो अलग बात है, थोड़े बहुत आदमियों पर भी असर पड़ सकता है। आज वो पैराथ्रम नाम की दवाई अध्यक्ष जी, जो पेंट फैक्ट्रियां हैं उन पेंट फैक्ट्रियों में ब्लैक मार्केटिंग करके बेची जा रही

है, उसका इस्तेमाल मच्छर मारने के लिए नहीं हो रहा है। अध्यक्ष जी, मैं सदन में दवाई का नाम लेकर चार्ज लगा रहा हूं। अध्यक्ष जी, एबेट एक दवाई है और मैं यह बात इनके अफसरों की कही हुई बता रहा हूं, मेरी बात नहीं है यह और अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से यह भी कहने के लिए खड़ा हूं एक हजार करोड़ रुपये का घोटाला है मंत्री जी अनअथोराइज होर्डिंग्स लगाने में जो uni-poles लगे हुए हैं सड़कों पर देखिए आप अध्यक्ष महोदय उसकी कोई गिनती नहीं है। कितने अथोराइज हैं, कितने अनअथोराइज हैं और वो illegal तरीके से लगे हए uni-poles अनअथोराइज होर्डिंग्स आज दिल्ली में fatal accidents का कारण बन रहे हैं। ऐसी-ऐसी जगह पर अनअथोराइज होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं जहां एकदम आदमी attract होता है उसको रुक कर देखने के लिए और उसका कोई पैसा एमसीडी को नहीं मिल रहा। एक हजार करोड़ रुपये का नेट घोटाला है अन अथोराइज होर्डिंग्स और uni-poles के अंदर।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैंने कहा भवन विभाग, एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और मंत्री जी आपसे अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री जी हैं नहीं यहां पर आज नगर निगम ने एक नया काम शुरू कर दिया है, नालियां इनसे साफ नहीं हो रही है जो 500 करोड़ रुपये आपके शहरी विकास मंत्रालय ने नगर निगम को दिए थे, 1639 कालोनियों की सफाई के लिए आज वहां सीमेंट, कंक्रीट की सड़कों पर गंदगी जमा है, 500 करोड़ रुपया हड़प लिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो नालियां साफ नहीं हो रही हैं। इनके निगम पार्षद और सैनेटरी इंस्पेक्टर, नालियां सीवर में मिलाई जा रही है, वो पॉलिथीन सीवर में जा रहा है और सीवर चॉक हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी आपसे मांग करना चाहूंगा जहां भी एमसीडी की नालियां

सीवर में मिलाई जाती हैं वहां पर एमसीडी के खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड कराया जाए, यह मैं आपको कहने के लिए, निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं वरना ऐसा गदर मचने वाला है और दिल्ली में मच्छरों का राज होने का यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। आज जो सीवर को जान-बूझकर खराब किया जा रहा है और सीवर चॉक होने का कारण सिर्फ एमसीडी की नालियां है। इसलिए इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं जिस तरीके से 60 फुट की रोड हमने ले ली, आज उन सड़कों पर काम चल रहा है, पीडब्ल्यूडी कर रही है, अलग-अलग डिपार्टमेंट हमारे काम कर रहे हैं आज भी दिल्ली के अंदर सैकड़ों सीनियर सैकेंड्री स्कूलों की जरूरत है। आज भी दिल्ली में ऐसे गांव है जहां 12वीं तक का स्कूल नहीं है। शुरू के अदंर प्राइमरी एजुकेशन होती थी ग्राम सभा के पांच-पांच, छह-छह करके स्कूल एमसीडी के पास हैं इनसे वो स्कूल चल नहीं पा रहे हैं आज। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध भी करूंगा मंत्री जी से कि कोई ऐसा रास्ता निकाले कि जहां भी एक एकड़ जमीन एमसीडी स्कूल के पास है, बच्चों को एजुकेशन देने का सवाल है, उन स्कूलों को अपग्रेड करके एमसीडी को पैसे देकर आप टेक ओवर करके उनको 12वीं तक का स्कूल कराएं। एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा और हमारी जो लैंड की प्रोब्लम है वो हमारी सोल्यूशन होती है, जैसे हमने सड़कों के बारे में किया है। अध्यक्ष जी, मैं इसके साथ-साथ ऑनरेबल मिनिस्टर यूडी को बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं, दिल्ली की अनअथोराइज कालोनियां 895 कालोनियां आपने रेग्युलराइज कर दीं। आपने 90 और कालोनियों में डेवलपमेंट के काम खोल दिए हैं। जिस रजिस्ट्री को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का आभार व्यक्त करना

चाहता हूं आज प्राइवेट लैंड पर रजिस्ट्रियां खुली हैं और प्राइवेट लैंड की डेफिनेशन सरकार ने बड़ी साफ-साफ कर रखी है उसको लेकर कोई अगर-मगर नहीं है। प्राइवेट लैंड पर रजिस्ट्री पर कोई प्रतिबंध आज भी नहीं है उसको लेकर जिस तरीके से गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बाकायदा खसरे नंबर या कालोनियों के नाम एक नोटिफिकेशन जरूर निकाल दें कि ये-ये प्राइवेट लैंड के खसरे दिल्ली में हैं जो अनअथोराइज कालोनीज से रिलेटिड है ताकि कोई anomaly उस पर न रहे।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं यूडी मिनिस्टर साहब को इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं दिल्ली की वो 44 रिसैटलमेंट कालोनियां जो कभी इंदिरा जी ने बसाई थीं, नेहरू जी ने बसाई थीं उनको मालिकाना हक देने का सवाल था हमारी सरकार ने उनको ऑनरशिप राइट देने का फैसला किया है, मैं उसके लिए भी सरकार का आभार व्यक्त करने के लिए में खड़ा हुआ हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक अच्छा ऐतिहासिक कदम है लेकिन अध्यक्ष जी, मैं उसमें आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मंत्री जी जो जीपीए वाला मामला है आपने अलॉटी का कर दिया लेकिन जिस आदमी ने अलॉटी के बाद आज से 20 साल पहले जिसने जीपीए कराई थी आपको कम से कम एक पांच साल का, दस साल का, बीस साल का, पंद्रह साल का इसकी चार केटेगरी आपको बनानी चाहिए, यह नहीं कि जिस आदमी ने 1962 में रिसैटलमेंट कालोनी बसी और 1966 में अपना मकान ले लिया आज वो 1966 वाला भी वही रेट देगा जो आज का परचेजर है। इसमें अध्यक्ष जी, केटेगरी बननी चाहिए। दस साल, बीस साल इस तीरके से आप इसकी चार केटैगरी बनाएं यह भी मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा और उसमें रेट आप तय कर लें।

अध्यक्ष जी, इसके साथ-साथ मैं मंत्री जी से एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि हमने 1639 कालोनियों की लिस्ट बनाई, उसके साथ-साथ आज भी जिन कालोनियों के आपने सर्टिफिकेट कैंसिल किए, आज भी अनअथोराइज कालोनियों के बिल्कुल साथ-साथ कुछ ऐसी आबादियां अध्यक्ष जी, जो आरडब्ल्यूए के झगड़ों की वजह से दो प्रधान थे, उस कालोनी ने तीन बार नक्शा जमा कराया लेकिन चौथी बार जब फाइनल आया तो उसने सोचा कि वो आरडब्ल्यू कराएगी, उसने सोचा वो आरडब्ल्यूए कराएगी, 100 परसेंअ कालोनी बिल्ट-अप है वहां 2006-07 में डेवलपमेंट के काम भी हो चुके हैं लेकिन आज वो कालोनी उसको लिस्ट में से बाहर निकाल दिया गया है। मैं यह भी चाहूंगा कि सरकार इस पर एक स्पेशल ड्राइव चलाए और पिछले सबूतों के आधार पर जो पहले कभी नक्शे जमा हुए थे उनके आधार पर आपके पास एरियल सर्वे एवेलेबल है, एरियल सर्वे के बेस पर आप उन कालोनियों को भी किसी तरीके से बेसिक एमेनिटीज देने के लिए उनको इसमें शामिल करें और इसके साथ-साथ जो और कालोनियां नियमन होने से बच गई हैं, नियमित होने से उन कालोनियों को नियमित कराया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका मैं धन्यवाद करता हूं, फिर आपके माध्यम से एक बात अंत में कहूंगा कि दिल्ली नगर निगम को अध्यक्ष जी एक हिदायत जरूर दी जाए, इससे पहले कि दिल्ली में मलेरिया फैलें, मैं अध्यक्ष जी, बड़े रिकार्ड पर कह रहा हूं क्षमा करनार इनके धुएं से और दवाई से भी मच्छर नहीं मर रहे हैं। इतनी बुरी हालत दिल्ली में है इस वक्त। इससे पहले कि दिल्ली में कोई महामारी फैले, दिल्ली में मलेरिया फैले, कोई और बीमारी फैले, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि नगर निगम इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मंत्री जी इस पर आदेश दें और यह न हो मच्छर मारने के नाम पर कहीं गरीबों

को मारना शुरू कर दें। लोगों के घरों के चालान चालू कर दें कि आपके कूलर में पानी ठीक नहीं है इसलिए आपका चालान कर दो। यह भी एक नया तरीका है, मैं शिकायत करता हूं मेरे घर में मच्छर है तो मेरे घर का चालान काट देते हैं आकर कि मेरे घर में चूंकि कूड़ा है इसलिए मच्छर तुम्हारे घर में हो रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष जी, इनका इलाज कराया जाए, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री नसीब सिंह जी।

श्री नसीब सिंह : अध्यक्ष जी, मुकेश भाई ने और हम लोगों ने इस पर चर्चा नगर निगम के विभागों में भ्रष्टाचार, जनसुविधाओं पर फजूलखर्ची इस पर चर्चा लगाई और हमारे विपक्ष के साथियों ने जिस तरह से वाक आउट किया, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचने वाला मामला चल रहा है कि जब बाहर लांज में बैठते हैं तो चर्चा करते हैं कि हमारे कौंसलर इतने गंदे हैं कि जेई अगर कहीं मिलने आ जाए घर पर गलती से मिलने आ जाए तो उसकी जेब टटोल लेते हैं। इनके निगम पार्षदों के ये हालात हैं कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट क्या, लाइसैंसिंग डिपार्टमेंट क्या, हेल्थ डिपार्टमेंट क्या इनके जितने भी छोटे-मोटे सफाई कर्मचारियों के डिपार्टमेंट क्या, इनके निगम पार्षदों ने इतना आतंक फैला रखा है कि जो भले अफसर नगर निगम चलाने के लिए दिल्ली सरकार ने भेजे उनका भी जीना हराम किया हुआ है। वे इतने परेशान हैं कि स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में कुछ नहीं बोलने दिया जाता। वहां के निगम पार्षद एमएलए, एमपी, ट्रांस यमुना बोर्ड, ग्रामीण बोर्ड के जो केस लगे होते हैं उनकी फाइलें निकाल कर अगली मीटिंग की बात कह कर काम रोक रहे हैं। अध्यक्ष जी, बहुत बुरी बात है। दिल्ली के लोगों ने जिस उम्मीद के साथ इन लोगों का चुनाव किया ये लोग उस तरह का काम नहीं

कर रहे हैं और तो और जो अफसर ठीक काम करना चाहते हैं उनको धमकाते हैं, डराते हैं यहां तक कि अभी जैसा मुकेश भाई ने कहा यूनीपोल का मामला दिल्ली में बहुत गंभीर है। उसको ले कर हमारी पूर्वी दिल्ली में भी हमारे कुछ अफसरों ने पकड़ा और पकड़ने के बाद उसका बचाव वहां के जितने भी बीजेपी के नगर निगम में नेता हैं उन्होंने बचाव किया। क्योंकि ऐसा लगता है कि वो यूनीपोल जो है वो कौंसलरों की मिली भगत से लगाए हुए थे। 200 से ज्यादा तो ईस्ट दिल्ली में मिले हैं और मैं तो बधाई देना चाहता हूं हमारे ईस्ट दिल्ली के कमिश्नर साहब यहां बैठे हुए हैं कि इन्होंने उनको पकड़ा और उन सबको हटाया लेकिन अभी भी प्रेशर डाले रखते हैं और काम न होने देने का काम करते रहते हैं। जैसाकि मुकेश भाई ने बताया कि कपिल सिब्बल जी ने कहा हम समझते थे कि एमसीडी के पार्ट करने के बाद जो अच्छे काम की शुरूआत होनी चाहिए थी वह नहीं हो पाई। मजबूरी में हमारी मुख्य मंत्री जी ने नगर निगम से उन सड़कों को वापिस लिया जो 60 फुट से ज्यादा थी। जिस तरह से आज भी अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर मंत्री जी बैठे हुए हैं यूडी मिनिस्टर साहब, उनके अंडर में नगर निगम है। पिछले दिनों हाई कोर्ट के आर्डर हुए पूरी दिल्ली दहल गई और हाई कोर्ट ने कहा कि अनोथराईज्ड कंस्ट्रक्शन पर रोक लगनी चाहिए मॉनीटरिंग कमेटी बनाई गई। एक कमेटी और सुप्रीम कोर्ट की बनी हुई है। उसको लाखों रुपया खर्चा हो रहा है, काम कुछ नहीं है उसका। उसका काम है कि जबर्दस्ती जो पैसे वाले लोग हैं जिनके बड़े-बड़े चीजें चल रहे हैं उनको टार्गेट करने का मामला रहता है कि वो या तो कोई पॉलीटीकल आदमी हो, किसी अफसर का हो, किसी और प्रभावशाली आदमी का दिखाई दे उसके यहां जा कर उसका सील कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे यहां चक्कर काटो। उन कमेटियों की नगर

निगम के अधिकारियों में इतनी दहशत है कि वे भी उनका सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि नगर निगम का एडमीनिस्ट्रेशन है और नगर निगम के इतने अधिकारी हैं, दिल्ली सरकार के इतने अधिकारी हैं, इतने सारे रिटायर्ड अफसरों को ऐसे अधिकार दे दिए गए हैं जो शायद एग्जीक्यूटिव के पास भी अधिकार न हो। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा कर ऐसी कमेटियों को खत्म कराए जिससे जो दिल्ली में दहशत फैली हुई है, आधी दहशत तो नगर निगम के अधिकारी और कौंसलरों की वजह से है और उसमें सबसे ज्यादा दहशत इन कमेटियों की वजह से है जो अनोथराईज्ड काम करते हैं जिनका लीगल कुछ है नहीं। किसी का सील का दिया पूछो किसलिए सील किया तो वे नहीं बताते कि किसलिए सील किया। नगर निगम लिख करके भेज देता है कि मॉनीटरिंग कमेटी ने कहा इसलिए सील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की मॉनीटरिंग कमेटी यानी कि एमसीडी का प्रशासन फेल हो चुका है। उसका मतलब तो यही है कि मॉनीटरिंग कमेटी बना दी गई तो इसका मतलब है कि प्रशासन फेल हो चुका है। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस पर गौर करने की जरूरत है और उसके बाद जब बिल्डिंग डिपार्टमेंट के एक्सीयन, जेई, एई उनको सस्पेंड कर दिया गया, टर्मीनेट कर दिया गया और जब कोर्ट में यह बात कही गई कि क्यों न इन सब को टर्मीनेट कर दिया जाए तो बात आई कि अगर कोई भी ऐसा जेई से लेकर एक्स.ई.एन. तक कोई ऐसा बचा नहीं है जिसके ऊपर आरोप नहीं हो। अगर इन सब को टर्मीनेट या सस्पेंड कर दिया जाएगा तो एमसीडी खाली हो जाएगी। कोई काम करने वाला ही नहीं मिलेगा। इस तरह के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बयान दिए जाएं तो हम उसके बारे में समझ सकते हैं कि एमसीडी के अंदर क्या माहौल है। मैं समझता

हूं कि जिस तरह से निगम पार्षदों ने बारात घर की बुकिंग में भी अपना ठेका बना रखा है। मुकेश भाई ने बताया और उसका एनओसी, मंत्री जी खत्म होना चाहिए। यह एनओसी का मतलब नहीं है, ये ब्लेकमेल करते हैं। पार्टीबाजी करते हैं। किसी पार्टी का कौंसलर है अगर दूसरी पार्टी का बुकिंग के लिए चला जाए तो उसका वे बुक नहीं करते। इस तरह का पक्षपात जिस तरह से नगर निगम में हो रहा है अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं पार्कों में और दूसरी जगहों में ये हालात पैदा हो रखे हैं इसको बदलने की जरूरत है। कुत्ते पकड़ने का कोई भी सिस्टम नहीं है। बंदर पकड़ने का कोई सिस्टम नहीं है। मच्छरों, मलेरिया डेंगू जिस तरह की बीमारियां फैल रही हैं उसका कोई बंदोबश्त नहीं है। क्योंकि सारे के सारे कौंसलर वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनसे मंथलियां लेते हैं अगर मंथलियां न दें तो उन्हें सस्पेंड या हटाने की बात करते हैं। अध्यक्ष जी, इस तरह से प्रशासन नहीं चलेगा। नगर निगम के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सारा का सारा आरआर कट का जो पैसा मिलता है ज्यादा से ज्यादा जो बजट अलग-अलग हेड में होता है, सारे के सारे नेता अपने-अपने क्षेत्रों में लगाते हैं जो दूसरे क्षेत्र के लिए मिलता है चाहे वो गांव के लिए फण्ड मिलता हो, चाहें अनोथराइज्ड रेगुलराइज्ड कालोनी के लिए मिलता हो, पुनर्वास बस्ती के लिए मिलता हो, वो सारे के सारे बड़े-बड़े बजट मेयर से लेकर स्टैंडिंग कमेटी और स्टेंडिंग कमेटी के मैम्बरान जितने भी हाऊस ऑफ लीडर हैं ये सारा का सारा पैसा अपने आप में बांट रहे हें इससे हालात बहुत खराब हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग कोई काम नहीं कर रहा है। अध्यक्ष जी, नगर निगम 60 परसैंट हाऊस टैक्स आज भी इकट्ठा नहीं कर पा रहा। कोई अपना कमरा बनाने लगे तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट का जेई या मेट वो तो पहुंच जाएगा लेकिन हाऊस टैक्स के लिए आज तक किसी

को नोटिस नहीं दिया जा रहा है। कपिल सिब्बल जी ने कह दिया कि यह महाचोर है। भाषणों में निकल भी जाता है। कह भी दिया कोई सीरियश मामला भी ऐसा नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जितनी भी सरकारी बिल्डिगें थीं उन सब को नोटिस भिजवा दिए कि ये हाऊस टैक्स जमा कराएं। हजारों, करोड़ों रुपया दिखाया जा रहा है कि इनकी तरफ हाऊस टैक्स बकाया है जब से बिल्डिंग बनी है, जब से डिपार्टमेंट बना है तब से उनको जबर्दस्ती अफसरों का कहा जा रहा है कमिश्नर को धमकी दी जा रही है कि सब को नोटिस भेजो और नही भेजोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। हाऊस नहीं चलने देंगे। इस तरह की बातें हो रही हैं तो मैं समझता हूं कि ये भलाई का काम नहीं कर रहे हैं। इनसे सफाई का काम नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य में जितनी भी चीजें होनी चाहिए, अस्पतालों के हालात देख लो। मैं तो मंत्री जी कहना चाहूंगा कि इनसे डिस्पेंसरियां और अस्पताल ले लिए जाएं। क्योंकि ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। जितना बजट जा रहा है, बेकार जा रहा है। प्राइमरी स्कूलों के जो हालात हैं, एक-एक स्कूल में 5-5, 6-6 हजार बच्चे भरे हुए हैं। वहां पर कोई पढ़ाने के लिए नहीं आता है। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से फिर रिकवेस्ट है जैसे मुकेश जी ने भी कहा कि एक एकड़ या उससे ज्यादा वाले जो स्कूल हैं, जमीनें जिसके पास हैं उनको एक्वायर करके दिल्ली सरकार के उसमें सेकेंडरी स्कूल खोल दिए जाएं। इनकी वजह से क्योंकि जब नगर निगम में कोई पढ़ाई नहीं होती। टीचर भर्ती हो रहे हैं नगर निगम का भारतीय जनता पार्टी का हर कौंसलर भर्ती करवाने में अपने लोगों की लाईन लगा कर खड़ा है। डीबीसी की भर्ती भी नेताओं के कहने से की जा रही है।

अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें होने के बाद नगर निगम में जो बच्चे पढ़कर हमारे दिल्ली सरकार के सैकंडरी स्कूलों में जाते हैं उनके बहुत

अच्छे हालात नहीं होते। क्योंकि उनकी जो प्राइमरी एजूकेशन है वह बहुत खराब होती है वे कुछ बोल ही नही पाते, कुछ कर ही नहीं पाते, कुछ लिख ही नहीं पाते, इससे हमारा भी रिजल्ट खराब हो रहा है। इसके बारे में तो हमारे मंत्री जी ठीक से जानते हैं। मैं समझता हूं कि बहुत सारी बातें हमारे भाई मुकेश जी ने कीं और जैसा कि आप देख ही रहे हैं अखबारों में आ रहा है कि साउथ दिल्ली की जो नगर निगम है वहां पर नगर निगम के पार्षदों की खरीद फरोख्त हो रही है। वह इसलिए हो रही है कि उनकी पूरी मेज्योरिटी नहीं है और मेयर बनने के लिए उस पर कब्जा जमाने के लिए, मंथली इकट्ठा करने के लिए वे उनको लालच दे रहे हैं। पैसे से नगर निगम के सदस्यों को खरीदा जा रहा है। इस तरह की हरकतें करके ये लोग नगर निगम को बिल्कुल ही पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारी बातें हुई हैं, मुकेश जी ने सारी बातें कह दी हैं, मैं इसलिए ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन इसमें अनाथराइज कालोनियों का मामला भी है, मैं उनके बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं सबसे पहले मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने लगभग 1026 कालोनियां पास कर दी हैं और विपक्ष के लोगों को इस तरह की जानकारी नहीं है। ये बाहर कहीं न कहीं मीडिया में यह बात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ये अनाथराइज कालोनियां तो पास नहीं होंगी, यह तो दिल्ली सरकार का ढकोसला है। इन्हें यह नहीं पता कि जिस कालोनी में सीवर पड़ गए हैं, पानी की लाइनें डल गई हैं, यहां तक कि मेरे क्षेत्र में तो गैस की लाइन भी डाल दी गई है, उन कालोनियों को पास होने से कोई रोक सकता है। सरकार ने 5600 करोड़ रुपया पहले खर्च किया 2600 करोड़ रुपया और रखा गया है, कितने काम हो रहे हैं उसके बावजूद भी अनाथराइज कालोनियों को बोल रहे हैं कि ये पास नहीं होंगी, यह तो दिल्ली

के लोगों को बहकाया जा रहा है, इस तरह की बात करके ये लोगों को कोई तथ्य नहीं दे सकते हैं कि किस तरह से लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले 14 वर्षों में जो बात की है शायद मैं समझता हूं कि 1998 से पहले 50 साल में 47 से 98 तक किसी की भी सरकार रही हो, उस समय में जितना काम हुआ है उससे कहीं ज्यादा इन 14 सालों में काम हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने जिस तरह से काम किया है मैं समझता हूं पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐसा काम किया होता तो शायद आज हालात यह नहीं होते कि दूसरे प्रदेशों से दिल्ली में रोजी रोटी की तलाश में 5 लाख लोग हर साल दिल्ली आते हैं और हर साल उन पांच लाख लोगों का भार बढ़ता है। दिल्ली के पास अपना न पानी है, न अपनी सब्जी है, न अपना गेहूं है, न अपना चावल है, न बिजली है, कोई भी चीज दिल्ली में ऐसी नहीं है जिसकी पैदावार से हम अपनी तसल्ली कर सकें कि यह दिल्ली की पैदावार है। दिल्ली की पैदावार तो सिर्फ रोजगार है, कहते हैं रोजगार कुछ नहीं दिया है। इतने काम होने के बावजूद पिछले 14 सालों में जिस तरह से हायर एजूकेशन में काम हुआ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काम हुआ इसका सबूत तो इनफ्रास्ट्रक्चर डव्लप करने में जितना काम हुआ इस सबका मसला तो यूनाइटेड नेशन ने जो हमारी दिल्ली सरकार को अवार्ड दिए हैं उनसे साबित होता है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी ने सड़कों के लिए हमारे मंत्री श्री राजकुमार चौहान को जब अवार्ड दिया जो इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार काम कर रही है। एजूकेशन के लिए जब दिल्ली सरकार को अवार्ड मिला तो किरन वालिया जी वहां मौजूद थीं उन्होंने उस अवार्ड को ग्रहण किया। इससे यह साबित होता है कि दिल्ली सरकार ने जो काम किया है इससे

बेहतर काम कोई और हो नहीं सकता था। पुनर्वास बस्तियों के बारे में बात की जा रही थी कि 44 पुन र्वास बस्तियां हैं उन बस्तियों को मालिकाना हक दिया, जो इंदिरा जी ने कभी बसाई थीं। जिस समय ये बसाई गई थी उस समय सबसे बड़ा काम गरीबों के लिए किया गया था। इंदिरा जी का नाम उस समय से ज्यादा ताकतवर लीडर के रूप में हुआ जब उन्होंने गरीबों की आवाज सुनी और उन झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों को मकान बनाकर दिए। मकान दिए, उनको जगह दी कि तुम यहां बसो, ऐसी बस्तियों के बसने के बाद, इंदिरा जी के बाद आज पहली बार ऐसे हो रहा है कि शीला दीक्षित जी ने आज 14 हजार मकान बन कर झुग्गी बस्तियों के लिए तैयार हो रहे हैं, 65 हजार मकान तैयार होने की बात कर रहे हैं। इनसीटू स्कीम चलाने की हम बात कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज अगर दिल्ली में कोई काम रहता है तो सिर्फ उन झुग्गी बस्तियों को बसाने का काम रहता है। अगर हमारी सरकार इन झुग्गी बस्तियों को मकान देकर बसा देगी तो दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अभी आपने बहुत सारे काम किए चाहे वह एजूकेशन में किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारने में किया, सड़कें बनाई, फ्लाई ओवर बनाए, फुटओवर ब्रिज बनाए, इतना सब कुछ हुआ है, समाज कल्याण विभाग ने बहुत काम किया है, मैं समझता हूं कि आज आने वाले इन 7-8 महीनों में हमने इस काम की जो शुरूआत की है उसको इम्पलीमेंट करना है। अभी 14 हजार बने हैं उनको हमें अलाट कर देना चाहिए जिससे लोगों में यह मैसिज जाए कि जिस काम की शुरूआत शीला दीक्षित ने की है वह काम शुरू हो चुका है और उसके अलावा जैसे पूर्वी दिल्ली में जो झुग्गी झोंपड़ियां हैं अगर उन्हें उसी डिस्ट्रिक्ट में, मंत्री जी जगह बहुत है, डीडीए से जगह ली जा सकती है, डीडीए

जमीन अपने घर से नहीं लाया है, डीडीए सरकारी डिपार्टमेंट है, कमलनाथ ज़ी जैसे शानदार हमारे यूडी मिनिस्टर हैं केंद्र में, उन्होंने छूट की हुई है और मंत्री जी खुद जानते हैं कि आप जाकर उनसे जो भी मांगेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वे नहीं देंगे। अगर कोई बात होगी तो मैं समझता हूं कि आज हमारा जो डूसिब है उस डूसिब को हाउसिंग बोर्ड बना दिया जाए जिससे झुग्गी झोंपड़ी की जो दिक्कत है उसको दूर कर सकता है तो डूसिब दूर कर सकता है। सुभाष चोपड़ा जी के एरिया में हमने देखा, कटपूतली कालोनी में हमने देखा वहां कुछ कामन हीं हो रहा है। अध्यक्ष जी, आज भी चोपड़ा बता रहे थे कि वहां शुरूआत तो हुई लेकिन काम नहीं होने दिया जा रहा है। और तो और अडंगे लगाने के लिए उन्होंने एक बहुत बढ़िया तरीका चुना, डीडीए ने वहां एक काम के टेंडर 10 तारीख को कर दिए जो काम वहां चल रहा है और 12 तारीख को लैण्डयूज चेंज करने के लिए नोटिफिकेशन निकाला कि ऑबजैक्शन और सजैशन दे दिए जाएं, 12 को ऑबजैक्शन और सजैशन मांगे जा रहे हैं और उसका टेंडर कर दिया 10 तारीख को। यानी की इंटेनशनल पहले से ही तैयार कर ली गई और कोर्ट में स्टे की तैयारी करवा दी गई कि यह टैंडर ना हो ओर यह काम जिसकी शुरूआत की गई थी वह पूरा ना हो। अध्यक्ष जी, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा माफिया भी काम कर रहा है और वह माफिया है...**व्यवधान** (अध्यक्ष महोदय द्वारा घंटी बजाई गई) अध्यक्ष जी, मैं दो मिनट और लेना चाहूंगा। वह माफिया है जो एनसीआर में फ्लैट बना रहा है। वह नहीं चाहते हैं कि दिल्ली में गरीब लोगों के 1+1 के जो फ्लैट बनेंगे वे उन फ्लैटों को बेकार कर देंगे। दिल्ली में लैंड पालिसी कुछ अधिकारीगण नहीं आने देना चाहते थे, लेकिन मैं तो आज आपके माध्यम से इस हाउस में श्री कमलनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं कि वे लैंड पालिसी लेकर

आ रहे हैं और दिल्ली में जो हाउसिंग की प्रोब्लम है अब उसे दूर होने से कोई नहीं रोक सकता। आज ये जो अनाथराइज कालोनियां बनने जा रही थीं जिनको हम आज पास कर रहे हैं, आज दिल्ली का जो हुलिया बिगाड़ा गया है उस हुलिया को सुधारने के लिए लैंड पालिसी लेकर आ रहे हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं और उनको बधाई भी देता हूं। ज्यादा कुछ न कहते हुए क्योंकि और बहुत सी बातें और सदस्य भी कहेंगे, सब जानते हैं कि इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूं और एक बार फिर यह कहना चाहता हूं कि एमसीडी में जो हो रहा है उसे रोकने की जरूरत है। अनाथराइज कालोनियों में जो रहा है उसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है, मंत्री जी इन दोनों का सामंजस्य बनाकर हमें दिल्ली को और बेहतर शहर बनाने के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने बेड़ा उठाया था उस बेड़े को आने वाले चुनाव तक हम आगे तक ले जाएं, दिल्ली के लोग यह पुख्ता कर चुके हैं कि जो सफेद और काली टोपी लगाकर घूम रहे हैं, रहते यूपी में हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं दिल्ली वालों की, यूपी की बिजली नहीं देखते, यूपी का भ्रष्टाचार नहीं देखते, वहां क्या हो रहा है, उनकी लड़ाई दिल्ली में मीडिया के सामने लड़ी जा रही है, जिसे दिल्ली के लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, मैं समझता हूं कि इन सब बातों को लेकर बहुत सारी बातें होंगी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : देवेन्द्र यादव जी।

श्री देवेन्द्र यादव : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि कोई भी सैशन यहां पर ऐसा जाता हो, जिसमें कोई एक महत्वपूर्ण

विषय पर चर्चा न लगी हो। लेकिन अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के रवैये के कारण हमारा अधिकतर समय ये खराब कर देते हैं कि किसी भी प्रकार से एमसीडी के अंदर जो करप्शन चल रहा है, उसको कैसे ढका जाए। इसी में अपना समय बर्बाद कर देते हैं और जो भी हमारी डिस्कशन होती है, जो चर्चा होती है, वह किसी कन्क्लूजन पर पहुंचने से पहले ही खत्म कर दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि ये नहीं है कि कार्पोरेशन में काम नहीं होते। निस्संदेह आम लोगों से जुड़ी हुई संस्था है। हर एक आम व्यक्ति को कार्पोरेशन में जाकर अपने कामों के लिए जाना पड़ता है। बहुत अच्छे ऑफीसर्स भी वहां पर हैं, बहुत से सिस्टम भी लागू किए जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो वहां पर लीडरशिप है, वह उन सिस्टम्स को लागू नहीं होने देती और जो कार्पोरेशन में एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, उसको पूरी तरीके से शह देती है। अभी कुछ वर्षों पहले कार्पोरेशन ने कहा कि...अभी हमारे नसीब भाई बोल रहे थे कि कम्युनिटी सेंटर्स में बुकिंग का बहुत अच्छा सिस्टम बना है। उन्होंने कहा कि ऑन लाइन हम बुकिंग करेंगे, बहुत अच्छा काबिले तारीफ कदम था। लेकिन जैसे ही लीडरशिप को मालूम हुआ कि इससे तो हमारी जो कमाई है, वह खत्म हो जाएगी। उन्होंने एक और क्लॉज उसमें लगा दिया कि लोकल काउन्सलर से सहमति के बिना वह बुक नहीं हो सकता। क्या जरूरत है लोकल काउन्सलर की सहमति की? जब आप उसको ऑन लाइन बुक कर रहे हैं आप उसके क्षेत्र को लिमिट कर दीजिए। आप ये कहिए कि भैया, इस कम्युनिटी सेंटर में इस-इस क्षेत्र के लोग ही आकर यहां पर शादी करेंगे। वेलकम है। लेकिन ये क्या मतलब है कि एनओसी लेने के लिए वो पहले काउन्सलर के धक्के खाएगा, वहां पर जब तक तोल-मोल नहीं हो जाता, उससे पहले वह बुक नहीं हो सकता, वह एनओसी नहीं देंगे। कमाल की बात है सर।...सही कह

रहे हैं सुरेश जी, उससे पहले जब तक टैंट के थे वे लोग नहीं आते, कोई एनओसी वहां पर मिल नहीं पाती। अध्यक्ष महोदय, मुझे अच्छी तरह से याद है 2002 से 2007 के बीच में कांग्रेस सरकार/कांग्रेस के काउन्सलर्स की वहां पर मेजोरिटी थी। मुझे भी मौका मिला वहां पर 2002 से 2007 के बीच में। बहुत अच्छा सिस्अम हाउस टैक्स के बारे में...2002 के आस पास की बात है, हरेक व्यक्ति ये चिल्लाता हुआ आता था कि हाउस टैक्स मेरा कैलकुलेट कितना कर दिया, 5 लाख था, उसका अगर किसी कार्पोरेशन के मेम्बर से आपकी साठ-गांठ है, तो वह 5 हजार हो जाता था। कोई आता था कि मेरा कमर्शियल लगा दिया। कोई कहता था कि मेरा 10 लाख था, इसे ठीक करवाया जाए। बहुत बच्छा सिस्टम यूनिट एरिया लागू किया गया। लीडरशिप में कमिटमैंट थी, लागू हो गया। आज कोई व्यक्ति इस समस्या के लिए हमारे पास नहीं आता। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मेरा ये फलां प्राब्लम है हाउस टैक्स से। कोई दिक्कत नहीं है साहब। सिस्टम यदि लागू किए जाएं तो मैं नहीं समझता कि कोई भी परेशानी इस चीज में रह सकती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गांव में और जो हमारे शहरों की भी इसमें बहुत सी सड़कें पिछले वर्ष आदरणीय मुख्यमंत्री जी की पहल से 60 फीट और उससे ज्यादा की जितनी भी गलिया थी और रोडस थे, वह पीडबल्यूडी ने लिए। हम सब जानते हैं, विशेष रूप से हमारे गांव से जो साथी बैठे हैं, वह अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या हालत थी उन रोड्स की। लगातार सालों साल उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। आज पीडबल्यूडी में एक साल के अंदर और एक साल क्यों कहूं 8 महीने के अंदर-अंदर उनका कायाकल्प हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहां पर दिल्ली सरकार तो करना चाहती है,

एमसीडी भी करना चाहती है, लेकिन वहां पर बैठी जो लीडरशिप है, वह उसको करने नहीं देना चाहती। आज अध्यक्ष महोदय, हमारे गांव की दशा है, यदि मैं कहूं कि गांव की जो डेवलपमेंट है, अंदर के रोड्स थे, बाहर के रोड़ थे, उन सब की जिम्मेदारी कार्पोरेशन के ऊपर होती थी। आज यदि रूरल डेवलपमेंट बोर्ड दिल्ली सरकार का वहां पर काम कर रहा होता तो मैं समझता हूं कि गांव की हालत बद से बदतर हो चुकी होती। आज मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा माननीय मंगतराम जी बैठे हैं, चेयरमैन साहब, माननीय मंत्री जी राजकुमार चौहान साहब, गांव की दशा बिल्कुल बदल गई है, वहां पर दुनिया भर के काम हो रहे हैं। कोई ऐसी चीज गांव के लिए, मैं समझता हूं कि बहुत ही सुंदर तरीके से सारे रोड्स वहां की जो चौपालों की रिपेयर मेन्टेनेन्स है, चाहे, वहां स्ट्रीट लाइट का भी इस बार प्रोविजन किया है। बहुत काबिले तारीफ है। ये सारे जो बोर्ड हमारे यहां पर हैं, मुझे याद है कि कार्पोरेशन के अंदर भी ये रूरल कमेटी होती है। लेकिन आज उनसे काम की पूछ लीजिए कि क्या काम किया उन्होंने? उनके अंदर की रोड़ देख लीजिए क्या हालत है उनकी। अध्यक्ष महोदय, गांव के साथ और अनाथराइज्ड कालोनी के साथ...इसके साथ-साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है। विशेष रूप से इस मौके पर मैं बताना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने थोड़ी देर पहले एक प्रश्न का जवाब दिया था कि गांव में भी हमारे नक्शे पास हो सकते हैं चाहे उसका ले आउट प्लान तैयार है या नहीं है। ये बाकायदा ऑर्डर किए गए हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई एक भी ऐसा नक्शा किसी भी गांव का आज तक पास नहीं हो पाया। क्या कारण है साहब? ऐसा नहीं है कि गांव के लोग चाहते नहीं हैं। अवश्य ये चाहते हैं कि बिल्डिंग बाइलाज के हिसाब से आप उसके स्ट्रक्चर

की स्टेबिलिटी देख लीजिए। हमें मान्य है। आगे पीछे का सेट बैक अगर कोई छोड़ना है, उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन यदि गांव के भोले व्यक्ति से ये उम्मीद करें कि वह जाकर सारे डिपार्टमेंट में धक्के खाता रहेगा, तो माफ कीजिए, वह कभी भी आज तक नक्शे पास नहीं हुए हैं और आगे भी नहीं हो पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से खुलेआम तरीके से अनाथराइज्ड कालोनीज में आज धंधा चल रहा है। क्यों नहीं वहां पर भी ये लागू कर देते? आज मुख्यमंत्री की अगुवाई में माननीय मंत्री साहब ने अच्छे कदम लिए हैं, 895 कालोनीज पास कर दी। 91 और 40 में काम करने के आदेश दे दिए। बहुत ही काबिले तारीफ कदम है। लेकिन सर इनमें जब तक कंस्ट्रक्शन के लिए एलाऊ नहीं किया जाएगा, ये स्लम में तब्दील हो जाएंगे। आज हरेक चाहे छोटी सी रिपेयर के लिए भी यदि कोई मकान मालिक चाहे 30-30/40-40 साल पुराने मकान हो चुके हैं अनाथराइज्ड कालोनीज में, वह अगर रिपेयर के लिए भी जाता है, तो उससे जब तक पुलिस और कार्पोरेशन वालों की जेब नहीं भर दी जाती, तब तक वहां पर कंस्ट्रक्शन या रिपेयर तक भी नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छे तरीके से भाई नसीब सिंह जी ने कहा, या भाई मुकेश जी ने बताया कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ यही देखते हैं कि कहां पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। चाहे कार्पोरेशन हो और चाहे पुलिस हो। इन दोनों को बहुत ही चैक करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो इनकी रजिस्ट्री करवाने का और कागज बनवाने का रास्ता खोला है, इसके लिए बहुत ही धन्यवाद है आपका। लेकिन जब तक इनकी जो ये आप लोगों ने इनकी कंस्ट्रक्शन का भी कोई रास्ता नहीं निकालेंगे और बहुत ही सिम्पल रास्ता है साहब। आप स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी की बात कीजिए। आप बिल्डिंग बाइलाज लागू करने की बात कीजिए। बिल्कुल काबिले तारीफ होगा सर। सभी उसका वेलकम

करेंगे। सब चाहेंगे कि हां कोई दिक्कत नहीं है। हमें बिल्डिंग बाईलाज के हिसाब से अगर बनाने की परमिशन मिल जाए तो हम करने को तैयार हैं। हरेक अनाथराइज्ड कालोनी और गांव वाला उसके लिए तैयार है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से अर्बन विलेजिज का हालत का, मैं मुबारकबाद और धन्यवाद करना चाहूंगा माननीया मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने पिछले साल एक स्पेशल प्रोविजन अर्बन विलेजिज के लिए किया था 50 करोड़ रु. का। जिसको माननीय मंत्री जी ने फिर दुबारा बढ़वाया और आज अर्बन विलेजिज की गलियां भी दुबारा से चमकने लगी हैं। अन्यथा बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थीं अध्यक्ष महोदय, अनाथराइज्ड कालोनीज के बारे में भी बात अभी कर रहे थे। बहुत अच्छी बात है कि अनाथराइज्ड कालोनीज मंत्री महोदय आपने पास कर दी। बहुत बढ़िया है। लेकिन लेआउट प्लान की जो जिम्मेदारी आपने कार्पोरेशन को दी है न, मुझे तो नहीं लगता कि ये पूरी कर पाएंगे। क्यों न आप उसको as is where is basis पर, पिछली बार भी हमने as is where is basis पर माननीय इंदिरा गांधी जी के आदेश पर की थी।

क्यों न आप उसको As is where is Basis पर उसको पिछली बार हम ने As is where is Basis पर माननीय इंदिरा गांधी जी के आदेश पर की थी। आज भी वो सारे रास्ते खुले हैं। क्यों न उसको As is where is Basis पर ही रेगूलराइज्ड कर दिया जाए। अध्यक्ष जी, मैं माननीय शहरी विकास मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब तक अभी से पहले authorized करने से पहले एक गाइड लाइन थी कि कॉर्पोरेशन ही इसका नॉटिफिकेशन करेगी। कई साल निकल गए। किसी एक भी कॉलोनी को authorized नहीं किया। आप लोगों की अगुवाई में हम भी माननीय कमलनाथ जी से मिले। उन्होंने बहुत सिम्पल सीधा रास्ता बताया कि आप इसको

सीधा-सीधा करिए और Delhi Government is very much authorized कि वो इसका notification जारी कर सके।

अध्यक्ष महोदय : आप शॉर्ट कर लीजिए।

श्री देवेन्द्र यादव : अध्यक्ष जी, मुझे कभी-कभी बोलने का मौका मिलता है। मुझे बोल लेने दीजिए। सर, ये विपक्ष वाले नहीं बोलने देते। अध्यक्ष जी, एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं कि इससे पहले गांव की मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। एक तो इसमें हाऊस टैक्स की जो liability चाहे वो अर्बन विलेज है या रूरल विलेज है। मुझे लगता है कि इसके अंदर इन हाऊस टैक्स का exemption अवश्य ही गांव के वाशिन्दों को मिलना चाहिए और साथ ही साथ गांव के अंदर गलियों की हमारे रूरल डवलपमेंट बोर्ड में एक समस्या आती है कि जब हम अंदर की गलियों के काम करने के लिए जाते हैं तो MCD कहती है कि हमें NOC लेना पड़ेगा। MCD के NOC के बिना हम अंदर काम नहीं कर पाते। तो उससे भी मंत्री साहब मैं समझता हूं कि जो गांव का असली विकास है। बाहर का तो हो गया।

...अंतरबाधाएं...

श्री देवेन्द्र यादव : अध्यक्ष जी, अंदर के लिए भी उसको करें NOC से छूट मिल सके तो मैं यह समझता हूं कि गांव का बहुत अच्छा विकास हो पाएगा और Rural Development Board और Urban Villages हमारा जो डिपार्टमेंट है वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। अध्यक्ष जी, ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है। हमारी जो resettlement colonies हैं। इनकी हालत भी बहुत बदतर थी। माननीय

मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में DUCIT का constitution हुआ और आज हमें खुशी है कि भलस्वा रिसैटिलमेंट कॉलोनी मेरी विधान सभा का पार्ट है। अगर आप वहां पर चले जाएं। उस समय आज से डेढ़ साल पहले तो वहां पर पहुंचने तक का रास्ता नहीं था। अंदर की गलियां, नालियां, पानी, वहां पर कोई सुविधा नहीं थी। यही स्लम पहले कॉर्पोरेशन के पास हुआ करता था। आज जब वो दिल्ली सरकार के पास आता है तो उसका कायाकल्प हो जाती है। आज जाकर देखिए। हर एक छोटी से बड़ी गली हम ने वहां पर सीमेंटड करा दी। पानी की अच्छी सुविधा हो गई। अध्यक्ष जी, मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि लीडरशिप की कमिटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि लीडरशिप की कमिटमेंट रहती है तो कोई भी काम आसान किया जा सकता है। अध्यक्ष जी, Landfill site पिछले मैं यह देख रहा हूं जब आप चंडीगढ़ या करनाल की तरफ से आएंगे तो सब से पहले आपका स्वागत वहां की Landfill site से होगा। सर, आप वहां पर एक नजारा और भी देखेंगे। Landfill site जो है एक तरफ राइट हैंड को PWD के पास है और उल्टे हाथ को MCD के पास है। साहब यह एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण है। जब आप करनाल से आते हैं तो आप राइट हैंड को देखेंगे कि हरा भरा घास, पेड़ अच्छी तरह से उसको मैन्टेन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप उसको खत्म कर दीजिए।

श्री देवेन्द्र यादव : अध्यक्ष जी, उल्टे हाथ को जब आपकी नजर चली जाती है तो आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ी लैंड साइट जो एक पहाड़ का रूप ले चुकी है और जिसकी लिमिट आज से करीब करीब सात आठ साल पहले ही खत्म हो चुकी है। लेकिन कमिटमेंट नहीं है कि कोई नई Landfill site डवलप करें या उसको एक्वायर करें। सर आपका धन्यवाद। सर मैं बैठ जाता हूं।

श्री कंवर करण सिंह : अध्यक्ष जी, आज चर्चा अनऑथोराइज्ड कॉलोनी और MCD पर इकट्ठी हो रही है और लवली जी दोनों विभाग के मंत्री हैं तो सुरेंद्र कुमार और सोमेश शौकीन को भी बुलवा लें ताकि अनऑथोराइज्ड कॉलानी और MCD पर इकट्ठा जवाब आ जाए। यह हमारी पार्टी का मत है।

...अंतरबाधाएं...

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेन्द्र कुमार जी, आप दो दो मिनट बोलें।

श्री सुरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष जी, मुझ से पहले मेरे कई साथियों ने MCD पर और अनऑथाराइज्ड कॉलोनी पर चर्चा की। अध्यक्ष जी, मैं तो यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने जो 895 कॉलोनियों को पास किया और ये पास करके इनमें हजारों करोड़ रुपए लगाने का एक आदेश किया कि आप अपनी कॉलोनियों में काम कराएं। अध्यक्ष जी, इससे पहले राजकुमार चौहान जी मंत्री होते थे। इलैक्शन का यही समय था। इन्होंने जब कॉलोनियों में काम करवाया और उन कॉलोनियों की वजह से हमारी सरकार बनी और मैं खुले शब्दों के साथ एक बात कहना चाह रहा हूं कि भाई लवली साहब ने जो काम किया है। यह बहुत बड़ा काम किया है क्योंकि हम ने भी तीन इलैक्शन जीते हैं। हर सैशन में यही चर्चा होती थी कि कॉलोनी पास होंगी, होंगी, कब पास होंगी और हमारी सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का भाई लवली जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्हेंाने इतना बड़ा फैसला लिया कि 895 कॉलोनियों को पास किया। अध्यक्ष जी, इसके साथ-साथ मैं कोई लम्बा भाषण नहीं करना चाहता। सिर्फ एक बात भाई अरविन्दर सिंह लवली जी से कहना चाहता हूं कि जो बची हुई कॉलोनियां हैं और जिनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जिन कॉलोनियों में कुछ काम भी हुआ है। मगर वो उस लिस्ट से बाहर

कर दी गईं। यह मेरी आपसे एक रिक्वैस्ट है। कई साथियों ने भी आपसे कहा कि अगर उन कॉलोनियों को भी इसमें जोड़ लिया जाए। मैंने पिछली दफा भी आपसे एक बात कही थी कि इनके पास होने में लंबी प्रक्रिया है। महीनों लग जाते हैं। बहुत समय लगेगा। मगर इतना जरूर कर दें कि इन कॉलोनियों में काम करने के आदेश दे दें और माननीय न्यायालय ने भी ऐसे आदेश किए हुए हैं कि जहां आबादी है। उन लोगों के लिए सड़क, पानी, बिजली का प्रबंध सरकार जरूर करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इनको उस लिस्ट में साथ जोड़कर के आप इन कॉलोनियों के भी आदेश कर दें क्योंकि यहां पर बहुत-बहुत सारी कॉलोनियां ऐसी हैं जो हमारे यहां छूट ई हैं। अध्यक्ष जी, मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि बाकी माननीय मंत्री जी की नॉलेज में यह बात है और इन्होंने हमारी मदद भी करनी चाही है और आज मुख्यमंत्री जी ने भी यह कहा कि एक तरफ तो हम कॉलोनियों को बचा रहे हैं। हम एक तरफ यह कह रहे हैं कि हम किसी का मकान नहीं टूटने देंगे और दूसरी तरफ मेरा खुद का क्षेत्र है जिसमें सात कॉलोनियां हैं और उन कॉलोनियों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला है। मगर पिछले हफ्ते क्या किया, उनको नॉटिफाइड कर दिया। उसमें धारा 6 लगा दी। वहां पर मकान तोड़े जाएंगे। कॉलोनियां हटाकर के वहां पर दूसरी कॉलोनियां बसाई जाएंगी। डी.डी.ए. फ्लैट बनाएगा। आज जिनकी कॉलोनियां हैं, वो लोग कितने डरे हुए हैं कि हम कहां पर जाएंगे। वो लोग वहां पर 30-30, 35-35 साल से रह रहे हैं। वहां पर कोई एक दो मकान नहीं हैं। कोई सौ पचास मकान नहीं हें वहां पर हजारों की तादाद में मकान बने हुए हैं और उन मकानों को नोटिफाइड कर दिया जाए कि हम इन मकानों को तोड़कर के कॉलोनियों को खत्म कर करके वहां पर डी.डी.ए. के फ्लैट बनाएंगे। अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता

हूं। माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं और आज मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है कि यह गलत है। किसी का मकान बिल्कुल नहीं तोड़ा जाएगा। मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि आप इनके बारे में जरूर ध्यान दें ताकि वो गरीब लोग वहां पर बचे रह जाएं क्योंकि एक दो कॉलोनी की बात नहीं है। मेरे यहां पर सात कॉलोनियां ऐसी हैं। अध्यक्ष जी, मैं एक और बात कहना चाह रहा हूं।

आपने भी और मंत्री जी ने भी सदन में खड़े होकर के यह कहा था कि जो गांव के बाहर गांव बसे हुए हैं, आज भी 14 लोग कटेवडा गांव के मेरे पास आए, उनके यहां पर जो 81 का नोटिस दे रखा है, उनकी परसों की तारीख है और उनको यह कहा गया है कि आपके मकान तोड़े जाएंगे, नोटिस पकड़ा दिया, मैं इस बात को, पहले भी मैंने कहा है कि जो गांव से बाहर बसे हैं, जिनकी आप दादाओं की और पूर्वजों की जमीन पर बसे हैं। उनप लोगों को नोटिस खाली करने के लिए दे दिया गया कि यह ग्राम सभा में वेस्ट हो जाती है। जैसे आपने पहले नक्शे मांगे थे तो कुछ लोग पहले नक्शे जमा नहीं करा पाए। और मैं यह बड़े ही दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं कि हम गांव के रहने वाले हैं। गांव के लोगों को यह ही नहीं पता था कि आरडब्ल्यूए क्या होता है, गांव के लागों को पता नहीं था कि आरडब्ल्यूए किसी गांव में नहीं है, जो शहर के नजदीक जो गांव लगता है, उनमें तो बना रखी है मगर बाहर के जो हमारे देहात जो बार्डर पर हैं उनके यहां, आरडब्ल्यूए का कोई ज्ञान नहीं था, उन्होंने नक्शे जमा नहीं कराए, इसलिए वो कॉलोनियां भी जिनमें छोटे मकान बने थे, न तो वो कालोनी में गिने जाते हैं, न ही वे गांव में गिने जाते हैं। अब मेरी आपसे

यह प्रार्थना है कि आप कोई ऐसा समय निर्धारित कर दें कि आप अपने नक्शे जमा कराएं ताकि वो नक्शे जमा हो जाएं और उन लोगों की जो गर्दन पर तलवार है वो कट जाए। ये जो कारपोरेशन की बात थी। अभी जो कोरपोरेशन की बात थी, जो सड़कें थीं, हमने इसी सदन में आवाज उठाई थी कि हमारी सड़कें कितनी खराब हैं, हर सदन में हम यह बात कहते हैं, मगर हमारी सड़कें जो पीडब्ल्यूडी ने ली हैं, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी आज एक महीना हुआ है, मेरे ख्याल से 24 तारीख को यहां पर उद्घाटन हुआ था आज सारी मशीनें लगी हुई हैं रोड चौड़े हो रहे हैं, जहां कारपोरेशन के रोड हैं वहां बहुत बुरा हाल है, माननीय किरण वालिया जी के क्षेत्र में सीएसपी जो क्वाटर हैं, सफदरजंग एन्कवले व में, 8 महीने में रोड़ खुदी पड़ी है, कारपेरेशन की रोड है और उनको कोई देखने नहीं जाता, कारपोरेशन का अधिकारी कोई भी। मैं एक बात कह कर के खत्म करता हूं, अभी भाई देवेंद्र जी ने भी एक बात कही, हमारे जो ग्रामीण विकास बोर्ड अगर ग्रामीण विकास बोर्ड नहीं होता तो मेरे ख्याल से गांव में कोई सुध नहीं लेने वाला होता, जितना भी बजट हमें मिला है, माननीय मंगत राम सिंघल जी भी बैठे हैं, भाई राजकुमार जी भी मंत्री हैं, जितना बजट इन्होंने हमारे गांव को दिया है, उससे हमारे गांव का सुधार हुआ है, बहुत काम हुआ है। मैं माननीय मंगत राम जी का भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इतना बजट दिया है और आपने बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमेश शौकीन जी।

श्री सोमेश शौकीन : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अनधिकृत पर जो चर्चा लगी हुई है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सरकार की

जो मंशा है, वो 895 कालोनियां पास करने के बाद जाहिर होती हैं। 1991 में मिनिस्टर ने एक लिस्ट बनाई जो फोरेस्ट के अंदर आती थी, अरविंदर सिंह लवली जी जो देवली से हमारे एमएलए साथी हैं, भाई बलराम तंवर जी, सबकी परेशानी बनी हुई थी, 1991 की लिस्ट में जो विकास होना था, उसकी एक लिस्ट बनाई, मैं आदरणीय मंत्री जी की सूझबूझ की तारीफ करता हूं जिन्होंने सीएम की गाइड लाइंस पर इन कालोनियों में रहने वाले लोगों को राहत दे रहे हैं। 40 कालोनियों की और लिस्ट बनाई जो किसी कारणवश तकनीकी कमी से दो कालोनियां छूट गई थीं, मेरी विधान सभा की भी थी, मैं आदरणीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद इस बात का भी करना चाहूंगा कि जो अनधिकृत कालोनी में रहने वाले लोग हैं, 40 लाख लोग आज जब महिला घर के बाहर कदम रखती थी, बारिशों के समय में हमें अपने आफिसों में जाने में दिक्कत होती थी क्योंकि ऐसा लगता था कि सौ दो का हूजूम क्योंकि वाटर लॉग हो जाता था और निकलने का रास्ता नहीं मिलता था। आज वो माताएं बहनें सभी अनधिकृत कालोनी में रहने वाले लोग मंत्री जी को और मुख्य मंत्री जी को और दिल्ली सरकार को बधाई देती हैं कि आपने जो ड्रेन्स बनाई हैं। जिन अनधिकृत कालोनियों में आज तक काम नहीं हुआ था, मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, आजादी के बाद आज तक ककरौला वार्ड में कोई भी सरकारी पैसा नहीं लगा था, लेकिन जो कालोनियां पास हुई हैं, आज उस वार्ड में एक भी कालोनी ऐसी नहीं बसती, जिसमें विकास का कार्य नहीं हुआ हो, आदरणीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, कि ऐसा क्रांतिकारी काम आपने किया, 895 कालोनियों की जो लिस्ट आपने पास की है, इसमें सुनहरे अंकों में आदरणीय शीला दीक्षित जी का नाम अंकित हो गया है और उसके

साथ-साथ आदरणीय लवली जी का नाम अंकित हो गया। उन अनधिकृत 895 कालोनियां जो आदरणीय इंदिरा गांधी की पास की है तो वो कांग्रेस की सरकार ने पास की है। इससे पता चलता है कि हम गरीब आदमी के लिए कितने चिंतित हैं। आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि और सबसे बड़ी बात अनधिकृत कालोनी के जो सेंट्रल मिनिस्टर आदरणीय कमलनाथ जी हैं, जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हम उनसे मिले तो, क्योंकि जितनी भी अनधिकृत कालोनियां दिल्ली में बसी हैं, क्योंकि दिल्ली की सूझबूझ रखते हैं, आदरणीय मंत्री जी ने कहा कैबिनेट में और आप दिल्ली सरकार में जो भी करवाना चाहते हैं, करवाइए, सेंटर आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा और उसी सेंटर की गाइड लाइंस जो आदरणीय सोनिया जी की गाइड लाइंस पर आदरणीय कमलनाथ जी काम करते हैं और हम कांग्रेस की सरकार काम करती है तो उसी गाइड लाइंस को लेते हुए हमारे मंत्रियों को फ्री हैंड मिला और आज जितना काम हुआ, वह काबिले तारीफ है, आदरणीय अध्यक्ष जी, एक फैदर इन द कैप और बाकी रह गया है मैं आदरणीय लवली जी से आग्रह करूंगा कि आपने 1026 कालोनियों में काम करने के आर्डर दिए हैं, कुछ कालोनियां अभी भी ऐसी रह गई हैं, जो किसी कारण वश विकास के कार्य से वंचित है। सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है कि बेसिक इम्यूनिटीज के लिए इन कालोनियों में काम करवा दिए जाएं तो मैं आदरणीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसमें भी कोई जल्द से जल्द रास्ता देखकर रास्ता निकालें ताकि इसमें भी काम करवा दिए जाएं। ताकि आशा भरी निगाहों से लोग आपकी तरफ देखते हैं वो आपकी जयजयकार करें और आने वाले छह महीने के बाद आदरणीय अध्यक्ष जी, बताना चाहता हूं वो अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को चौथी बार रिपीट करवाने के लिए आदरणीय मंत्री

का धन्यवाद करने के लिए वो लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं। जो रिसैटलमेंट कालोनियों का ऐतिहासिक फैसला आपने लिया है, वो गरीब लोग आपको बहुत दुआ देते हैं। आपने बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भरत सिंह जी, दो मिनट में।

श्री भरत सिंह : आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, आज विषय है हमारे अनअथोराइज और एमसीडी के विषय में, मैं सबसे पहले तो जो जैसा कार्य करे उसको उसकी मुबारकवाद और बधाई भी मिलनी चाहिए। मैं आदरणीय अपने यूडी मिनिस्टर का धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि मेरी विधान सभा नजफगढ़ में, दिल्ली में सबसे ज्यादा अनअथोराइज कालोनीज है। लगभग 170 कालोनीज के आस-पास है। दिल्ली सरकार ने, माननीय मंत्री जी ने उनमें पैसा लगाने के लिए दिया उसमें सबसे ज्यादा हमारी एमसीडी ने उमसें अनअथोराइज में काम किया। दिल्ली सरकार का पैसा एमसीडी ने यूज किया उसमें एमसीडी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने काफी मोस्टली काम अच्छा किया है और बड़े अच्छे ढंग से, सुचारु रूप से उन्होंने कालोनियां चमकाने का भी काम किया है और इस समय में भी कालोनियों में विकास चल रहे हैं। हमारे फ्लड इरिगेशन से भी कई कालोनियों में लगभग छह-सात कालोनियों में काम हुआ, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। एमसीडी का आज विषय है उसके विषय में बोलना है लेकिन मोस्टली कोई चीज बची है कि हर चीज में आज इस समय भ्रष्टाचार चल रहा है। अभी मेरे भाई मुकेश जी ने, और ने, सब ने बात रखी कि इस समय मलेरिया के लिए जो पूरे क्षेत्र और पूरी दिल्ली को परेशान कर रहे हैं मच्छर का सबसे बड़ा प्रकोप चल रहा है और उसी से ज्यादा महामारी फैलाने का भी

काम होता है तो दवाई या जो भी चीज छिड़कने का, या मच्छर के विषय में धुआं करने का, या इस विषय की कोई भी चीज करी जा रही है, कोई भी कीटनाशक उसमें डाला जा रहा है उससे मच्छर मरने का कोई कार्य नहीं होता। हो सकता है उसमें मिलावट हो रही है, हो सकता है उसमें कोई और दिक्कतें हो रही हैं लेकिन मच्छर मारने की प्रक्रिया बिल्कुल ढीली है और एक मलेरिया के लिए जो छह-छह महीने के लिए या तीन-तीन महीने के लिए हम भर्ती करते हैं, हमारे साथी, युवा नौजवान है वो उसमें भर्ती हो जाते हैं लेकिन मात्र चार महीने, पांच महीने तक उसको पे मिलती है और फिर उसको हटा दिया जाता है। दोबारा और कोई काम पकड़ता है इतने फिर दोबारा उसमें भर्ती आ जाती है या पिछले को फिर दोबारा नोमिनेट करने के लिए उसमें लेकर आते हैं। बड़ी इसमें दिक्कत चल रही है, यह भी अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा था। एक कम्युनिटी सेंटर के विषय में चर्चा चल रही है क्योंकि जो दिल्ली सरकार अच्छा काम करेगी उसके बारे में भी हम बताएंगे और एमसीडी अच्छा काम करेगी उसके बारे में भी हम बताएंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे अनअथोराइज कालोनियों में एमसीडी ने बड़ा अच्छा कार्य किया है। आज इस समय जो कम्युनिटी सेंटर बुक करने की बात है वो अधिकारियों की मनमानी पीछे कुछ समय आई थी, अध्यक्ष जी, 2007 में एमसीडी में काम करने का मुझे भी मौका मिला था, मैं भी निगम पार्षद रहा, उस समय अधिकारियों के ऊपर छोड़ा गया। अधिकारियों ने अपनी मनमानी उसमें चलाने का काम किया, फिर कारपोरेटर के हाथ में फिर उसकी बागडोर आई क्योंकि यह नहीं कि हर जगह दिक्कतें आती हैं या हर जगह भ्रष्टाचार होता है। अपनी-अपनी सोच अध्यक्ष जी होती है, कोई किसी प्रकार से सोचता है, कोई किसी प्रकार से सोचता है लेकिन आज इस विषय

में मैं कहना चाहता हूं कि एक कम्युनिटी सेंटर हमारे नजफगढ़ में भी है और जब एक आदमी रिकमंड करके भेजता है चाहे क्षेत्र का है या क्षेत्र का, कहीं से भी कोई आकर शादी का अपना कार्यक्रम करना चाहता है तो जो उसके बारे में चिट्ठी लेकर जाता है यह पता रहता है कि वो बुक हुई है या नहीं हुई है और वो भी चिट्ठी लेकर जाता है हमारे एमसीडी के अधिकारी हैं जो एमसीडी के अधिकारी बताने का काम करते हैं। अभी पीछे हमारे नसीब भाई वो बोल रहे थे एमसीडी के विषय में क्योंकि दक्षिण दिल्ली में हमारा नजफगढ़ भी आता है, सारे माननीय सदस्य बैठे हैं पिछले लगभग एक साल का 100 करोड़ से भी ज्यादा टारगेट उनको पार करना था लेकिन पिछले हफ्ते किसी मीटिंग में मैं था एमसीडी की में, मेरा काम ज्यादा नजफगढ़ एमसीडी के लोग करते हैं, अधिकारी करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सम-अप कीजिए।

श्री भरत सिंह : अध्यक्ष जी, कभी-कभी बोलने का मौका मिलता है इस विषय पर थोड़ा सा समय और लूंगा। लेकिन जो टारगेट एमसीडी ने रखा था उससे भी कुछ न कुछ ज्यादा करोड़ रुपये उस साल के आए हैं। यह भी मैं एमसीडी के जो अधिकारी हैं उनका धन्यवाद करता हूं। एक विषय जरूरी और है जो अहम है, हमारे सारे युवा साथी हैं जो अभी बोल रहे थे जेबीटी के विषय में कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेट में जाकर मात्र फीस भरकर और वापस आ जाता है उसके बाद जब पेपर होते हैं तो पेपर देने चाला चला जाता है या किसी और को भेजता है, अपने पेपर देता है और वहां से शत-प्रतिशत नंबर लेकर आता है उसको उसके बारे में चाहे एबीसीडी का भी पता हो या न हो। उसको फिर यहां पर कान्ट्रैक्ट बेस पर रखने का काम किया जाता है उसको जब कान्ट्रैक्ट बेस पर रखने

का काम करे, अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उसको दो महीने, चार महीने जो भी सीमा निर्धारित करी जाए उसको ट्रेनिंग देने का काम करें। यह इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो रेग्युलर दिल्ली से जेबीटी करती हैं या करते हैं हमारे भाई या हमारी बहन उनका तो नंबर पड़ता नहीं जो डेली जाकर करते हैं और जो बाहर अदर स्टेट में पेपर देकर आते हैं उनको नोमिनेट करने का काम करते हैं इसमें बिल्कुल आप कोई आदेश ऐसा करें, हमारे दिल्ली में और जो रेग्युलर करते हैं उनको इस चीज से झेलना न पड़े, यह मैं आपसे कहना चाह रहा था अध्यक्ष जी।

उपाध्यक्ष महोदय : खत्म कर लीजिए।

श्री भरत सिंह : अध्यक्ष जी, हमारे साथी देवेन्द्र यादव जी ने बात रखी गांव की। इसमें कोई दो राय नहीं है गांव के लोग आज इस समय जो रूरल में रहते हैं बड़े परेशान है, सड़क, पानी की निकासी यह हम अच्छी दे पाए हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा रूरल बोर्ड है वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है मैं मंगत राम सिंघल जी को, माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं लेकिन उसमें दिक्कत है कोई भी जाकर नोटिस दे देता है किसी भी चीज का कि आपकी बिल्डिग तोड़ी जाएगी या मकान बनाने का काम करता है तो उसको रोकने का नोटिस दिया जाता है। अध्यक्ष जी, हमारे जो देहात के लोग हैं वो बड़े ही इस चीज से दुःखी हैं, बड़े चिंतित हैं कि हमारे साथ क्या किया जाएगा। अध्यक्ष जी, एक सबसे ज्यादा प्रश्न चिह्न एमसीडी पर उठता है उसके बारे में मैं भी कहना चाहता हूं इस समय जो बिल्डिंग बनती हैं चाहे सिकी क्षेत्र मेंने, चाहे किसी वार्ड में बने, गांव में बने, पहले तो गांव् में नहीं जाते थे लेकिन आज

कल एमसीडी वाले गांव में भी जाने लग गए। शहर में, कालोनियों में कोई भी कार्य होता है वहां पर जे.ई. पहुंच जाता है कि इतने पैसे लगेंगे, इतने पैसे हमारे को चाहिए। अगर वो न देता है, तो उसको नोटिस देने का काम करते हैं। अगर वो पैसे दे देता है बिल्डिंग वाले जे.ई. को तो जे.ई. हर तीसरे दिन हाजिरी भी लगाता है, उसके पास चाय पीकर आता है उससे अपनी जो हफ्ते की या मंथली होती है उसको भी बिल्डिंग का जे.ई. लेकर आता है इसमें कोई दो राय नहीं है। अध्यक्ष जी, समय जो चल रहा है, क्योंकि कार्यालय में बैठकर देखते हैं, हमारी विधान सभा की बात नहीं करते हम, द्वारका की बात करे, चाहे हम महिपालपुर की बात करे, इस समय बिल्डिंगें बन रही हैं...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : भरत सिंह जी, खत्म कर लीजिए।

श्री भरत सिंह : अध्यक्ष जी, बड़ी दिक्कत इस बात पर चल रही है इसमें कोई दो राय नहीं कि खुले धड़ल्ले से सइ समय पैसा मांगने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं दोबारा से माननीय मंत्री जी जो हमारे इस समय अनअथोराइज कालोनीज देख रहे हैं, अध्यक्ष जी, माननीय लवली जी, मंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं और एमसीडी ने मेरी अनअथोराइज में, जो माननीय लवली जी ने पैसा दिया है, उसको अच्छे तरीके से लगाया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : अब शहरी विकास मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे। श्री लवली जी।

श्री अ. दयानंद चंदीला अ. : अध्यक्ष जी, आपने कल भी नहीं बोलने दिया, आज भी नहीं बोलने दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात सब ने कह दी।

श्री अ. दयानंद चंदीला अ. : क्यों नहीं बोलने देना चाहते।

उपाध्यक्ष महोदय : आप समय देख रहे हैं, मंत्री जी को जवाब देना है।

श्री अ. दयानंद चंदीला अ. : अध्यक्ष जी, समय की जिम्मेदारी मेरी है क्या?

उपाध्यक्ष महोदय : दयानंद चंदीला जी, दो मिनट में खत्म कर लीजिएगा।

श्री अ. दयानंद चंदीला अ. : अध्यक्ष जी, समय की जिम्मेवारी मेरी है क्या जी? मुझे अपने क्षेत्र की बात कहनी है, मैं जनप्रतिनिधि हूं, किसलिए हूं मैं यहां। मेरी बात सुनिए अध्यक्ष जी।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी आपका नाम मुझे नहीं मिला है।

श्री अ. दयानंद चंदीला अ. : अध्यक्ष जी, मेरी बात सुननी पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप बोलिए, दो मिनट में...**(व्यवधान)**

श्री अ. दयानंद चंदीला अ. : अध्यक्ष जी, मैंने दी है पर्ची, पूछिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप दो मिनट में खत्म कर लीजिएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : चंदीला जी, आप अपना भाषण दो मिनट में समाप्त कर दीजिए।

श्री अ. दयानंद चंदीला अ. : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में समाप्त

कर दूंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत आभारी हूं और हमारे साउथ दिल्ली के आदरणीय आयुक्त महोदय भी यहां पर उपस्थित हैं इसलिए मैं ज्यादा जरूरी समझता था आज के लिए बोलना। अध्यक्ष महोदय, जिस विधान सभा क्षेत्र रीजौरी गार्डन से आज मैं एमएलए हूं उसमें एक वार्ड नंबर 105 है। वो सदन के नेता का वार्ड है मैं आयुक्त महोदय को आपके माध्यम से यह प्रार्थना करता हूं कि उस वार्ड की जा कर सड़क और गलियों की हालत देखें तो हमें उस क्षेत्र में जाने से शर्म आती है और आज जब हम विधायक फंड देना चाहते हैं तो वे एस्टीमेट बनाने को तैयार नहीं है। जब हम अर्बन विलेज का बजट उस वार्ड का एक गांव है तितारपुर उसमें देना चाहते हैं तो उसके लिए एस्टीमेट बनाने के लिए तैयार नहीं है। यह कितनी दुर्भागय की बात है। वहां के लोग मजबूरी में गंदा पानी पी रहे हैं। हमारे पास दिल्ली जल बोर्ड के वर्क आर्डर हैं। रोड कटिंग के लिए, 8 से 10 महीने रोड कटिंग के एस्टीमेट के लिए हो चुके हैं। कारपोरेशन उन पत्रों को दबा कर बैठा हुआ है। उनके एस्टीमेट नहीं दिए जाते कि हम जल बोर्ड के वहां पैसा जमा करा सकें। मैं यह पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी कारपोरेशन है। यह कारपोरेशन कैसे चल पाएगी। आयुक्त महोदय से मिलने जाता हूं एक दो बार तो ये मिले हैं, बहुत अच्छा व्यवहार किया है। बहुत अच्छे ढंग से हमारी समस्याएं सुनी हैं। लेकिन जब निर्णय का मौका आए तो आयुक्त महोदय भी कमरे के दूसरे गेट से चले जाते हैं। मैं इनके पीए के कमरे में इंतजार करता हूं और ये दूसरे कमरे में निकल जाते हैं। पता नहीं कौन सा दबाव है सदन के नेता का या कौन सा वो दिल्ली नगर निगम में। आदरनणीय अध्यक्ष जी, मैं भी दो बार कारपोरेशन का मैम्बर रहा हूं और अपनी पत्नी के साथ इंडीपेंडेंट

जीत कर जाता रहा हूं। हम कारपोरेशन को रोक देते थे, पहले हमारी बात सुननी पड़ेगी और हम सुनाते थे और सुनाने के साथ-साथ आपको तो पता है मैंने दिल्ली का फाइनेंस मिनिस्टर इंडीपेंडेंट होते हुए हरा दिया था। उसका कारण काम था। हम काम करते थे। लेकिन आज पता नहीं कारपोरेशन क्या कर रही है। मेरी तो समझ से ही बाहर है। क्या ये इसलिए कारपोरेशन चलाई जा रही है कि वहां कुछ नेताओं का बात को माना जाएगा। हमारे अर्बन मिनिस्टर लवली जी हैं, मैंने इसने कई बार प्रार्थना की वहां के लिए। मजबूरी में कई बार हमने मंत्री जी को बार-बार जा कर परेशान किया है। मंत्री जी भी शायद मुझ से तंग आ गए होंगे। मैं बार-बार मंत्री जी के पीए से मिला हूं लेकिन वही ढाक के तीन पात। कारपोरेशन अपनी बातों से बाज आने के लिए तैयार नहीं है।

मैं आपके माध्यम से आदरणीय आयुक्त महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि हमारे राजौरी गार्डन के लिए हमें एमएलए फंड खर्च करने दिया जाए। हमारा जो अर्बन डेवलपमेंट का फंड है, शहरीकृत गांवों के लिए वो हमें लगाने दिया जाए। जो रोड कटिंग की परमीशन है, वो हमें दिलवाई जाए। आपने बोलने के लिए समय दिया। आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : अब शहरी विकास मंत्री श्री अरविन्दर सिंह लवली जी जवाब देंगे।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष जी, मैं तमाम अपने मैम्बरान साहब का जिन्होंने नगर निगम के ऊपर और अनौथराईज्ड कालोनीज के ऊपर डिबेट में भाग लिया उन का धन्यवाद करना चाहता हूं और ज्यादा लंबी बात न कहते हुए केवल

उन्हीं के इश्यूज को जिनको उन्होंने उठाया है उन्हीं को एड्रेश करते हुए अपनी बात रखूंगा। सबसे पहले एमसीडी की वर्किंग के बारे में पूरी दिल्ली चिंतित है। दिल्ली सरकार को, दिल्ली की केबिनेट को इस बात की बहुत चिंता है इसी सोच के साथ हमने नगर निगम को तीन हिस्सों में बांटा था। उस समय हमें मालूम था कि पॉलिटीकली ये incorrect decision है। क्योंकि आलरेडी दिल्ली की जनता नगर निगम के कार्यकाल से, नगर निगम की कार्यप्रणाली से त्राहिमाम कर रही थी। लेकिन उसके बावजूद अध्यक्ष जी, हम लोग चाहते थे कि दिल्ली में कोई केवल सरकार जो है वो खाली पॉलिटीकल काम करे या चुनाव जीतने के लिए काम करे वो किसी भी मायने में दुरूस्त नहीं होता। इसलिए यह जानते हुए भी कि जब हम तीन हिस्सों में बांटेंगे तो पॉलिटीकल जिम्मेवारी जो इन्होंने पांच साल में जिस तरह का कार्यकाल रखा वो शिफ्ट हो जाएगी, उसके बावजूद हमारी सरकार ने यह फैसला लिया, केंद्र की सरकार ने यह फैसला लिया कि हम नगर निगम को तीन हिस्सों में बांटेंगे ताकि ज्यादा बेहतर एडमीनिस्ट्रेशन हो जाए। दुभार्ग्यवश सरकार की जो मंशा है उसमें कहीं कमी और खामियां आ रही हैं, मैं अपने मैम्बरों की इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं। हमने बहुत अच्छे अफसर वहां पर भेजे। जो बहुत ही अच्छे ढंग से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर इम्पलीमेंटेशन करने की बात कर रहे हैं चाहे वो हाऊस टैक्स का हो, चाहे वो हॉस्पीटल्स का हो, चाहे वो एज्यूकेशन का हो। मुझे मालूम है क्योंकि हम लगातार मिलते हैं क्योंकि तीनों हमारे कमिश्नर्स जो हैं वो बहुत तेजी से लगे हुए हैं कि कारपोरेशन की वर्किंग स्टाईल में, कारपोरेशन के प्रदर्शन एफीसियेंसी में सुधार हो। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है। देवेन्द्र यादव जी ठीक कह रहे थे कि पॉलिटिकल विल जो है

वो किसी भी ऑरगेनाईजेशन में होना बहुत जरूरी है उसके बिना कोई भी ब्यूरोक्रेसी ठीक से इम्पलीमेंटेशन नहीं कर सकती और आज सबसे बड़ी खामी है मुझे यह हाऊस के रिकार्ड में मानने में कोई शक या शुबहा नहीं है कि वो पॉलिटीकल लीडरशिप की इच्छा शक्ति वो कहीं न कहीं बहुत मिसिंग हैं। अध्यक्ष जी, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं देखता हूं कि इनकी पार्टी के अध्यक्ष जो हैं पिछले दिनों बड़े-बड़े पेज जो है सुरेन्द्र जी के यहां मीटिंग थी, बड़े-बड़े पेज की एडवरटीजमेंट देते हैं कि हम जो हैं भाई देवेन्द्र जी ने यह बात बताई कि हम गांव से हाऊस टैक्स छोड़ देंगे, हम पावर में आए तो। गांव के लोगों का नक्शा पास कराएंगे अगर हम पावर में आए। तो आपको अभी कौन रोक रहा है। आप नगर निगम के अंदर पावर में हो, आप अभी हाऊस टैक्स छोड़ो आपको दिल्ली सरकार से मंजूरी है। आप अभी नक्शे पास करो, आपको दिल्ली सरकार की तरफ से मंजूरी है। आपको अभी कौन रोक रहा है। आप किसको इस तरह से बयानबानी करके भ्रमित कर रहे हो। आप किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप नगर निगम के अंदर सत्ता में हो। लोगों के हितों के लिए जो काम करोगे उसकी हमारी तरफ से हर चीज में हां है। आप बिजली के लिए दिल्ली को भ्रमित करते हो मैंने कल इस सदन के अंदर कहा है कि आप कह रहे हो कि हम पावर में आएंगे तो हम 30 परसेंट कम कर देंगे। वो कौन सा फार्मूला है वो हमें भी बताओ। अपनी स्टेट को भी बताओ हम कम कर देते हैं। अध्यक्ष जी, केवल वोट लेने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर हम वोट लेने की राजनीति करते तो हम उस समय नगर निगम को तीन हिस्सों में ना बांटते। हम अपना चुनाव जीतने की कोशिश करते उसके बाद हम इस नगर निगम को सुधारते। हमने अपने चुनाव की भी परवाह नहीं करी। हमने कहा कि पहले दिल्ली के नागरिकों

की बेहतरी हो और काम हो। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। हमारे भाई नसीब सिंह जी जो अभी उपस्थित नहीं हैं, दोनों ने बड़ा रेलेवेन्ट इश्यू उठाया कि कम्युनिटी हॉल बुक करवाने के लिए, भरत सिंह जी ने कहा कि नगर निगम के पार्षद, भरत सिंह जी सारे नगर निगम के पार्षद आप जैसे नहीं होते। क्यों किसी आदमी को अपनी बेटी की शादी के लिए किसी एमएलए के पास जाना पड़े या किसी एमपी के पास जाना पड़े या किसी निगम पार्षद के पास जाना पड़े। क्यों एक आदमी अगर वो निगम पार्षद को नहीं जानता, उसका हक क्यों नहीं है किसी कम्युनिटी सैंटर में अपनी बेटी की शादी के लिए, बुक करवाने के लिए। क्यों उसे किसी चुने हुए प्रतिनिधि के पास जाना पड़ेगा तभी उसकी बेटी की शादी होगी। ये बातें कहीं भी तर्कसंगत नहीं हैं। इसलिए मैं ऑन रिकार्ड कह रहा हूं कि हमने ये आदेश दिल्ली सरकार ने तीनों कमिश्नरों को दे दिए हैं कि कौंसलर का एनओसी वो तुरंत प्रभाव से बंद हो और अपने आप रेगूलर तौर पर जो है उनकी कम्युनिटी सैंटर की बुकिंग हो और माननीय उप राज्यपाल महोदय से भी उस आर्डर को अप्रूव करवा करके तीनों कमिश्नर्स को डाइरेक्शन भिजवा दी गई हैं और बहुत जल्दी दिल्ली में अगर किसी को अपना कम्युनिटी सैंटर बुक करवाना है अपनी बेटी और बेटे की शादी के लिए, अपने पारिवारिक फंक्शन के लिए तो उसे किसी नेता के घर पर हाजिरी देने की जरूरत नहीं है, उसका अपना हक है। यह डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में उस कंट्री पर और कंट्री के ऐसेट पर गवर्नमेंट के ऐसेट पर उस आम आदमी का भी उतना ही हक है जितना चुने हुए प्रतिनिधि का इसलिए उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में फंकशन के लिए कम्युनिटी सैंटर की बुकिंग के लिए। इसके आदेश हमने ऑलरेडी पारित कर दिए हैं। मैम्बर्स ने बार-बार शिकायत की थी अर्बन

विलेजिज में फंड के लिए इसलिए हमने वहां कैटेगराईज कर दिया कि अर्बन विलेजिज में दिक्कत हो रही है। कि एमएलए की रिकमंडेशन के ऊपर भी उसको करेंगे और जो एमसीडी वाला एनओसी है उसको भी खत्म करने के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हम इसके बारे में भी कुछ करेंगे। मैं बिल्डिंग बॉयलाज के बारे में भी कहना चाहता हूं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव में जा करके मीटिंग करते हैं इस तरीके से पॉज कर रहे हैं जैसे गांव में, गांव का इनसे बड़ा कोई हितैशी नहीं है। जैसे गांव के बारे में सारी की सारी तकलीफ और सोच इनको ही है। अनोथराइज्ड कालोनीज के बारे में सबसे बड़ी सोच और तकलीफ इनको ही है। आपने ठीक कहा है कि आर्डर के बावजूद आज गांव में नक्शा पास नहीं हो रहा है। उसके लिए कौन जिम्मेवार है। आज ये गांव के अंदर बड़ी-बड़ी मीटिंग करते हैं। मैंने कल भी यह बात दोहराई थी जब रमेश बिधूड़ी जी ने यह इश्यू उठाया था। मैंने तीनों कमिश्नर्स को भी यह कहा है। एलजी साहब से भी कहा हैं उन्होंने कहा है कि हम ले-आउट प्लान जल्दी बनाएंगे। हमारे तीनों कमिश्नर मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन जो वहां पर पॉलिटीकल लीडरशिप है वो जिस तरह से रोड़े अटका रही है कि ले-आऊट प्लान फाइलन न हो और ले आऊट प्लान के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह लोकल बॉडी का काम है, इसको कोई और नहीं कर सकता। अगर इसको भी हम कर सकते तो हम निश्चित रूप से इस ले आऊट प्लान को भी फाईनल करते क्योंकि खाली ले-आऊट बनाने की बात नहीं है। ले आऊट प्लान बनाने के बाद उनके नक्शे पास हों। उनको अपना मकान बनाने के लिए किसी पुलिस को या जेई बिल्डिंग को पैसे न देने पड़े। सही मायने में यह उनको लाभ मिलेगा। मैंने पहले भी कहा है और मैं फिर इस सदन में आपके माध्यम से रिकार्ड पर

कह रहा हूं मैं अपने लीडर ऑफ अपोजीशन जो आज उपस्थित नहीं हैं जो आज एमसीडी और अनोथराईज्ड कालोनीज की चर्चा से बचना चाहते थे, सीएजी का नाटक करके यहां से गए। मैं ऑन रिकार्ड यह कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में पब्लिक अकाउंट कमेटी के जब से 1947 के बाद देश आजाद हुआ है अगर सबसे लम्बी अवधि तक कोई पीएसी का अध्यक्ष रहा है वे विजय कुमार मल्होत्रा जी रहे हैं। विजय कुमार मल्होत्रा जी लगातार 8 से 9 साल पीएसी कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। उसके बाद मुरली मनोजर जोशी रहे हैं। यानी लगातार 16 साल इनकी पार्टी के बड़े नेता पीएसी के अध्यक्ष रहे हैं। अगर पीएसी के अध यक्ष को सीएजी के नियम नहीं पता तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। वे यहां पर बात कर रहे थे कि सीएजी की रिपोर्ट हमने लास्ट दिन रखी। अध्यक्ष जी, इन बीस सालों में विधान सभा का रिकार्ड गवाह है इस बात का कि सीएजी की रिपोर्ट इस सदन के अंदर चाहे वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या 15 साल से हमारी सरकार रही हो।

हमेशा बजट सत्र के आखिरी दिन सीएजी की रिपोर्ट रखी गई है, अध्यक्ष जी, यह मैं रिकार्ड पर कहना चाहता हूं। यह बड़े शर्म की बात है कि ये हर चीज पर राजनीति करना चाहते हैं। ये एमसीडी के ऊपर डिस्कशन न हो, अनाथराइज कालोनी पर डिस्कशन न हो, ये सीएजी की बात कर रहे हैं, दूसरा मैंने उस समय भी खड़े होकर कहा कि चलिए एक बात तो तुम्हारी मान ली कि सीएजी की रिपोर्ट पहले दिन क्यों नहीं रखी। पहली बात तो यह है कि इस हाउस में कभी प्रथा ही नहीं रही पहले दिन रखने की। दूसरी बात रख भी देते तो सीएजी इस हाउस का डिस्कशन का एजेंडा ही नहीं है। सीएजी रिपोर्ट अगर कहीं

डिस्कश हो सकती है तो वह सिर्फ पब्लिक एकाउंट कमेटी में हो कसती है तो फिर किस बात का शोर। दूसरे आप कह रहे हो कि सीएजी रिपोर्ट लीक हो गई, सीएजी कोई बजट है, सीएजी कोई सीक्रेट डाक्यूमेंट है, सीएजी रिपोर्ट क्या है जो लीक हो गई तो आपको उसके ऊपर सवाल उठाना है। दूसरा सीएजी रिपोर्ट ठीक हो गई तो आप हाउस में पास करो तो फिर हम सीएजी की रिस्पौंसिबिलिटी फिक्स करते हैं, वह तो ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर होती है उसमें सरकार का या विधान सभा सचिवालय का रोल कहां से आ गया और यह इतना बड़ा एजेंडा है कि आप इसको इस तरह से उठा रहे हैं और आपका कोई इश्यू है बिजली पानी का आप लगातार उठाते रहे हो। आप कुछ नहीं करना चाहते, आप केवल नगर निगम और अनाथराइज कालोनी पर डिस्कशन से बचना चाहते हैं और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ले आउट प्लान की बात हो रही थी। मैं कह रहा हूं कि नगर निगम में हमारे अपोजिशन के जो विपक्ष के नेता हैं उनकी नियत साफ है अनौथराइज कालोनीज के लिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के जो अध यक्ष हैं उनकी नियत साफ है अनाथराइज कालोनी के लिए तो मैं इनको भी यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार इस बात के लिए तैयार है जैसे रवीन्द्र जी गांवों के अंदर ले आउट प्लान नहीं बना हुआ और नक्शे पास करने का प्रोविजन है एमसीडी ऐसे ही नक्शे पास करने का प्रोविजन अनाथराइज कालोनी में करे हमारी तरफ से टोटली हरी झंडी है, यह मैं ऑन रिकार्ड कहना चाहता हूं कौन रोक रहा है इनको नक्शे पास कराने के लिए और जब ये नक्शे पास करेंगे तो इनके पास हाउस टैक्स भी आएगा, इनका इनकम का सोर्श भी बढ़ेगा, ये अपनी इनकम को नेहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि वह आफिसियल इनकम होगी। इनका दिल्ली के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इनका किसी गांव के लोगों से लेना देना नहीं

है, इनका किसी अनाथराइज कालोनी के लोगों से कोई महत्व नहीं है, इन का सिर्फ काम यह है कि किसी न किसी तरीके से लोगों को बताएं कि आप तंग हो रहे हो और हमको वोट दो। चंदीला जी ठीक कह रहे हैं, चंदीला जी अगर एमएलए हैड लगाना चाहते हैं तो क्यों नहीं लगाएंगे चंदीला जी कमिश्नर को हम बिल्कुल डायरेक्शन देंगे कि अगर आप एमएलए हैड लगाना चाहते हो यदि उसका टेंडर नहीं हुआ होगा तो वे क्यों नहीं एमएलए हैड लगाएंगे। अगर आपके साथ सौतेला व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि इस तरीके का व्यवहार हमारे एमएलए के साथ हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ ना हो उसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे तो वह कदम चंदीला जी हम उठाएंगे। अध्यक्ष जी, मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा कि वह कालोनीज जो बाकी रह गई हैं उनमें काम के लिए भी तो हमने उनके लिए आलरेडी कैबिनेट में एजेंडा लगाया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि अगली कैबिनेट में वह लगेगा, उसके बाद अगर केबिनेट निर्णय ले लेती है तो हम तुरंत प्रभाव से बाकी बची कालोनियों के अंदर भी डवलपमेंट का काम कराएंगे, अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार और बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करूं स्वस्थ संसदीय परंपराओं का निर्वाह करते हुए सदन की नेता एवं मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, नेता प्रतिपक्ष तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। इसके अलावा विधान सभा सचिव तथा सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के

साथ-साथ दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव व उनके समस्त अधिकारियों, दिल्ली पुलिस, खुफिया एजेंसियों, सीआरपीएफ बटालियन-55 तथा लोक निर्माण विभाग के सिविल इलैक्ट्रीकल व हार्टिकल्चरल डिवीजन, अग्नि शमन विभाग आदि द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के लिए भी उनका धन्यवाद करता हूं। विधान सभा की कार्यवाही को मीडिया व समाचार पत्रों के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले सभी पत्रकार साथियों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं।

अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है।

(राष्ट्रगान)

(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की गई)